रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1988/आश्विन 8, 1910
No. 43] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1988/ASVINA 8, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1988

अधिसूचना

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)

संख्या : 1 सी.ए. (6)/039/88.—चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5) के अनुसार 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिये परिषद् के अंकेक्षित लेखा तथा प्रतिवेदन की एक प्रति सर्व साधारण की जानकारी हेतु, एतद्द्वारा प्रकाशित की जा रही है।

आर.एल. चोपड़ा, सचिव

31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस अधिनियम, 1949 की धारा 18(5) की व्यवस्थाओं के अनुसार, परिषद को अपनी 39वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष है । इस रिपोर्ट में 31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा-जोखा एवं सांख्यिकी सूचनाएं तथा परिषद के सितम्बर, 1988 तक के कार्यकलापों से संबंधित जानकारी सम्मिलित है।

1. परिषद

1.1 परिषद तथा इसकी विभिन्न समितियों के सदस्य

13वीं परिषद, जिसमें कि पांच क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित इंस्टीट्यूट के 24 सदस्य तथा 6 केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल हैं, 17 सितम्बर, 1985 को 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की गई थी । इसकी अवधि 16 सितम्बर, 1988 को समाप्त हो रही है तथा नई (14वीं परिषद) 17 सितम्बर, 1988 को अपना पद-भार ग्रहण करेगी । वर्ष के दौरान परिषद तथा इसकी समितियों की संरचना परिशिष्ट-1 में दी गई है । इंस्टीट्यूट की गतिविधियों में, अधिक से अधिक भाग लेने हेतु, अन्यायी समितियों में, उद्योगों में नये सदस्यों को समायोजित करने के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं । वर्ष के दौरान उद्योगों में से 9 सदस्यों को समायोजित किया गया ।

1.2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

16 सितम्बर, 1987 तक श्री आर. बालाकृष्णन और श्री एस.के. वासगुप्ता, क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने रहे। परिषद में, सितम्बर

1987 में हुई अपनी बैठक में श्री एस.के. दासगुप्ता और श्री के.जी. सोमानी को 17 सितम्बर, 1987 से एक साल की अवधि के लिये क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना।

1.3 परिषद की बैठकें

वर्ष 1987-88 परिषद् के लिये काफी व्यस्तता का वर्ष रहा। वर्ष के दरमियान परिषद् की 10 (दस) बैठकें हुई जो कि अपने-आप में एक कीर्तिमान है। इन दस बैठकों में से चार बैठकों में केवल विचाराधीन अनुशासनात्मक मामलों पर विचार किया गया। एक बैठक में शिक्षा एवं प्रशिक्षण पुनर्वीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया। बाकी बचे पांच बैठकों में इंस्टीट्यूट के सामान्य विषयों पर विचार किया गया। इन बैठकों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:--

बैठक संख्या	तिथियां	स्थान
123वीं	8, 9 और 10 अप्रैल, 1987	नई दिल्ली
124वीं	30 अप्रैल और 1 मई, 1987	नई दिल्ली
125वीं	1 और 2 जून, 1987	नई दिल्ली
126वीं	16, 17 और 18 जुलाई, 1987	नई दिल्ली
127वीं	3, 4 और 5 अगस्त, 1987	नई दिल्ली
128वीं	14, 15, 16 और 17 सितम्बर, 1987	नई दिल्ली
129वीं	30 और 31 अक्तूबर, 1987	नई दिल्ली
130वीं	26, 27 और 28 नवम्बर, 1987	नई दिल्ली
131वीं	29, 30 और 31 दिसम्बर, 1987	नई दिल्ली
132वीं	11, 12 और 13 फरवरी, 1988	जयपुर

2 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

2.1 अन्तर्राष्ट्रीय लेखापाल संघ

(अ) लेखापालों का अन्तर्राष्ट्रीय संघ (आई.एफ.ए.सी.) की असैम्बली की 11 अक्तूबर, 1987 को टोक्यो, जापान में बैठक हुई। इस बैठक में, निम्नांकित 15 देशों को आई.एफ.ए.सी. की नई परिषद के लिये, अक्तूबर, 1992 को समाप्त होने वाले पांच वर्ष की अवधि हेतु चुना गया।

आस्ट्रेलिया--	मेक्सिको
ब्राजील--	नीदरलैण्ड
कनाडा--	न्यूजीलैण्ड
फ्रांस--	सिंगापुर
जर्मनी--	स्वीडन
भारत--	यूनाइटेड किंगडम
जापान--	संयुक्त राज्य अमेरिका
केनिया	

असैम्बली ने, आई.एफ.ए.सी. के संविधान में कुछ संशोधनों को भी अपनी स्वीकृति दे दी।

(ब) आई.एफ.ए.सी. की नई परिषद की 15 अक्तूबर, 1987 को टोक्यो, जापान में बैठक हुई। इस बैठक में आई.एफ.ए.सी. की समितियों का पुनर्गठन किया गया। भारत ने शिक्षा समिति, अन्तर्राष्ट्रीय ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति और वित्तीय एवं प्रबन्ध लेखांकन समिति में अपनी सदस्यता बरकरार रखी।

(स) श्री ए.सी. चक्रवर्ती, कलकत्ता, जो कि इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रह चुके हैं, आई.एफ.ए.सी. की परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

(ट) श्री पी.ए. नानि, बम्बई, जो इंस्टीट्यूट के एक भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, आई.एफ.ए.सी. की शिक्षा समिति में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

(य) श्री आर. बालाकृष्णन, मद्रास, इंस्टीट्यूट के एक भूतपूर्व अध्यक्ष, आई.एफ.ए.सी. की अन्तर्राष्ट्रीय ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

2.2 अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति

इंस्टीट्यूट, अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति का सदस्य बना रहा है।

2.3 आई.एफ.ए.सी. और आई.ए.एस.सी. के बीच संबंधों का पुनर्वीक्षण।

आई.एफ.ए.सी. और आई.ए.एस.सी. के विलय या इन दोनों के बीच और अधिक निकटता लाने के उद्देश्य से बर्लिन कांग्रेस के दौरान, आई.एफ.ए.सी. की परिषद में तथा आई.ए.एस.सी. के बोर्ड में प्रतिनिधित्व कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधिमण्डल के प्रधानों की एक बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये एक कार्य-दल की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया।

--सदस्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आई.एफ.ए.सी. और आई.ए.एस.सी. की कार्य-योजनाओं (वर्तमान और प्रयोजित) पर विचार करना।

--अत्यधिक कम लागत पर दोनों संस्थाओं के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रश्न पर विचार करना।

--यदि उचित हो तो रचनात्मक और/अथवा संवैधानिक परिवर्तन और फाइनेंसिंग के परिवर्धित तरीकों को सिफारिश करना।

इस कार्यदल में, नौ अन्य देशों के अलावा भारत भी सदस्य चुना गया है। श्री एस० के० दासगुप्ता, कलकत्ता, कार्य दल के सदस्य हैं।

2.4 एशियाई एवं प्रशान्त लेखापालों का महासंघ (सी.ए.पी.ए.)

भारत का, हमारी सिस्टर इंस्टीट्यूट दी इंस्टीट्यूट आफ कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया के माध्यम से, एशिया एवं प्रशान्त लेखापालों के महासंघ की कार्यकारी समिति में प्रतिनिधित्व बना रहा है।

2.5 दक्षिण एशियाई लेखापालों का संघ (एस.ए.एफ.ए.)

(अ) वर्तमान समय में, श्री एस.के. दासगुप्ता, इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष एस.ए.एफ.ए. (साफा) की असैम्बली में इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री के.जी. सोमानी, इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष साफा की तकनीकी मानक समिति के सभापति हैं। यह समिति, सदस्य देशों में तकनीकी मानक का तुलनात्मक अध्ययन करने में लगी हुई है।

(ब) दक्षिण एशियाई लेखापालों का संघ (साफा) की असैम्बली की एक बैठक 5 दिसम्बर, 1987 को कोलम्बो, श्रीलंका में हुई। इस बैठक में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ बंगलादेश के श्री मोहम्मद युनुस, को वर्ष 1988 के लिए साफा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक इसी अवधि के लिए इंस्टीट्यूट आफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के प्रतिनिधि को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

(स) साफा असैम्बली की एक बैठक मई, 1988 में ढाका, बंगलादेश में आयोजित की गई। असैम्बली की बैठक के बाद 1 और 2 जून, 1988 को साफा का तीसरा अधिवेशन शुरू हुआ। इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष श्री एस.के. दासगुप्ता तथा उपाध्यक्ष

को के.जी. सामानी ने बैठक में भाग लिया । परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य, श्री ए.के. चक्रवर्ती ने अधिवेशन में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया।

(ङ) साफा के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लिये, इंस्टीट्यूट ने अपने मद्रास कम्प्यूटर केन्द्र में "एकाउंटिंग एवं आडिटिंग में कम्प्यूटर का योगदान" विषय पर एक 6-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया । इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों ने कार्यक्रम की काफी प्रशंसा की।

2.6 लेखापालों की 13वीं वर्ल्ड कांग्रेस

लेखापालों की 13वीं वर्ल्ड कांग्रेस, 11 से 15 अक्तूबर, 1987 में टोक्यो, जापान में बुलाई गई । कांग्रेस का आयोजन, जापानी इंस्टीट्यूट आफ सर्टीफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स ने किया था । कांग्रेस में करीब-चार हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इंस्टीट्यूट का 13 (तेरह) सदस्यी प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व अध्यक्ष श्री एस.के. दासगुप्ता ने किया । इंस्टीट्यूट के एक सदस्य श्री आर.एन. राय ने "साधारण ई.डी.पी. सिस्टम का आडिट" पेपर पर सह-लेखक की भूमिका निभाई।

कांग्रेस का विषय "कम्प्यूटर पर्यावरण में लेखापाल की भूमिका" थी जिसको प्रति आवश्यक सत्रों तथा ऐच्छिक सत्रों में व्यवस्था की गई। कांग्रेस की एक सराहनीय विशेषता यह थी कि कांग्रेस के समस्त तकनीकी सत्र दृश्य-श्राव्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित थे । कांग्रेस के ही एक भाग के रूप में, एक व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । इस प्रदर्शनी में भविष्य में कार्यालय में कम्प्यूटर और आदमी समरस होकर साथ-साथ कैसे काम कर सकते हैं तथा कार्यालयीन काम काजों को यंत्रीकरण किस तरह संगठनात्मक क्षमता सुधार में योगदान कर सकता है—जैसे विषयों पर विचार किया गया । कांग्रेस की दूसरी विशेषता यह थी कि प्रतिनिधियों को औद्योगिक इकाइयों में जापानी उच्च तकनीकी सुविधाओं को देखने का अवसर मिला । इस प्रकार प्रतिनिधियों को, जापानी औद्योगिक इकाइयों में कार्य के प्रति लगन और सदाचार दोनों ही बातों के साथ-साथ कम्प्यूटर उत्पादन, कारखानों के यंत्रीकरण, कार्यालयीन उपकरणों के उत्पादन तथा सूचना-प्रणाली में नवीनतम बुलंदियों को देखने का अवसर मिला

2.7 अन्तरराष्ट्रीय तकनीकी दस्तावेजों के प्रत्युत्तर:

अन्तरराष्ट्रीय लेखापाल संघ तथा अन्तरराष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति द्वारा जारी किये गये तकनीकी दस्तावेजों पर इंस्टीट्यूट अपना दृष्टिकोण बराबर प्रस्तुत करता रहा है ।

3. व्यावसायिक विकास की गतिविधियां

3.1 सामान्य

परिषद-वर्ष अर्थात् 17 सितम्बर, 1987 से 16 सितम्बर, 1988 के मध्य इंस्टीट्यूट की परिषद् द्वारा गठित विभिन्न गैर-स्थायी समितियों के व्यावसायिक विकास संबंधी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है । इस विवरण में 1 अप्रैल, 1987 से 16 सितम्बर, 1987 तक की अवधि के मध्य कार्यकलापों का विवरण सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसका समावेश गत वर्ष प्रस्तुत 38वें वार्षिक प्रतिवेदन में कर लिया गया था। इसमें क्षेत्रीय समितियों और उनकी शाखाओं के कार्यकलापों का विवरण भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

3.2 एकाउंटिंग स्टैंडर्डस बोर्डस

(अ) एकाउंटिंग स्टैंडर्डस निर्गमन

जनवरी 1979 में एकाउंटिंग स्टैंडर्डस के विवरण की प्रस्तावना जारी की जाने के बाद से परिषद् ने लेखांकन के अग्रलिखित दस सुनिश्चित मानक निर्गमित किए हैं :—

(1) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—1 "डिस्क्लोजर आफ एकाउंटिंग पालिसीज" पर (ए. एस.—1) नवम्बर 1979 ।

(2) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—2 "वैल्यूएशन आफ इन्वेन्टरीज" पर (ए. एस.—2) जून 1981 ।

(3) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—3 "चेंजेज इन फाइनैंसियल पोजीशन" पर (ए. एस.—3) जून—1981 ।

(4) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—4 "कान्टीनजेन्सीज एण्ड इवेन्ट्स occurring आफ्टर दि बैलेंस शीट डेट" पर (ए. एस-4) नवम्बर—1982।

(5) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—5 "प्रायर पीरियड एण्ड एक्सट्रा आर्डिनरी आइटम्स एण्ड चेंजेज इन एकाउंटिंग पालिसीज" पर (ए.एस—5) नवम्बर 1982।

(6) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—6 "डेप्रीसिएशन एकाउंटिंग" पर (ए. एस.—6)—नवम्बर, 1982 ।

(7) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—7 "एकाउंटिंग फार कंस्ट्रक्शन कान्ट्रैक्ट्स" पर (ए. एस.—7) दिसम्बर, 1983 ।

(8) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—8 "एकाउंटिंग फार रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" पर (ए. एस.-8) जनवरी 1985।

(9) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड — "रेवेन्यू रिकग्निशन" पर (ए. एस.-9) नवम्बर, 1985 ।

(10) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—10 "एकाउंटिंग फार फिक्सड एसेट्स" पर (ए. एस.-10) नवम्बर 1985।

उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड ने "टर्म्स यूज्ड इन फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स" पर मार्गदर्शक पत्र भी जारी किया है ।

(ब) एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस का क्रियान्वयन

एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस के क्रियान्वयन के प्रयासों के अनुसार इंस्टीट्यूट की परिषद् ने सितम्बर 1986 में हुई अपनी 139वीं बैठक में यह निर्णय किया कि एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड-4 (ए. एस—4) "कान्टीनजेन्सीज एण्ड इवेन्ट्स occurring आफ्टर दि बैलेंस शीट डेट" पर तथा एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड—5 (ए. एस.-5) "प्रायर पीरियड एण्ड एक्सट्रा आर्डिनरी आइटम्स एण्ड चेंजेज इन एकाउंटिंग पालिसीज" पर इस इंस्टीट्यूट द्वारा निर्गमित निर्देश दिनांक 1-1-1987 को शुरू होने वाली अवधि और उपरान्त के लिए लेखा-जोखा के संबंध में अनिवार्य माने जाने चाहिएं। यह भी निश्चय किया गया कि अन्य स्टैण्डर्डस् को भी चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में अनिवार्य माना जाना चाहिए ।एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड को विस्तृत प्रचार देने के विचार से एक प्रचार पुस्तिका बोर्ड द्वारा तैयार की गई है और उन्हें विभिन्न संगठनों में वितरित किया गया है। पुस्तिका में बोर्ड के गठन उसके उद्देश्यों एवं लेखांकन मानकों को विकसित करने की पद्धति का विवरण है इसके अतिरिक्त एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड विषय पर आयोजन अवधि के दौरान अधिसंख्य अध्ययन—गोष्ठियों में विचार किया गया ताकि स्टैण्डर्डस् के संबंध में पूर्ण परिचय प्राप्त हो सके ।

(स) निर्माणाधीन लेखांकन मानक

निम्नलिखित विषयों पर, मानक निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है :—

(1) विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारणों पर लेखांकन

(2) आय पर करों के लिये लेखांकन

(3) सरकारी अनुदान तथा सरकारी सहायता की उद्घोषणा के लिए लेखांकन

(4) नियोजकों के वित्तीय स्टेटमेन्टों में अंशदान प्राप्त करने पर होने वाले लाभों के लिये लेखांकन

(5) निवेशों के लिये लेखांकन

(6) व्यापार समूह के लिये लेखांकन

3.3 ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति

(अ) बैंकों के ऑडिट में लाग फार्म ऑडिट रिपोर्ट पर मार्गदर्शक पत्र

भारतीय रिजर्व बैंक ने सन् 1985 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को सलाह दी थी कि वे अपने ऑडिटर से एक लाग फार्म ऑडिट रिपोर्ट की मांग करें। इस उद्देश्य हेतु रिजर्व बैंक ने दो प्रश्नावलियां भी जारी कीं। बैंक ने इन प्रश्नावलियों में सन् 1987 में संशोधन किया। इस प्रकार समिति ने भी प्रश्नावलियों में किये गये परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिये कथित विषय पर अपने मार्गदर्शक पत्र में सुधार (परिवर्तन) किये हैं।

(ब) राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में ऑडिट रिपोर्ट

इस मामले से संबंधित प्राप्त सुझावों के आधार पर समिति ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में स्टेचुटरी ऑडिटर की रिपोर्ट की रूपरेखा पर पुनर्विचार किया और इसमें अनेक असुविधाएं महसूस की गईं। इस तरह समिति ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में सिफारिशी फार्मों को एक तरफ रखते हुए, एक मार्गदर्शक-पत्र जारी किया है।

(स) स्टैण्डर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज पर स्टेटमैंट्स और मार्गदर्शक-पत्र

वर्ष के दौरान परिषद् ने समिति द्वारा निर्मित स्टैण्डर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज पर निम्नलिखित स्टेटमैंट्स को प्रकाशन हेतु अपनी सहमति दे दी है:—

(1) स्टैण्डर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज पर स्टेटमैंट (एस. ए. पी.) 5 "ऑडिट एविडेन्स"।

(2) स्टैण्डर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज पर स्टेटमैंट—(एस. ए. पी.) 6

"एक ऑडिट के संबंध में लेखांकन का तरीका और संबंधित आन्तरिक नियन्त्रणों का अध्ययन एवं मूल्यांकन"।

"आन्तरिक ऑडिटर के काम पर निर्भरता" से संबंधित स्टैण्डर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज पर प्रस्तावित स्टेटमैंट का प्रारूप शीघ्र ही जारी किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त समिति ने "योजना" विषय पर स्टैण्डर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज पर प्रस्तावित स्टेटमैंट का एक एक्सपोजर ड्राफ्ट भी जारी किया।

निम्नलिखित विषयों पर स्टैण्डर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज पर स्टेटमैंट और मार्गदर्शक-पत्र निर्माण के अनेक स्तरों पर है--

(1) एक ई. डी. पी. वातावरण में ऑडिटिंग

(2) दूसरे ऑडिटर के काम का प्रयोग करना

(3) संयुक्त ऑडिटरों की उत्तरदायित्वता

(4) ऑडिट वचनबद्धता पत्र

(5) निवेशों का ऑडिट

(6) चल सम्पत्तियों का ऑडिट

(7) ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों का ऑडिट।

समिति ने, अपने विचार हेतु, स्टैण्डर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज पर स्टेटमैंट का प्राथमिक मसविदा बनाने के लिये बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अध्ययन दलों का गठन किया है। दिल्ली में एक दूसरा अध्ययन दल इंस्टीट्यूट का चालू प्रकाशन जिसका नाम "स्टेटमैंट आन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज" है के आधार पर एक मार्गदर्शक का प्राथमिक मसविदा विकसित करने के काम में लगा हुआ है।

3.4 अनुसंधान समिति

(अ) प्रकाशित साहित्य

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशनों को बिक्री के लिये जारी किया गया--

(1) मार्गदर्शक पत्रों का संग्रह--भाग 3—इसमें 30 जून, 1985 से 31 मार्च, 1987 तक जारी किये गये मार्गदर्शक पत्र शामिल हैं।

(2) मोडवैट हेतु लेखांकन उपचार पर मार्गदर्शक पत्र।

(3) युक्तिता के आधार पर लेखांकन पर मार्गदर्शक पत्र

(ब) प्रकाशन प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन

(1) उर्वरक उद्योग पर एकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग तकनीकी गाइड

(2) चीनी उद्योग—आन्तरिक ऑडिट पर गाइडलाइन्स

(स) समिति/परिषद् द्वारा अंतिम रूप दिये जा रहे प्रकाशन

(1) उद्योगों में अस्वस्थता (सिकनेस) के निर्धारण हेतु वित्तीय सूचनाओं के प्रयोग पर अध्ययन।

(2) निम्नलिखित पर एकाउंटिंग तथा ऑडिटिंग तकनीकी गाइड:—

(अ) आटोमोबाइल उद्योग

(ब) ड्रग तथा फार्मास्युटिकल उद्योग

(3) पट्टे के लिये लेखांकन पर मार्गदर्शक पत्र

(4) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम हेतु लेखाकार की गाइड

(5) टायर उद्योग—इन्टरनल ऑडिट पर गाइडलाइन्स

(6) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का परिशोधन—एक लेखापाल का अध्ययन।

(7) "शेयर के मूल्यांकन पर अध्ययन" का परिशोधन।

(8) "स्टेटमैंट ऑन ट्रीटमैंट ऑफ रिटायरमैंट ग्रेच्युटी इन एकाउन्ट्स" का संशोधन

(9) "उत्पादन शुल्क के लिये लेखांकन उपचार पर मार्गदर्शक पत्र" का संशोधन

(द) प्रगति आधीन प्रकरण

(1) ऑडिट सैम्पलिंग टैकनीक

(2) बुनाई उद्योग—आन्तरिक ऑडिट पर गाइडलाइन्स

(3) होटल उद्योग—एकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग तकनीकी गाइड

(4) कम्पनियों के वित्तीय आंकड़ों पर इंस्टीट्यूट की अधिसूचनाओं का प्रभाव

(5) सीमा शुल्क नियम पर लेखापाल की गाइड

(6) निम्नलिखित पर अध्ययन

(अ) एम. आर. टी. पी. अधिनियम

(ब) बीमा ऑडिट—जीवन बीमा निगम

(स) सार्वजनिक ट्रस्टों का ऑडिट

(द) अस्पताल लेखांकन और प्रबन्ध नियंत्रण सिस्टम

(य) कम्प्यूटर और ऑडिटर

(7) भारतीय अर्थव्यवस्था के अलाभकारी क्षेत्रों में प्रबंध नियंत्रण और लेखांकन सिस्टम

(8) फोरेस्टरीज के लिये लेखांकन पर मोनोग्राफ

(9) सीमेंट उद्योग—आन्तरिक आडिट पर गाइडलाइन्स

(ब) संशोधन प्रक्रिया के अन्तर्गत निहित प्रकाशन

(1) शैक्षणिक संस्थाओं के आडिट के लिये तकनीकी गाइड

(2) सहकारी समितियों के आडिट के लिये तकनीकी गाइड

(3) भारतीय उद्योगों में मूल्य निर्धारण

(4) गाइडेन्स नोट ऑन एकाउंटिंग ट्रीटमैंट आफ रिजर्व इन अमाल-गमेशन्स

(5) स्टेटमैंट आन चेंजेज इन दी मोड आफ चार्जिंग डेप्रिसियेशन इन एकाउन्ट्स

(2) शील्ड पैनल

वर्ष 1986-87 के लिये कम्पनियों तथा गैर वित्तीय स्टेचुटरी निगमों का सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत लेखाओं के लिये पुरस्कार का वार्षिक वितरण

वर्ष 1986-87 की वार्षिक प्रतियोगिता के निर्णायक मण्डल ने निम्न-लिखित कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखाओं पर अपना निर्णय दिया :—

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (31 मार्च 1987 को समाप्त वर्ष के लिये) को सर्वोत्तम घोषित किया और इस प्रकार इस कम्पनी को अपनी रजत शील्ड प्रदान करने का निर्णय किया ।

निर्णायक मण्डल ने निम्नलिखित कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखाओं की काफी प्रशंसा की इस प्रकार इन कम्पनियों को प्रशस्ति पट्टिका प्रदान करने का निर्णय किया गया—

*दि एसोसियेटेड सिमेंट कम्पनीज लिमिटेड
(31 जुलाई, 1986 को समाप्त वर्ष हेतु)

*सिमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया
(31 मार्च 1987 को समाप्त वर्ष हेतु)

*मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड
(31 मार्च, 1987 को समाप्त वर्ष हेतु)

निर्णायक मण्डल ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के वर्ष 1986-87 के लेखाओं पर भी विचार किया ।

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के (30 जून 1986 को समाप्त वर्ष हेतु) लेखे को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्रविष्टियों में सर्वोत्तम घोषित किया और तदनुसार निगम को रजत शील्ड से पुरस्कृत करने का फैसला किया ।

निर्णायक मण्डल ने वर्ष 1986-87 के कुछ ऐसे संस्थानों जैसे सार्वजनिक न्यास, सहकारी समितियों, शोध एवं शैक्षणिक संस्थाओं के लेखाओं पर भी पृथक रूप से विचार किया और निम्नलिखित की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा पर निर्णय दिया :

इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर को-ओपरेटिव लिमिटेड
(30 जून 1986 को समाप्त वर्ष हेतु) (को प्राप्त प्रविष्टियों में, सर्वोत्तम घोषित किया । तदनुसार इसे प्रशस्ति पट्टिका प्रदान करने का निर्णय किया है ।

*नोट:—जिन कम्पनियों के एकाउन्ट्स को प्रशस्ति-पत्र प्राप्त हुए है उनका क्रम वर्णमाला के आधार पर है । उनका नाम उनमें पीछे होना योग्यता के क्रम को प्रदर्शित नहीं करता ।

7.5 व्यावसायिक विकास समिति

(अ) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के लेखाओं के आडिट से संबंधित इम्पैनलमैंट का तरीका तथा अन्य बातें

समिति ने, इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस कर रहे सदस्यों से वर्ष 1988 के लिये, 28 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का आडिट जिसमें की केन्द्रीय स्टेचुयरी आडिट भी शामिल है, तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की आडिट हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन्स के आधार पर सूची बनाने के लिये उचित पत्र पर आवेदन आमंत्रित करके सूचना एकत्रित की । इस प्रकार सदस्यों द्वारा उचित आवेदन पत्र पर दी गई जानकारी को कम्प्यूटराइज्ड किया गया था इस प्रकार निर्मित पैनल को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है जो कि आडिट का वास्तविक वितरण करेंगे । सदस्यों से प्राप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, समिति ने इम्पैनलमैंट से संबंधित अनेक मामलों पर प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया ।

आवेदन पत्र में उचित कोड के उद्धरण हेतु सदस्यों एवं फर्मों को यूनिक कोड नम्बर के बारे में सूचित किया गया है ।

(ब) आन्तरिक आडिट

आन्तरिक आडिट के ऊपर दो आवासीय पाठ्यक्रम, क्रमशः 19 से 22 दिसम्बर, 1987 तथा 19 से 21 मार्च, 1988 को कोवालम और पोर्टब्लेयर में आयोजित किये गये । इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य आन्तरिक आडिट के क्षेत्र में हुए नये तकनीकों एवं विकास पर बहस करना तथा इस तेजी से विकास कर रहे क्षेत्र में सदस्यों को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने हेतु उचित मंच की व्यवस्था करना था ।

(स) बैंकों के राजस्व/इन्स्पेक्शन/कनकरेण्ट आडिट पर गोष्ठियां

सतत् शिक्षा योजना के ही एक भाग के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय शाखाओं तथा दूसरे महत्वपूर्ण शहरों में क्षेत्रीय परिषदों के साथ मिलकर बैंकों का कनकरेण्ट/इंस्पेक्शन/राजस्व आडिट से संबंधित अनेक पहलुओं पर विचार करने हेतु अनेक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है । गोष्ठियों में भाग लेने वालों में वितरण हेतु एक समान तथा विस्तृत बैंक-ग्राउन्ड सामग्री तैयार की गई है ।

(द) बम्बई में आडिट समितियों पर गोष्ठी

26 मार्च, 1988 को बम्बई में आई. डी. बी. आई. के साथ मिलकर आडिट समिति के ऊपर एक-एक-दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया, गया । इस गोष्ठी में देश के भिन्न-भिन्न भागों से अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(य) आन्तरिक आडिट के ऊपर 8वां अखिल भारतीय अधिवेशन

4 व 5 सितम्बर, 1988 को बम्बई में आन्तरिक आडिट के ऊपर आठवां अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया । अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य आन्तरिक आडिट के कार्यों के अनेक पहलुओं पर विचार करना तथा समकालिक, आर्थिक एवं व्यापारिक वातावरण में आन्तरिक आडिटर की बढ़ती हुई भूमिका की व्याख्या करना है । अधिवेशन में बहस को आन्तरिक आडिट के अनेक पहलुओं को मध्य नजर रखते हुए चार तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था । इस अधिवेशन में अनेक निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों के करीब 300 कार्यपालकों ने भाग लिया ।

(र) सहकारी समितियां अधिनियम में संशोधन —चार्टर्ड एकाउन्टेंटों द्वारा सहकारी समितियों के आडिट की व्यवस्था

समिति के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों तथा राज्यों की राजधानियों में क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं ने अपने-अपने राज्यों के उचित अधि-

कारियों को चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा सहकारी समितियों के आडिट की व्यवस्था करने हेतु सहकारी समितियां अधिनियम में संशोधन करने हेतु प्रतिनिधित्व किया है। परिषद के सदस्य भी विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों के साथ इस बारे में विचार-विमर्श करते रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस आशय के परिपत्र जारी किये हैं कि (अ) जिला सहकारी आडिट अधिकारी, जिसे भी संस्थान, जहां आडिट का काम बकाया पड़ा है, के मामले में आडिट का काम किसी भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को सौंप सकते हैं। (ब) सहकारी चीनी कारखानों के हिसाब-किताब के आन्तरिक आडिट का काम किसी भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को सौंपा जा सकता है तथा (स) राज्य-स्तर पर समिति का गठन किया जाए, जिसमें एक सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो। इसी तरह कुछ अन्य राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भी प्राधिकारीगण इस बात से सहमत हो गये हैं कि सहकारी समितियों के आडिट कार्य में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग किया जाये।

(ख) आयात तथा निर्यात प्रमाणपत्रों पर मार्ग-निर्देशन

आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी आयात एवं निर्यात नीति तथा आयात-निर्यात पद्धति 1988-89 की हस्त-पुस्तिका में अनेक ऐसे फार्म हैं जिसमें चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों से प्रमाण पत्र आवश्यक है। समिति, प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सूचनाओं को प्रमाणित करने में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सदस्यों की मदद के लिये एक मार्गदर्शक-पत्र तैयार करने का प्रयास कर रही है।

(ग) सैल्फ रेगुलेटरी मीजर्स को अनिवार्य बनाना

परिषद् समय-समय पर कतिपय सेल्फ रेगुलेटरी मीजर्स जारी करती रही है जिसका उद्देश्य इंस्टीट्यूट के सदस्यों के बीच व्यावसायिक कार्य का समान प्रवाह सुनिश्चित करना होगा। सेल्फ रेगुलेटरी मीजर्स के एक पूरे पाठ का अंतिम प्रकाशन "प्रोफेशनल अपारचुनिटीज फार मेम्बर्स--एन एप्रेजल" नामक प्रकाशन के 1986 के संस्करण में किया गया है।

मई 1987 में हुई अपनी 122वीं बैठक में परिषद ने यह निर्णय लिया कि निश्चित शुल्क के कम पर आडिट कार्य स्वीकार न करने संबंधी सेल्फ रेगुलेटरी मैजर्स को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस विषय पर एक अधिसूचना "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट" के जून 1987 के संस्करण में प्रकाशित की जा चुकी है।

3.6 उद्योगों में लगे सदस्यों के लिये समिति

(अ) उद्योगों में लगे सदस्यों हेतु समिति का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है :--

(1) इंस्टीट्यूट की गतिविधियों में उद्योग में लगे सदस्यों के अधिक से अधिक भाग लेने हेतु तौर-तरीकों पर विचार करना।

(2) उद्योगों में लगे सदस्यों को प्रभावित करने वाले कारणों पर विचार करना और विशेष रूप से कैरियर प्लानिंग, सदाचरण तथा अन्य संबंधित बातें जो सेवा में लगे सदस्यों को प्रभावित करती हों, से संबंधित समस्याओं पर विचार करना।

(3) संभावित नियोक्ताओं तथा उद्योगों में रोजगार पाने के इच्छुक सदस्यों के लाभ हेतु रोजगार सेवाओं की व्यवस्था करना।

(4) सेवाओं में लगे सदस्यों के लिये रोजगार के नये क्षेत्रों का पता लगाना तथा विकास करना।

समिति सेवा में लगे हुए अनेक प्रसिद्ध सदस्यों को मिलाकर गठित की गई है।

(ब) समिति के निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में उद्योगों में लगे सदस्यों के लिये समितियों का गठन किया है। ये समितियां अपने क्षेत्र में उद्योगों में लगे सदस्यों से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिये समय-समय पर अपनी बैठकें बुलाती हैं तथा उद्योगों में लगे सदस्यों के विविध संबंधित विषयों जैसे कि केन्द्रीय बजट, कराधान के नियम तथा इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किये गये एक्सपोजर ड्राफ्ट, स्टेटमेंट्स तथा मार्गदर्शक-पत्रों पर समय-समय पर गोष्ठियों का भी आयोजन करती रहती है।

(स) सदस्यों की ज्ञान-सूचना हेतु इंस्टीट्यूट की पत्रिका के जनवरी, 1988 अंक "वित्तीय संस्थाओं में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिये रोजगार के अवसर" विषय पर एक लेख प्रकाशित किया गया है। इससे पहले इंस्टीट्यूट की पत्रिका के अनेक अंकों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिये रोजगार के अवसर पर छः (6) लेखों की एक शृंखला प्रकाशित की गई थी।

(द) ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज को एक प्रतिवेदन दिया गया है। इसमें इस बात का आग्रह किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं, से यह निवेदन किया जाए कि वे उन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को जो कि उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके द्वारा इंस्टीट्यूट को दी जाने वाली वार्षिक सदस्यता-शुल्क का भुगतान करें।

(य) 8 से 9 अप्रेल, 1988 को पूना में कार्पोरेट तथा मैनेजमेंट एकाउंटिंग पर एक अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य कार्पोरेट एवं मैनेजमेंट एकाउंटिंग के अनेक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और आधुनिक समकालिक आर्थिक एवं व्यापारिक वातावरण में प्रबन्ध लेखांकन की बदलती हुई भूमिका पर वैचारिक आदान-प्रदान करने एक मंच प्रदान करना था। इस अधिवेशन में 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(र) 1988 में 4 से 8 जून तक श्रीनगर में, उद्योगों में लगे वित्त एवं लेखा कार्यपालिकों के लिये एक आवासीय पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट एकाउंटिंग तथा कार्पोरेट फाइनेन्स के आधुनिक तकनीकों पर विचार-विमर्श किया गया।

3.7 कम्पनी लॉ समिति

(अ) कम्पनीज (संशोधन) विधेयक, 1987 पर स्मरण-पत्र

कम्पनीज (संशोधन) विधेयक, 1987 पेश किये जाने को दृष्टि में रखते हुए कम्पनी लॉ समिति ने बिल के प्रत्येक खंड पर विचार-विमर्श करने के बाद तथा भूतपूर्व अध्यक्षों, परिषद के सदस्यों, क्षेत्रीय परिषदों तथा शाखाओं से प्राप्त सुझावों और समिति द्वारा आयोजित गोष्ठियों में हुए विचार-विमर्श को मध्यनजर रखते हुए, विधेयक में संशोधनों पर स्मरण-पत्र तैयार किया तथा उसे उद्योग मंत्रालय के कम्पनी कार्य विभाग को प्रस्तुत किया। इस स्मरण-पत्र में अनेक सुझाव दिये गये थे। यह हर्ष की बात है कि सरकार ने उनमें से बहुत कुछ सुझाव मान लिये हैं जिनमें विशेषकर--अनुभाग 5 (आफिसर इन डिफाल्ट) अनुभाग 43-ए (डीम्ड पब्लिक कम्पनीज), अनुभाग 269 और अनुसूची 13 (मैनेजरियल रेमुनरेशन) तथा अनुभाग 205 (डिविडेन्ड) शामिल हैं। इन सुझावों को संशोधन अधिनियम, 1988 में शामिल कर लिया गया है।

(ब) कराधान एवं कम्पनी लॉ पर आवासीय पाठ्यक्रम

2 मई 1988 से 6 मई 1988 तक ऊटी में कराधान तथा कम्पनी लॉ समिति ने संयुक्त रूप से कराधान एवं कम्पनी लॉ के ऊपर 11वां आवासीय पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इस पाठ्यक्रम में उद्योगों तथा व्यवसाय के 33 व्यक्तियों ने भाग लिया।

(स) बी.आई.एफ.आर. के संबंध में अध्ययन

सिक इंडस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशियल प्रोविजन) एक्ट को मद्देनजर रखते हुए समिति ने बी.आई.एफ.आर. और व्यवसाय के सदस्यों के ऊपर अध्ययन करने का निश्चय किया है। प्रस्तावित अध्ययन एक एप्राइजल तथा पुनर्विलोकन के रूप में होगा तथा सदस्यों का इस महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन पर मार्गदर्शन करेगा।

(द) कम्पनी लॉ पर सरकार से वार्ता

कम्पनी लॉ से संबंधित अनेक पहलुओं पर समिति सरकार से विचार-विमर्श करती रही है तथा सरकार को अपनी प्रतिक्रिया भेजती रही है। वर्ष के दौरान कम्पनी कार्य विभाग ने अनेक मामलों पर इंस्टीट्यूट के विचार लिये। समिति ने अनेक पहलुओं पर बड़ी शीघ्रता तथा प्रभावी ढंग से अपने विचार रखे।

3.8 कराधान समिति

(क) टैक्सेशन एवं कम्पनी लॉ पर आवासीय पाठ्यक्रम

कराधान एवं कम्पनी लॉ पर ग्यारहवां (11वां) आवासीय पाठ्यक्रम का आयोजन 2 मई से 6 मई 1988 तक ऊटी में होटल साउदर्न स्टार में इंस्टीट्यूट की टैक्सेशन एवं कम्पनी लॉ समितियों ने संयुक्त रूप से किया। देश के अनेक भागों से 33 प्रतिनिधियों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया। निम्नलिखित विषयों पर बड़ी गहराई से विचार विमर्श किया गया :-

कार्पोरेट टैक्सेशन--चुने हुए मामले; प्रत्यक्ष कर अधिनियमों में ताजे विधायी परिवर्तन, प्रत्यक्ष कर अधिनियमों की प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं, बिक्री कर, प्रबन्धकीय कर्मियों की नियुक्ति तथा वेतन और औद्योगिक अस्वस्थता--अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनियों (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की दृष्टि से बी.आई.एफ.आर. की कार्य-पद्धति के संदर्भ विशेष में।

कराधान समिति के अध्यक्ष श्री एन.के. पोद्दार, पाठ्यक्रम के निदेशक थे।

(ख) केन्द्रीय बजट

(1) वित्त मंत्री के आमन्त्रण पर इंस्टीट्यूट का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कि श्री एस.के. दासगुप्ता, अध्यक्ष; श्री के.जी. सोमानी, उपाध्यक्ष, श्री एन.के. पोद्दार, अध्यक्ष, कराधान समिति, श्री एम.जी. पटेल, उपाध्यक्ष कराधान समिति, श्री एस.सी. वासुदेवा, कराधान समिति के सदस्य, श्री आर.एल. चोपड़ा, सचिव और श्री सी.आर.टी. वर्मा, कराधान समिति के सचिव शामिल हैं, 8 जनवरी, 1988 को माननीय वित्त मंत्री से मिले। इस बैठक में सी.बी.डी.टी. के अध्यक्ष श्री सी.के. टिक्कू तथा बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद थे।

इंस्टीट्यूट का बजट पूर्व स्मरण-पत्र वित्त मंत्री को प्रस्तुत किया गया। स्मरण-पत्र में, वर्ष 1988-89 का बजट बनाते समय सरकार के विचारार्थ इंस्टीट्यूट के सुझाव सम्मिलित हैं। स्मरण-पत्र में अनेक बातों के अलावा जिनका जिक्र किया गया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं--ग्रामीण विकास से संबंधित सुझाव, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये पुरस्कार, गैर-योजनागत खर्चों पर नियंत्रण, पर्यटन तथा दूसरे सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहन, राजस्व बढ़ाने के तरीके, वर्तमान कर अधिनियमों का युक्तियुक्तकरण, प्रत्यक्ष कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 1987 की विभिन्न व्यवस्थाओं में सुधार, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों, विदेशी मुद्रा और निर्यात, आय-व्यय संबंधित घाटा, औद्योगिक विकास और रोजगार।

वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक गतिविधियों में इंस्टीट्यूट की भूमिका तथा इसके योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रतिनिधि-मण्डल को विश्वास दिलाया कि टैक्स-सुधार में सरकार खुले दिमाग से काम कर रही है और प्रत्यक्ष कर नियम (संशोधन) विधेयक 1987 की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करते समय करदाताओं को होने वाली वास्तविक परेशानियों को दूर करने हेतु उचित प्रशासनिक निर्देश जारी किये जायेंगे। उन्होंने प्रतिनिधि-मंडल को पुनः विश्वास दिलाया कि वे (मंत्री महोदय) आर्थिक एवं वित्तीय महत्व के विभिन्न मामलों पर इंस्टीट्यूट से प्रायः विचार-विमर्श करेंगे। इससे पहले 5 जनवरी, 1988 को अध्यक्ष ने चैम्बर्स आफ कामर्स तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों सहित वित्त-मंत्री द्वारा बजट-पूर्व विचार-विमर्श हेतु आयोजित बैठक में भी भाग लिया।

नये वित्त मंत्री, माननीय श्री एस.बी. चह्वाण के साथ, प्रत्यक्ष कर नियम (संशोधन) अधिनियम, 1987 से संबंधित अनेक क्षेत्रों पर एक दूसरी बैठक हुई। अध्यक्ष के साथ-साथ उपाध्यक्ष श्री के.जी. सोमानी, कराधान समिति के अध्यक्ष श्री एन.के. पोद्दार, कराधान-समिति के उपाध्यक्ष श्री एम.जी. पटेल तथा कराधान-समिति के दो अन्य सदस्य श्री जी. नारायणस्वामी तथा श्री एस.सी. वासुदेवा 26 जुलाई, 1988 को माननीय मंत्री महोदय से मिले और फर्मों के कराधान, अतिरिक्त आयकर, चैरिटेबिल न्यासों के करों के पुनर्निर्धारण, के संबंध में इंस्टीट्यूट के विचारों से उन्हें अवगत कराया। माननीय वित्त मंत्री से, अनुभाग 10 (23ए) में संशोधन करने का अनुरोध किया गया ताकि हमारी इंस्टीट्यूट जैसी व्यावसायिक संस्थाओं को पूरी आय की पूरी छूट मिल सके।

(2) इंस्टीट्यूट का बजट के बाद का स्मरण-पत्र माननीय वित्त मंत्री, सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज के चैयरमैन तथा अन्य संबंधित सरकारी अधिकारियों को 5 अप्रैल, 1988 को प्रस्तुत किया।

(ग) मेमोरन्डा/रिप्रजैन्टेसन जो दिये गये।

(1) 5 जनवरी, 1988 को सी.बी.डी.टी. को एक रिप्रजेन्टेशन भेजा गया जिसमें इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करने का निवेदन किया गया था कि यदि ऐसी सरकारी कम्पनियों तथा दूसरी कम्पनियों जहां स्टेचुटरी आडिटर की नियुक्ति में देर की जाती है या स्टेचुटरी आडिटर समय पर आडिट पूरा नहीं कर सकता, टैक्स आडिटर, नियमों में वर्णित फार्म 3 सी.ए. के बजाय, फार्म 3 सी.बी./3 सी.सी. में अपनी रिपोर्ट दे सकता है।

(2) 7-4-1988 को सी.बी.डी.टी. को एक और रिप्रजेन्टेशन भेजा गया। इसमें बोर्ड से यह स्पष्टीकरण जारी करने का निवेदन किया गया कि आयकर अधिनियम के अनुभाग 80 जी.(2)(ए.)(सी.)(9) और 192(2ए), इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया पर कहां तक उचित हैं।

(3) डायरेक्टोरेट आफ ऑर्गेनाइजेशन एण्ड मैनेजमैंट सर्विसेज (इन्कम टैक्स) दिल्ली के निदेशक से प्राप्त एक प्रार्थना पत्र--भोगों पर करों की अदायगी की नई योजना पर इंस्टीट्यूट के सुझाव और विचार प्रस्तुत किये गये।

(4) सैन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज से प्राप्त प्रार्थना पर इंस्टीट्यूट ने ट्रांजैक्शन की श्रेणियों जिनमें स्थायी एकाउन्ट नम्बर वर्णित किया जाना है, पर अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत किये।

(द) प्रकाशन

आयकर अधिनियम के अनुभाग 44ए.बी. के अन्तर्गत टैक्स आडिट पर मार्गदर्शक-पत्र को अप्रैल 1988 में पुनः छापा गया। इसमें 1-4-1988 तक किये गये तथा प्रस्तावित परिवर्तनों को टिप्पणियों के रूप में संबंधित पृष्ठ के नीचे अंकित किया गया है।

3.9 अविच्छिन्न व्यावसायिक शिक्षा समिति

(अ) गोष्ठियां एवं पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक गोष्ठियों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनके पूरे विवरण हेतु कृपया परिशिष्ट 2 देखें।

(ब) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परिणाम

नवम्बर, 1987 में मैनेजमेंट एकाउन्टैंसी, कार्पोरेट मैनेजमेंट तथा टैक्स मैनेजमेंट (भाग-1) की परीक्षाएं संशोधित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ली गई तथा मई, 1988 में संशोधित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मैनेजमेंट एकाउन्टैंसी कोर्स (भाग-1) की परीक्षाएं ली गईं। नवम्बर, 1987 में ली गई परीक्षाओं का संक्षिप्त परिणाम परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

(स) योग्यता छात्रवृत्तियां

मैनेजमेंट एकाउन्टैंसी कोर्स की प्रेरक योजना के अन्तर्गत, पुरस्कार अर्जित करने हेतु 5 उम्मीदवारों को 600 रुपये प्रत्येक के हिसाब से छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इस योजना को कार्पोरेट मैनेजमेंट तथा टैक्स मैनेजमेंट की परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

(द) मैनेजमेंट एवं इकोनोमिक क्वाटरली डायजैस्ट

सितम्बर, 1987 से मैनेजमेंट एवं इकोनोमिक डायजेस्ट प्रबन्ध तथा अर्थशास्त्र में समकालीन समस्याओं पर महत्वपूर्ण लेखों के सारभूत अंशों की पत्रिका के चार अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं। इस प्रकाशन के अब तक लगभग 1400 सदस्य बन चुके हैं।

(य) व्यावहारिक प्रशिक्षण/एम.ए.सी. को पास करना

वर्ष के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भाग 2 के अन्तर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या निम्न प्रकार से है:—

(1) मैनेजमेंट एकाउन्टैंसी कोर्स	12
(2) कार्पोरेट मैनेजमेंट कोर्स	3
(3) टैक्स मैनेजमेंट कोर्स	

निम्नलिखित सदस्यों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मैनेजमेंट एकाउन्टैंसी कोर्स के तीनों भागों को पूरा कर लिया है:—

(1) श्री एस. कानन (सदस्यता संख्या 33573)

(2) श्री एन.आर. श्रीधरन (सदस्यता संख्या 15527)

(र) इन-हाउस कम्प्यूटर केन्द्र:

परिषद् के एक निर्णय के अनुसार इंस्टीट्यूट के सदस्यों तथा विद्यार्थियों को अच्छी तरह से तैयार किये गये प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा कानपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में इन-हाउस कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दिल्ली में कम्प्यूटर केन्द्र संबंधी काम अन्तिम चरण में है और बहुत जल्दी ही कम्प्यूटर केन्द्र खोला जायेगा। कम्प्यूटरों से एक एकाउन्टैन्ट के रूप में व्यावसायिक काम लेने हेतु, भाग लेने वालों को पूरा प्रशिक्षण देने के लिये एक तीन-चरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। केन्द्रों द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कम्प्यूटर केन्द्रों द्वारा आयोजित अनेक कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 4 में दिया गया है। इंस्टीट्यूट के सदस्यों तथा विद्यार्थियों के लिये आयोजित कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के अलावा इन केन्द्रों ने सरकारी विभागों, बैंकों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के लिये सीमित संख्या में इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। साफा (एस.ए.एफ.ए.) के सदस्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिये भी एक कोर्स का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान मद्रास और कलकत्ता कम्प्यूटर केन्द्रों में और अधिक कम्प्यूटर लगाये गये।

(ल) "1988-अपडेट" गोष्ठियां

इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हाल ही में एकाउन्टिंग मार्केटिंग फाइनान्स, कार्पोरेट एवं वित्तीय कानूनों में हुए विकास विभिन्न संस्थाओं के लेखांकन तथा वित्तीय ढांचे को अच्छा खासा प्रभावित कर सकते हैं, क्षेत्रीय परिषदों को निर्देश दिये गये हैं कि वे क्षेत्रीय मुख्यालय शाखाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों में "1988 अपडेट" गोष्ठियों का श्रृंखलाबद्ध आयोजन करें। गोष्ठियों की इस श्रृंखला का उद्देश्य उपरोक्त क्षेत्र में हुए ताजे परिवर्तनों के प्रभावों से इंस्टीट्यूट के सदस्यों को अवगत कराना था। गोष्ठियों के लिए बैकग्राउंड सामग्री को छाप लिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं को भेज दिया गया है। इन गोष्ठियों का समय क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अनेक बड़े शहरों में दो दिन का तथा अन्य शहरों में एक दिन का है।

3.10 पक्ष सलाहकार समिति

(अ) सितम्बर, 1987 को पिछली रिपोर्ट के बाद से समिति ने 72 शंका-प्रश्न (जिनमें से 7 शंका-प्रश्न प्रारम्भ से ही विचाराधीन हैं) प्राप्त किये हैं तथा उनमें से 46 का समाधान कर दिया गया है। 2 शंका-प्रश्न या तो परिषद को प्रेषित किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। 3 प्रश्न अभी विचाराधीन हैं क्योंकि प्रश्नकर्ताओं से इन प्रश्नों के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगी है। 12-8-1988 को 21 अन्य शंका-प्रश्न विचाराधीन हैं।

(ब) "विचारों का संग्रह"-भाग 7, जिसमें कि सितम्बर, 1986 से सितम्बर, 1987 तक समिति द्वारा प्रकट राय सम्मिलित है, उसमें विषय के अनुसार वर्णमाला क्रम में पहले के 6 भागों की दी गई राय की तालिका भी सम्मिलित है, को बिक्री के लिये जारी कर दिया गया है।

(स) समिति द्वारा व्यक्त प्रमुख विचारों का सारांश सदस्य पाठकों की सूचना हेतु "दी चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट" के प्रत्येक अंक में छापा जाता रहा है।

3.11 आचार मानक (स्तर) समिति

सितम्बर, 1987 के बाद, आचार मानक समिति की एकाउन्टैंसी व्यवसाय से संबंधित आचार-संहिता के अनेक मामलों पर विचार करने के लिये तीन बैठकें हुईं तथा सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु आचार-संहिता तैयार की गई। इंस्टीट्यूट का कोड आफ कंडक्ट को तैयार करने तथा आचार-संहिता के संबंध में अनेक सदस्यों द्वारा पूछे गये प्राप्त अनेक प्रश्नों का जवाब देने के अलावा समिति ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कामों को पूरा किया।

(1) कोड आफ कंडक्ट का संशोधन

सर्व प्रथम इंस्टीट्यूट ने नवम्बर, 1963 में पहला कोड आफ कंडक्ट जारी किया तब से अब तक इसके सात संस्करण निकल चुके हैं। परिषद समय-समय पर सिद्धान्त एवं व्यवहार से संबंधित आचार-संहिता के अनेक ऐसे नियम प्रकाशित करती आ रही है जिनका सदस्यों से व्यावसायिक आचार-संहिता से भिन्न मामलों की स्थिति में अनुसरण करने की आशा की जाती है। परिषद की इन अधिकारिक घोषणाओं को तथा इसके द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों को कोड आफ कंडक्ट के अनेक संस्करणों में शामिल किया जाता रहा है।

समिति ने आचार-संहिता से संबंधित परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों तथा अधिकारिक घोषणाओं को और अनेक उच्च न्यायालयों के निर्णयों को शामिल करने हेतु कोड आफ कंडक्ट को पूर्ण रूप से संशोधित कर दिया है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय लेखापालों के संघ की एथिक्स कमेटी द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त कोड आफ कंडक्ट में सम्मिलित सुझावों की पुनः एडिटिंग की गई जिससे कि इसे और अधिक विश्वस्त तथा समझने योग्य बनाया जा सके इसके साथ-साथ ऐसे भागों को उड़ा दिया गया है जो या तो अप्रासंगिक हो गये थे या अप्रचलित हो गये थे। परिषद ने नवम्बर, 1987 तथा अप्रैल, 1988 में हुई अपनी बैठकों में संशोधित कोड आफ कंडक्ट के मसविदे को कुछ सुझावों के साथ अपनी सहमति दे दी है। संशोधित कोड आफ कंडक्ट को छापा जा रहा है तथा अति शीघ्र ही सदस्यों को इसकी प्रति उपलब्ध होने लगेगी।

(2) महानगर टेलीफोन निगम द्वारा आठ शहरों में पीले पृष्ठ वाली टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित की गई। समिति को इस प्रश्न पर अपनी राय देने का मौका मिला कि क्या इंस्टीट्यूट के सदस्यों को उपर्युक्त डायरेक्टरी में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की वर्गीकृत सूची में अपने नाम प्रकाशित करने की अनुमति दी जाय। समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर परिषद ने इस प्रश्न पर विचार किया तथा महानगर टेलीफोन निगम द्वारा प्रकाशित टेलीफोन डायरेक्टरी के पीले पृष्ठों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की वर्गीकृत सूची में सदस्यों को अपने नाम शामिल कराने की इजाजत देने का निर्णय लिया। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि सदस्यों को यह निर्देश दिया जाय की उनके नाम तथा उनकी फर्मों के नाम सामान्य टाइप में होने चाहिये तथा पीले पृष्ठों की डायरेक्टरी में प्रयोग की गई टाइप के अनुसार होनी चाहिए, इससे गहरे या मोटे टाइप में कदापि नहीं।

3.12 विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

(अ) विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त गोष्ठियां

विश्वविद्यालयों एवं इंस्टीट्यूट के बीच समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से समिति ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर चार संयुक्त गोष्ठियों का आयोजन किया :—

1. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 16.11.1988 को
2. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र - 12 और 13 मई, 1988 को
4. पूना विश्वविद्यालय, पूना - 10 जुलाई, 1988 को
4. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक - 29 अगस्त, 1988 को।

इन गोष्ठियों में भाग लेने वालों में कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के विभागों के सदस्य तथा व्यवसाय के सदस्य शामिल हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि इस प्रकार की गोष्ठियां आपसी लाभ के लिये इंस्टीट्यूट एवं विश्वविद्यालयों को और भी अधिक नजदीक लाने में सहायक होंगी।

(ब) बी. काम. परीक्षा में एकाउन्टेंसी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण-पदक देने के लिये धन

इंस्टीट्यूट ने तीन और इन्डोमेंटस तैयार किये हैं। ये क्रमशः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा वि. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और भारतीदेशन विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली को इन्डोमेंट हेतु दिये गये अब कुल मिलाकर 22 विश्वविद्यालयों में हमारे इन्डोमेंट्स हैं।

(स) पी.एच.डी. कार्यक्रम हेतु सी.ए. कोर्स को विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता

विश्वविद्यालयों के साथ सतत् कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप समिति ने 6 और विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. प्रोग्राम के लिये सी.ए. कोर्स को मान्यता दिलाने में सफलता प्राप्त की है। ये विश्वविद्यालय हैं— अन्नामलाई विश्वविद्यालय, कराइकुड़ी भारतीदेशन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, एम.डी. विश्वविद्यालय रोहतक, रांची विश्वविद्यालय, रांची, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। अब भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अलावा सी.ए. कोर्स को पी.एच.डी. कार्यक्रम हेतु मान्यता देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या 31 हो गई है। इन विश्वविद्यालयों के नाम परिशिष्ट 5 में दिये गये हैं।

(द) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्पर्क

विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति के सभापति श्री लक्ष्मी निवास शर्मा 1 अगस्त, 1987 से 2 वर्ष की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कामर्स पैनल के एक सदस्य मनोनीत किये गये हैं।

(य) सी.ए. पाठ्यक्रम का प्रसिद्धिकरण

समिति ने सी.ए. पाठ्यक्रम की जानकारी के वास्ते एक लघु पुस्तिका निकाली। इसका शीर्षक है "वी केयर फॉर यू इफ यू आर कैरियर कान्सीयस"। इस लघु पुस्तिका की प्रतियां इंस्टीट्यूट की सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं 91 विश्वविद्यालयों, 2,470 कालेजों और 95 विश्वविद्यालय सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में वितरित की गई।

(र) इंस्टीट्यूट द्वारा अर्जित किये गये इन्डोमेंट्स में से आई.सी.ए.आई. पुरस्कार/स्वर्ण पदक के अवार्ड के बारे में विश्वविद्यालयों से जानकारी

करीब-करीब समस्त विश्वविद्यालयों से पुरस्कार/स्वर्ण पदक दिये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। जो विश्वविद्यालय इस प्रकार की आवश्यक सूचना नहीं भेज रहे हैं उनके साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम, यदि उपलब्ध हो तो उनके फोटोग्राफ भी इंस्टीट्यूट की पत्रिका में छापे जाते रहे हैं।

(ल) विश्वविद्यालयों की सिनेटों में इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व

समिति देश के अनेक विश्वविद्यालयों को पिटीशों में इंस्टीट्यूट को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये प्रयत्न कर रही है।

4. अन्य मामले

4.1 जन-सम्पर्क समिति

(अ) इंस्टीट्यूट के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी को बढ़ावा देने के लिये तथा इस व्यवसाय की सुन्दर छवि के बारे में जानकारी देने के लिये जन-सम्पर्क-समिति ने अनेक कार्यक्रम किये।

(ब) 31 मार्च, 1987 को समाप्त वर्ष की 38वीं वार्षिक रिपोर्ट के प्रमुख अंशों को कई प्रसिद्ध समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया। वार्षिक बैठक की रिपोर्ट सर्वोत्तम लेखा प्रस्तुत करने के लिये पुरस्कारों के वार्षिक प्रदाय तथा इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में पुरस्कार विजेताओं के बारे में भी सभी बड़े अखबारों में छापा गया।

(स) परिषद द्वारा अपनाई गई नीति तथा प्राप्त उद्देश्यों के बारे में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आई.सी.ए.आई. समाचार-पत्र का प्रकाशन जारी रखा गया।

(द) नीति संबंधी अनेक मामलों पर इंस्टीट्यूट के दृष्टि-विकारों को प्रकट करने तथा परिषद की अनेक गतिविधियों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न भागों में अध्यक्ष द्वारा प्रेस-सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इंस्टीट्यूट के विचारों को अनेक गतिशील समाचार-पत्रों ने छापा।

(य) वर्ष 1988-89 के लिये सरकार की बजट नीतियों पर इंस्टीट्यूट के विचार जानने हेतु दिल्ली दूरदर्शन ने अध्यक्ष से साक्षात्कार किया। कलकत्ता दूरदर्शन ने भी "एकाउन्टेंसी व्यवसाय इसकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण व्यवस्था" के ऊपर एक "पैनल डिसकशन" के लिये अध्यक्ष को आमंत्रित किया।

द्वितीय पुरस्कार : श्री ए.एच. दलाल, बम्बई, को उनके लेख
(1,000 रुपये) "प्रत्यक्ष कर नियम (संशोधन) अधिनियम 1987 यह कैसे सार्वजनिक न्यासों को प्रभावित करता है" (अप्रैल 1988 संस्करण में) के लिए।

तृतीय पुरस्कार : डा. एन.एल. आहूजा, नई दिल्ली को उनके
(500 रुपये) लेख "लेखांकन मानक--उनकी अनुकूलता तथा आडिटरों की जिम्मेदारियां" (जून 1988 के संस्करण में) के लिये।

विद्यार्थी अनुभाग

प्रथम पुरस्कार : सर्वश्री वी. गोविन्दराजन और बाबू जयेन्द्रन, दुबई
(750 रुपये) : को संयुक्त रूप से उनके लेख "कम्प्यूटर वातावरण में सुरक्षा और आडिट" (नवम्बर 1987 संस्करण) के लिये।

द्वितीय पुरस्कार : सर्वश्री एम.बी., सोनाकर और वी.एस. कोठारी
(500 रुपये) बम्बई को संयुक्त रूप से उनके लेख "बड़ी मात्रा में औद्योगिक अग्रिमों का पुनर्विलोकन" (जुलाई 1987 के संस्करण) के लिये।

4.5 चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस विनियम, 1988 का परिचालन

जैसा कि इससे पहले भी कई रिपोर्टों में वर्णन किया जा चुका है, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस विनियम, 1964 के सरलीकरण तथा उसे युक्ति-सम्मत बनाने हेतु जिससे कि अनियमितताओं तथा अनेक कमियों को दूर किया जा सके तथा कार्य करने की रीति में होने वाली देरी को कम किया जा सके। परिषद ने एक विशेष समिति का गठन किया था जिसे कि "कोडिफिकेशन कमेटी" का नाम दिया गया। समिति द्वारा तैयार किये गये विनियमों के कानूनी मसविदे को सर्वसाधारण के विचारों हेतु भारत के राजपत्र में छापा गया तथा इस प्रकार तैयार किये गये संशोधनों को तदुपरांत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु अग्रेसित किया गया।

परिषद् को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि केन्द्रीय सरकार ने इन विनियमों को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इन विनियमों को 1 जून, 1988 से लागू कर दिया गया है तथा इन्हें चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस विनियम 1988 का नाम दिया गया है। नये विनियमों को सम्पूर्ण रूप से इंस्टीट्यूट के जनरल "दी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस" के जून, 1988 संस्करण में प्रकाशित किया गया है।

4.6 परिषद की वार्षिक बैठक

(अ) परिषद् की 38वीं वार्षिक बैठक का आयोजन 15 सितम्बर 1987 को नई दिल्ली के अशोका होटल के कन्वेन्शन हाल में इंस्टीट्यूट के तत्कालीन अध्यक्ष श्री आर. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री जे. बेंगलराव, केन्द्रीय उद्योग मंत्री थे। इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित अति प्रसिद्ध प्रतियोगिता "सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत लेखा" में भाग लेने वालों में से विजेता कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थाओं को माननीय मंत्री महोदय ने शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मंत्री महोदय ने इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को भी पुरस्कारों तथा पदकों से सुशोभित किया।

(ब) श्री बालाकृष्णन ने मंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिये, 1,00,001 रुपये का एक चैक भी भेंट किया। इस रकम में परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषदों के सदस्यों तथा अन्य सदस्यों का योगदान है। इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों ने भी इस पुण्य काम के लिए अपने एक दिन के वेतन का योगदान दिया।

(स) अध्यक्ष-पद के लिये निर्वाचित श्री एस.के. दासगुप्ता ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तावित किया। समारोह में बड़ी संख्या में सदस्यों तथा आमंत्रित महानुभावों ने भाग लिया।

4.7 पुस्तकालय :

वर्ष के दौरान नई दिल्ली में केन्द्रीय परिषद की पुस्तकालय में 1118 और पुस्तकें जोड़ी गई। इस प्रकार कुल पुस्तकों की संख्या 22349 हो गई है। सदस्यों एवं विद्यार्थियों दोनों ने ही बढ़ती हुई पुस्तकालय सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग किया।

4.8 बाहरी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व :

अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इंस्टीट्यूट का अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में प्रतिनिधित्व बना आ रहा है। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व का सविस्तार वर्णन परिशिष्ट 6 में दिया गया है।

4.9 महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत सदस्य

इंस्टीट्यूट के सदस्य अपनी उच्चतम श्रेणी की कुशलता तथा लेखांकन व वित्तीय मामलों के क्षेत्रों में प्राप्त ज्ञान के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इनमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की कम्पनियों तथा सरकारी निगम शामिल हैं। परिषद् की जन सम्पर्क समिति समय-समय पर इंस्टीट्यूट के जनरल "दी चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट" में उच्च पदों पर नियुक्त होने वाले सदस्यों के फोटोग्राफ तथा उनके विवरण छापती आ रही है। इन पदों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की कम्पनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के निदेशक (वित्त), प्रबन्ध निदेशक तथा चेयरमैन के पद शामिल है।

4.10 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बैठकें तथा शाखाओं का दौरा।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, रिपोर्ट वर्ष के दौरान, केन्द्रीय मंत्रियों और सरकारी विभागों के उच्च अधिकारियों जैसे अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले। इन बैठकों में विशेष उल्लेखनीय 8 जनवरी, 1988 को माननीय वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक रहीं। इस बैठक में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि मण्डल जिसके नेता अध्यक्ष थे, के अलावा श्री सी.बी.डी.टी. के चेयरमैन तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने भी वित्त मंत्री के साथ पूर्व बजट पर विचार-विमर्श किया। सन् 1988-89 के लिये बजट योजना तैयार करने के लिये कुछ सुझावों का एक मेमोरंडम (स्मरण-पत्र) प्रस्तुत किया गया। इस स्मरण-पत्र में ग्रामीण विकास, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिये पुरस्कार गैर-योजनागत खर्चों पर नियंत्रण, पर्यटन को प्रोत्साहन, वर्तमान टैक्स कानूनों को युक्तिसंगत बनाना तथा विदेशी मुद्रा विनियम विनियमों जैसे अनेक संबंधित मामलों पर भी सुझाव शामिल थे इस बैठक के अवसर का लाभ उठाते हुए अध्यक्ष ने मंत्री महोदय को राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में व्यवसाय की भूमिका तथा इसके द्वारा अनेक क्षेत्रों में सरकार को दी जाने वाली सहायता को बड़ी गहराई से समझाने की कोशिश भी की। मंत्री महोदय ने देश की आर्थिक गतिविधियों में इंस्टीट्यूट के योगदान की काफी सराहना की। मंत्री महोदय के कहने पर इंस्टीट्यूट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्जागरण, इसमें ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने तथा अन्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर विशेष बल देते हुए, एक पत्र प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने समस्त क्षेत्रीय परिषदों तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं का भी दौरा किया तथा सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिये और अधिक अवसरों का विकास करने तथा शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाने संबंधी मामलों पर काफी विचार-विमर्श किया।

दा संतों का फायदा उठाते हुए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने राज्यों के महत्वपूर्ण अधिकारियों से व्यावसायिक महत्व के मामलों पर भी विचार-विमर्श किया।

4.11 परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव

चौदहवी परिषद् तथा तेरहवीं क्षेत्रीय परिषदों के लिये अगस्त, 1988 में चुनाव का काम सम्पन्न हो गया है। परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषदों के लिये चुने गये सदस्यों के नाम भारत के राजपत्र में तथा साथ ही साथ इंस्टीट्यूट के जनरल में भी अधिसूचित कर दिये गये हैं। ताजे संदर्भ की सुविधा हेतु इन नामों को इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 7 में भी दिया जा रहा है।

4.12 चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस परोपकारी कोष

(अ) चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस परोपकारी कोष की स्थापना दिसम्बर, 1962 में जरूरतमन्द आदमियों जो या तो इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं या थे और उनके आश्रितों की शिक्षा एवं दूसरे उद्देश्यों के रख-रखाव करने के लिये वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। इस कोष के आजीवन सदस्यों की संख्या जो कि 1-9-1987 को 3537 थी, बढ़कर 1-9-88 को 4174 हो गई है।

(ब) वर्ष के दौरान, संकट में फंसे सदस्यों या संकटों में फंसने से मृत सदस्यों के आश्रितों को 2,08,100 रुपये वितरित किये गये।

(स) 31-3-1988 को इस कोष की बकाया रकम 26,87,280 रुपये थी जो कि 31-3-1987 को 20,28,515 रुपये थी। 1-9-1988 को कोष की बकाया रकम 27,78,780 रुपये है।

4.13 एस. वैद्यनाथ अय्यर यादगार कोष

(अ) वर्ष 1987-88 के दौरान चार्टर्ड एकाउन्टैन्सी का कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को 100 रुपये प्रति महीने की 60 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

(ब) इस कोष की सदस्य-संख्या 31-3-1988 को 171 थी, 31-3-1988 को कोष की बकाया रकम 97,957 रुपये थी जो कि 31-3-1987 को 1,06,133 रुपये थी।

5. सदस्य

5.1 सदस्यता

वर्ष के दौरान 4856 नये सदस्यों को पंजीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31-3-1988 को कुल सदस्य-संख्या 49,324 तक पहुंच गयी है। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 1380 की जगह पर 1500 एसोसियेट सदस्यों को फैलो सदस्यों के रूप में भर्ती किया गया। सदस्यता का विस्तारपूर्वक विवरण इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 8 में अंकित है।

5.2 दिवंगत सदस्य

(अ) परिषद्, इंस्टीट्यूट के दो भूतपूर्व अध्यक्षों श्री सी.एस. शास्त्री तथा श्री एम.पी. चितले के क्रमशः 7-4-1988 तथा 7-1-1988 को हुए दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती है। परिषद्, अपने एक भूतपूर्व सदस्य श्री के.सी. खन्ना के निधन पर जो कि 19-2-1988 को हुआ, गहरा दुख व्यक्त करती है।

(ब) परिषद् को वर्ष के दौरान परिशिष्ट 9 में दिये गये सदस्यों की मृत्यु पर भी गहरा दुख हुआ है।

5.3 अनुशासनात्मक कार्यवाही

(अ) अनुभाग 21 के अन्तर्गत निबटाये गये शिकायतों तथा "सूचनाओं" के मामलों की संख्या निम्नलिखित है:--

(1) 17-9-1987 को अनुशासनात्मक समिति के पास सुनवाई के लिये विचाराधीन मामलों की संख्या (इनमें कोर्ट के निर्देशों के कारण 10 विचाराधीन मामले भी शामिल हैं) = 28

(2) परिषद् की "प्राइमा फेसी" राय हेतु इसके सम्मुख रखे गये मामलों की संख्या (1-4-1987 से परिषद् की अगस्त 1988 में हुई बैठक तक) = 76

(3) ऊपर 2 श्रेणियों में से अनुशासनात्मक समिति को जांच-पड़ताल हेतु अग्रेषित मामलों की संख्या (17-9-1987 से अगस्त 1988 में हुई परिषद की बैठक तक) = 31

(4) 17-9-1987 से इस रिपोर्ट की तिथि तक अनुशासनात्मक समिति द्वारा सुनवाई किये गये मामलों की संख्या = 16

(5) रिपोर्ट की तिथि तक अनुशासनात्मक समिति के सम्मुख बाकी बचे ऐसे मामलों की संख्या जिन्हें समिति द्वारा सुना जाना है) इनमें कोर्ट के निर्देशों के कारण विचाराधीन 8 मामले भी शामिल हैं)। = 31

(ब) जैसा कि पहले भी वर्णित किया जा चुका है, अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इंस्टीट्यूट द्वारा की गई अपील पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने 21 अक्तूबर 1986 को अपना निर्णय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार परिषद् ने अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय लेने से पहले प्रतिवादी और शिकायतकर्ता दोनों को ही सुने जाने के अवसर की सुविधा देने का फैसला किया है। दोनों ही पक्षों को अपना लिखित प्रतिनिधित्व देने को कहा गया है। यदि वे ऐसा करना चाहें। इसके अतिरिक्त, यदि वे चाहें तो वे खुद या अपने द्वारा अधिकृत इंस्टीट्यूट के किसी भी सदस्य के द्वारा परिषद् के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त तरीके के आधार पर समिति की उन रिपोर्टों का विस्तारपूर्वक वर्णन जिन पर की परिषद् ने विचार किया है, इनमें वे विचाराधीन मामले भी शामिल हैं, जो कि उच्चतम न्यायालय में की गई अपील के कारण विचाराधीन थे, निम्न प्रकार से है।

इंस्टीट्यूट द्वारा उच्चतम न्यायालय में की गई अपील पर 31 अक्तूबर 1986 को कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय से अगस्त 1987 में हुई परिषद् की बैठक तक परिषद् द्वारा विचार किये गये अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट की संख्या = 138

(इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनके कारण भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील की गई)। ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवादियों को दोषी नहीं पाया गया या प्रतिवादियों की मृत्यु हो जाने से मामले महत्वहीन हो गये थे = 80.

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवादियों को दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत दोषी पाया गया तथा अनुभाग 21 (5) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को अग्रेषित कर दिया गया है। 36

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवादियों को पहली अनुसूची के अन्तर्गत दोषी पाया गया तथा अनुभाग 21(4) के अन्तर्गत परिषद् द्वारा दण्डित किये जा चुके हैं या किया जाना है = 20

ऐसे मामलों की संख्या जिन्हें कि अनुशासनात्मक समिति के पास और अधिक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिये वापस भेजा गया है --2

6. आर्टिकलड और आडिट क्लर्कस

6.1 पंजीकरण

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये आर्टिकलड तथा आडिट क्लर्कों की संख्या पिछले वर्ष की संख्या की तुलना में निम्न प्रकार से है :--

	1986-87	1987-88
आर्टिकलड एवं आडिट क्लर्कस	10642	12753

6.2 आर्टिकलड तथा आडिट क्लर्कों को रोजगार सहायता

जिन विद्यार्थियों ने अपनी आर्टिकलड / आडिट सेवाएं पूरी कर ली हैं तथा जिन्होंने इंस्टीट्यूट की इन्टरमीडिएट परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है, उनके लिए रोजगार सहायता सेवा लागू है । इस निमित बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर तथा नई दिल्ली स्थित प्रत्येक रीजनल केन्द्रों पर प्लेसमेन्ट आफिस द्वारा एक रोजगार रजिस्टर खोली गई है । इन उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक विद्यार्थी जो इन अपेक्षाओं को पूरा करते हों, व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा इंस्टीट्यूट के संबंधित सहायक सचिव को इंस्टीट्यूट को प्रदान किये जाने वाले विवरणों के लिए लिख सकते हैं।

6.3 बोर्ड आफ स्टडीज

(ए) 31 मार्च, 1988 तथा 31 मार्च 1987 को समाप्त वर्ष में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :--

कोर्स	1987-88	1986-87
इन्टरमीडिएट	12753	10642
फाइनल	4951	6354

31 मार्च, 1988 को विद्यार्थियों की कुल संख्या 48,660 थी 31 मार्च 1987 को यह संख्या 46140 थी। ऐसे नामांकनों का विवरण परिशिष्ट 10 में दिया गया है।

(बी) रीजनल तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर हमेशा की भांति फाइनल तथा इन्टरमीडिएट कोर्स के विद्यार्थियों के लिए संघन दुहराव कक्षायें लगाई गई।

(सी) 31 मार्च 1988 को समाप्त वर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित छात्रवृत्ति प्रदान की गई :--

(1) मैरिट स्कालरशिप ।

रु. 75/-प्रतिमाह की दर से 10 विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 18 माह की छात्रवृत्ति

रु. 75/--प्रतिमाह की दर से 4 विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 12 माह की छात्रवृत्ति

(2) रु. 75/--प्रतिमाह की दर से 1 विद्यार्थी के लिए अधिकतम 12 माह की योग्यता तथा आवश्यकता पर आधारित छात्रवृत्ति

(3) रु. 50/- प्रतिमाह की दर से 100 विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 30 माह की आवश्यकता पर आधारित छात्रवृत्ति

(4) आंशिक फीशिप अर्थात 99 विद्यार्थियों के ट्यूशन फीस की दूसरी किस्त में छूट देना।

(5) 2 विद्यार्थियों को एक वर्ष की अवधि के लिए एम. वैश्य मैमोरियल स्कालरशिप रु. 100/- प्रतिमाह की दर से प्रदान करना।

(डी) बोर्ड ने देश भर में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 33 स्थानों पर गाइडेड आनसर वाल्यूम उपलब्ध कराये हैं।

(ई) बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से 7 सप्ताह पूर्व समस्त रीजनल सेल्स काउन्टर्स पर रिवीजनल टैस्ट पेपर्स उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की जिन्हें ठीक इसी समय पर सभी ग्राह्य विद्यार्थियों के पास भी भेजा गया।

(एफ) यद्यपि बोर्ड ने एन्ट्रेंस परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए किसी पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की है, फिर भी ऐसे विद्यार्थियों के उपयोग के लिए बोर्ड अध्ययन सामग्री और दूसरी सहायता देता आ रहा है। इस सामग्री के पूरे सैट का मूल्य रु. 100/- है।

(जी) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों और कम्पनी लॉ से सम्बंधित चुने हुए निर्णयों का संग्रह तथा ताजे रीडिंग्स के अलावा जरनल के विद्यार्थियों के भाग में, पाठ, स्पष्टीकरण/सूचनाओं तथा अन्य राईट-अप्स के रूप में अध्ययन बोर्ड जरनल में अपना योगदान देता आ रहा है। जरनल में छपने हेतु प्राप्त लेखों के पुनर्विलोकन के कार्य में बोर्ड की फेकल्टी के सदस्य लगातार लगे हुए हैं।

(एच) विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री पूर्ण रूप से तथा समय पर उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबन्ध किये गये हैं।

(आई) विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने की योजना के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड के सभापति तथा अध्ययन बोर्ड के निदेशक सारे क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों में विद्यार्थियों से मिले।

(जे) परिषद के एक निर्णय के अनुसार बोर्ड ने भारत के विभिन्न विद्यालयों की बी. काम, परीक्षा में प्रथम तीन स्थान पाने वाले तथा दूसरी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी के कोर्स में प्रवेश लेते हैं, ट्यूशन शुल्क को माफ करने का फैसला किया है।

(के) भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बोर्ड ने इंस्टीट्यूट की अनेक शाखाओं में सी०ए०के० विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा में और अधिक सुधार करने का फैसला किया है। इस उद्देश्य हेतु बोर्ड ने वर्ष के दौरान उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण भी किया ।

(एल) बोर्ड ने सी०ए० का कोर्स कर रहे छात्रों में से योग्य छात्रों को 1000 रुपये प्रतिवर्ष की दो छात्रवृत्तियों के लिये कटक की लक्ष्मीचन्द चौतमल कन्फेक्शनरी चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा किये गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

(एम) बोर्ड ने एक श्रव्य (ऑडियो) शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है इसके अन्तर्गत बोर्ड के फेकल्टी के सदस्यों, प्रमुख सदस्यों तथा विद्वानों द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में अनेक विषयों पर वार्ता तथा लेक्चर्स ऑडियो कैसेट में रिकार्ड किये जाते हैं। अब तक 12 कैसेट तैयार किये जा चुके हैं। इस योजना के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है।

(एन) विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री को छूट प्राप्त दरों पर डाक द्वारा भेजने की समाप्त सुविधा को पुनः प्राप्त कराने में इंस्टीट्यूट को अपने प्रयत्नों में इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया तथा इंस्टीट्यूट कॉस्ट कम्पनी सैक्रेटरीज आफ इंडिया के साथ समन्वय से सफलता मिली है। इस प्रयत्न की सफलता में माननीय संचार मंत्री श्री बसन्त साठे के उदार हस्तक्षेप की अहम भूमिका रही है।

परीक्षाएं

7.1 प्रवेश इन्टरमीडिऐट तथा अंतिम परीक्षाएं

चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस की प्रवेश, इन्टरमीडिएट तथा अंतिम परीक्षाओं का आयोजन समस्त भारत के अनेक केन्द्रों में मई और नवम्बर 1987 में किया गया। कथित परीक्षाओं में बैठे विद्यार्थियों की संख्या तथा उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें कथित परीक्षाओं में सफल घोषित किया गया, से संबंधित आंकड़े परिशिष्ट 11 में दिये जा रहे हैं।

7.2 नये परीक्षा केन्द्र

(1) नेपाली विद्यार्थियों जो कि नेपाल में कार्यरत हैं, व जो भारत में चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स का कोर्स कर रहे हैं, को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये इन्टरमीडियेट तथा फाइनल परीक्षाओं के आयोजन हेतु काठमाण्डू में एक परीक्षा केन्द्र खोला गया है। कथित परीक्षाओं का आयोजन मई 1987 में किया गया था। फिलहाल इस परीक्षा केन्द्र को जारी रखा जा रहा है।

(2) नवम्बर 1987 की परीक्षाओं हेतु जम्मू में एक परीक्षा केन्द्र खोला गया। इस क्षेत्र में व आस पास व्याप्त अशांत वातावरण को मध्यनजर रखते हुए इस केन्द्र को फिलहाल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। प्रयोग के तौर पर मई 1987 तथा नवम्बर 1987 की दो अवधियों के लिये अम्बाला में एक परीक्षा केन्द्र खोला गया। यमुना नगर में परीक्षा केन्द्र खोलने के लिये यमुनानगर तथा जगाधरी सी. ए. विद्यार्थी संघ की ओर से प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्व को तथा यमुना नगर में परीक्षा केन्द्र खोलने हेतु उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद की सिफारिशों को मध्यनजर रखते हुए स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया। यह निश्चय किया गया कि प्रयोग के तौर पर मई, 1988 की परीक्षाओं हेतु एक अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र यमुना नगर में खोला जाय। फिलहाल आस-पास के क्षेत्रों में विद्यमान अशान्त वातावरण को मध्यनजर रखते हुए, अम्बाला तथा यमुना नगर दोनों केन्द्रों को जारी रखने का निर्णय किया गया है। स्थिति का बाद में पुनर्विलोकन किया जायेगा। मैसूर तथा मैरठ में मई और नवम्बर 1987 की परीक्षाओं के लिये प्रयोग के तौर पर खोले गए केन्द्रों ने केन्द्र जारी रहने की शर्तों को पूरा कर लिया है तथा इन केन्द्रों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

(3) मई 1988 में जिन स्थानों पर चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स की परीक्षाए ली गई उन स्थानों की पूरी सूची निम्न प्रकार से है :—

(1) आगरा
(2) अहमदाबाद
(3) इलाहाबाद
(4) अम्बाला
(5) बंगलौर
(6) बडौदा
(7) बेलगांव
(8) भोपाल
(9) बम्बई
(10) कलकत्ता
(11) कालीकट
(12) चण्डीगढ़
(13) कोयम्बटूर
(14) कटक
(15) दिल्ली/नई दिल्ली
(16) एर्नाकुलम
(17) गोहाटी
(18) हैदराबाद
(19) इन्दौर
(20) जयपुर
(21) जम्मू
(22) जोधपुर
(23) कानपुर
(24) काठमान्डु (नेपाल)
(25) लखनऊ
(26) लुधियाना
(27) मद्रास
(28) मदुराई
(29) मंगलौर
(30) मेरठ
(31) मैसूर
(32) नागपुर
(33) नासिक
(34) पटना
(35) पूना
(36) तेलम
(37) सूरत
(38) तिरूचिरापल्ली
(39) त्रिचूर
(40) त्रिवेन्द्रम
(41) उदयपुर
(42) विजयवाडा
(43) विशाखापटनम
(44) यमुनानगर

7.3 पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाण-पत्र

उन विद्यार्थियों के नाम जिन्होंने मई और नवम्बर 1987 की परीक्षाओं में पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किये, परिशिष्ट 12 में दिये जा रहे हैं। परिषद ने निम्नलिखित नये पुरस्कारों की भी घोषणा की है :—

(1) यू. के. भार्गवा पुरस्कार उन विद्यार्थियों को जिन्होंने कि इन्टरमीडिएट परीक्षा के समूह में 1 में प्रश्नपत्र 2 भाग बी "आयकर के मूल तत्व" में सबसे अधिक अंक प्राप्त किये हों।

(2) जे. एस. लोढ़ा स्वर्णपदक उन विद्यार्थियों को दिया जाना हैं जिन्होंने प्रत्येक टर्म में सी ए इंटरमीडिएट परीक्षा और अंतिम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

7.4 परीक्षार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही

मई और नवम्बर 1987 की परीक्षाओं में पांच उम्मीदवारों को नकल करते हुए या नकल करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया

दो उम्मीदवारों के संबंधित परीक्षा के परिणाम रद्द कर दिया गया और बाकी तीन मामलों में परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया तथा उन्हें आने वाले दो परीक्षाओं में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

8. क्षेत्रीय परिषदें तथा क्षेत्रीय परिषदों की शाखाएं

8.1 नई शाखाएं

पिछली रिपोर्ट के पश्चात रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई शाखाएं स्थापित की गई हैं :—

दक्षिणी क्षेत्र	पालघाट
मध्य क्षेत्र	भीलवाड़ा, देहरादून और बरेली
उत्तरी क्षेत्र	हिसार और शिमला

उपरोक्त शाखाओं के स्थापित किये जाने से क्षेत्रीय परिषदों की कुल शाखाओं की संख्या अब बढ़कर 71 हो गई है।

8.2 क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं के लिये भवन

(अ) परिषद ने भवन निर्माण के लिये शाखाओं को दिये जाने वाले अनुदान को काफी सीमा तक उदार बना दिया है। अब तक निम्नलिखित शाखाओं ने अपने लिये खुद के कार्यालय परिसर बना लिये है :—

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. अलेप्पी
4. कोयम्बटूर
5. कालीकट
6. अरनाकुलम
7. कोट्टायम
8. पूना
9. सूरत
10. त्रिचूर

(ब) जयपुर, लखनऊ मदुराई, पालघाट और त्रिवेन्द्रम शाखाओं ने खुद के कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु जमीन प्राप्त कर ली है।

(स) अनेक अन्य स्थानों पर खुद के परिसर निर्माण हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं इसमें से मुख्य है:— औरंगाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, कोल्हापुर, मंगलौर, लुधियान नागपुर, रांची और सोलापुर

8.3 भारत से बाहर इंस्टीट्यूट के चैप्टर

पिछली रिपोर्ट से भारत से बाहर इंस्टीट्यूट का कोई भी चैप्टर स्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार चैप्टरों की संख्या छ : तक ही सीमित रही है।

8.4 क्षेत्रीय परिषदों की सर्वोच्च शाखा के लिये चलायमान शील्ड

क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं को और अधिक कार्यशील बनाने के अपने प्रयत्नों में तथा शाखाओं के सदस्यों का व्यवसाय के कार्यकलापों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिये इंस्टीट्यूट ने क्षेत्रीय परिरदों की शाखाओं के न्यूनतम कार्य प्रदर्शन के लिये कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये है। इस योजना के अन्तर्गत शाखाओं के अपने क्रियाकलापों गतिविधियों की तिमाही रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इस प्रकार शाखाओं की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है तथा सर्वोत्तम शाखा को एक चलायमान शील्ड से पुरस्कृत किया जाता है।

वर्ष 1986-87 में यह चलायमान शील्ड डब्लयू. आई. आर. सी. की पूना शाखा को प्रदान की गई। शाखा के सभापति को यह शील्ड केन्द्रीय उद्योग मंत्री माननीय श्री जे. वेंकटराव ने इंस्टीट्यूट के वार्षिक समारोह में प्रदान की। वर्ष 1987-88 के लिये इस चलायमान शील्ड को सी. आई. आर सी. की जयपुर शाखा को जिसे कि वर्ष की सर्वोत्तम शाखा घोषित किया गया है, इंस्टीट्यूट के वार्षिक समारोह के अवसर पर प्रदान किया जायेगा।

8.5 सर्वोत्तम क्षेत्रीय परिषद के लिये चलायमान शील्ड

यह पुरस्कार वर्ष 1986-87 से प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 1986-87 में इस पुरस्कार को पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद ने संयुक्त रूप से जीता था। इंस्टीट्यूट के वार्षिक समारोह के अवसर पर केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने इन क्षेत्रीय परियदों के सभापतियों को संयुक्त रूप से यह शील्ड प्रदान की।

वर्ष 1987-88 के लिए दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद को सर्वोत्तम क्षेत्रीय परिषद घोषित किया गया है। सितम्बर 1988 में होने वाले इंस्टीट्यूट के वार्षिक समारोह में इस क्षेत्रीय परिषद को चलायमान शील्ड प्रदान की जायेगी।

9. वित्त

31 मार्च, 1988 को बैलेंस-शीट तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिये आय और व्यय का लेखा जोखा परिषद द्वारा पास कर दिया गया है। आय और व्यय का लेखा जोखा 64.31 लाख रुपये की बाबत (बढ़ोतरी दिखाता है जो कि इससे पहले में 41.71 लाख रुपये की थी।

अच्छी सेवाए उपलब्ध कराने हेतु और इंस्टीट्यूट की गतिविधियों का प्रबन्ध संबंधी रिकार्ड रखने जैसे कि सदस्य, विद्यार्थी, प्रकाशन और चल सम्पति का नियंत्रण, वेतन बिल, जरनल की मेलिंग लिस्ट, लेखाओं तथा वित्तीय कार्यों हेतु कम्प्यूटर खरीदे गये हैं तथा इन्हें स्थापित कर दिया गया है।

10. प्रशंसा

(अ) परिषद अपने उन समस्त सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करती है जिन्होंने इंस्टीट्यूट की अनेक समितियों में सह सदस्यों (मनोनीत) के रूप में कार्य किया। परिषद उन समस्त गैर-सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने परिषद को इसके शैक्षणिक, तकनीकी और दूसरी अनेक गतिविधियों तथा परिक्षाओं में सहायता की है।

(ब) परिषद सरकार तथा परिषद में उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों का जिन्होंने कि पूरे वर्ष के दौरान परिषद की लगातार सहायता की है भूरि भूरि प्रशंसा करती है तथा उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हैं।

(स) इंस्टीट्यूट के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा वर्ष भर ईमानदारी तथा तत्परता से कार्य करने की परिषद सराहना करती है

आर० एल० चोपड़ा, सचिव

के. जी. सोमानी, उपाध्यक्ष

एच के . दासगुप्ता अध्यक्ष

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1988

वार्षिक रिपोर्ट की परिशिष्टियां

परिशिष्ट—I

(सन्दर्भ—रिपोर्ट का पैरा 1.1)

1. 1987-88 में परिषद के सदस्य—

अग्रवाल के. एम.—(नई दिल्ली)

बालाकृष्णन आर.—(मद्रास)

बनर्जी भास्कर—(कलकत्ता)

*बंसल आर. एन.—(नई दिल्ली)

भण्डारी एस. एम.—(जयपुर)

चक्रवर्ती ए. के.—(कलकत्ता)

छाजेड़ एस. पी.—(बम्बई)

चिताले एम. एम.—(बम्बई)

दलाल ए. एच.—(बम्बई)

दासगुप्ता एस. के.—(कलकत्ता)

घोष ए.—(बम्बई)

जैन आई. सी.—(बम्बई)

काले वाई. एस.—(बम्बई)

*मेहता कान्ती—(जमशेदपुर)

*मित्तल सी. पी. (1-7-1987 से)—(नई दिल्ली)

मायर पी. ए.—(बम्बई)

नन्दगोपाल एस.—(मद्रास)

नारायणास्वामी जी.—(मद्रास)

पटेल मनुभाई जी.—(अहमदाबाद)

पोद्दार एन. के.—(कलकत्ता)

*रमन वी. एन.—(हैदराबाद)

राठी आनन्द—(बम्बई)

राव वी. पी.—(बंगलौर)

शर्मा लक्ष्मी निवास—(हैदराबाद)

सोमानी के. जी.—(नई दिल्ली)

सुन्दरराजन एन. सी.—(मद्रास)

*टिक्कू सी. के.—(नई दिल्ली)

वैश्य आर. सी. (डा.)—(कानपुर)

वासुदेवा एन. सी.—(नई दिल्ली)

विश्वनाथ टी. एस.—(नई दिल्ली)

2. वर्ष 1987-88 में समितियों के सदस्य

(अ) स्थायी समितियां—

कार्यकारिणी समिति

श्री एस. के. दासगुप्ता, अध्यक्ष—(कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी, उपाध्यक्ष—(नई दिल्ली)

श्री एम. एम. चिताले—(बम्बई)

श्री पी. ए. मायर—(बम्बई)

श्री वी. पी. राव—(बंगलौर)

श्री आर. एन. चोपड़ा (समिति के सचिव)

परीक्षा समिति

श्री एस. के दासगुप्ता, अध्यक्ष—(कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी, उपाध्यक्ष—(नई दिल्ली)

श्री के. एम. अग्रवाल—(नई दिल्ली)

श्री एम. जी. पटेल—(अहमदाबाद)

श्री एन. सी. सुन्दरराजन—(मद्रास)

श्री के. कल्याणरामन (समिति के सचिव)

अनुशासनात्मक समिति

श्री एस. के. दासगुप्ता, अध्यक्ष—(कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी, उपाध्यक्ष—(नई दिल्ली)

श्री आर. बालाकृष्णन—(मद्रास)

श्री आर. एन. बंसल—(नई दिल्ली)

श्री ए. के. चक्रवर्ती—(कलकत्ता)

श्री आर. एन. चोपड़ा (समिति के सचिव)

श्री जी. डी. खुराना (समिति के अतिरिक्त सचिव)

(ब) अस्थायी समितियां

अनुसंधान समिति

श्री ए. एच. दलाल, सभापति—(बम्बई)

श्री आनन्द राठी, उप सभापति—(बम्बई)

श्री एस. के दासगुप्ता, अध्यक्ष एक्स आफिसियो—(कलकत्ता)

श्री ए. घोष—(बम्बई)

श्री वाई. एस. काले—(बम्बई)

श्री एन. के. पोद्दार—(कलकत्ता)

श्री एन. सी. सुन्दरराजन—(मद्रास)

डा. आर. सी. वैश्य—(कानपुर)

श्री टी. एस. विश्वनाथ—(नई दिल्ली)

श्री पी. एन. शाह } मनोनीत—(बम्बई)
श्री वी. रारमन, } मनोनीत—(नई दिल्ली)
श्री एन. पी. शारदा } मनोनीत—(बम्बई)

श्री अविनाश चन्द्र (समिति के सचिव)

आडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति

डा. आर. सी. वैश्य सभापति—(कानपुर)

श्री एस. नन्दगोपाल, उप सभापति—(मद्रास)

श्री एस. के. दासगुप्ता, अध्यक्ष एक्स ओफिसियो—(कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी, उपाध्यक्ष, एक्स ओफिसियो—(नई दिल्ली)

श्री आर. बालाकृष्णन—(मद्रास)

श्री आई. सी. जैन—(बम्बई)

*केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य

श्री वाई. एम. काले (बम्बई)

श्री सी. पी. मित्तल (नई दिल्ली)

श्री एम. सी. सुन्दरराजन--(मद्रास)

श्री वाई. एच. मालेगम } मनोनीत --(बम्बई)
श्री पी. आर. खन्ना --(नई दिल्ली)
श्रीमती एच. अच्युतन --(मद्रास)

डा. कमल गुप्ता (समिति के सचिव)

स्थायी व्यवसायिक शिक्षा समिति--

श्री एस. सी. वासुदेवा, सभापति--(नई दिल्ली)

श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा, उपसभापति--(हैदराबाद)

श्री एस. के. दासगुप्ता, अध्यक्ष, एक्स ओफिसियो--(कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी, उपाध्यक्ष, एक्स ओफिसियो--(नई दिल्ली)

श्री ए. के. चक्रवर्ती--(कलकत्ता)

श्री एस. पी. छाजेड़--(बम्बई)

श्री एन. के. पोद्दार--(बम्बई)

श्री एच. एम. दमानिया } मनोनीत (बम्बई)
श्री सुकुमार भट्टाचार्य (कलकत्ता)

डा. एन. एल. धमेजा (समिति के सचिव)

लेखांकन मानक बोर्ड

श्री भास्कर बनर्जी, सभापति--(कलकत्ता)

श्री एस. सी. वासुदेवा, उपसभापति--(नई दिल्ली)

श्री एस. के. दासगुप्ता अध्यक्ष, एक्स ओफिसियो--(कलकत्ता)

श्री आर. बालकृष्णन--(मद्रास)

श्री आर. एन. बंसल--(नई दिल्ली)

श्री ए. के. चक्रवर्ती--(कलकत्ता)

श्री एम. एम. चितले--(बम्बई)

श्री वाई. एम. काले--(बम्बई)

श्री सी. पी. मित्तल--(नई दिल्ली)

श्री सी. के. टिक्कू--(नई दिल्ली)

श्री सी. के. पुजारी } (मनोनीत--(नई दिल्ली)
श्री एम. एल. गाईदुरिया (बम्बई)
श्री पी. के. मलिक (कलकत्ता)
श्री आर. सेशासयी (मद्रास)

एसोचम का प्रतिनिधि --कोई भी नहीं

डा. कमल गुप्ता (बोर्ड के सचिव)

व्यवसायिक विकास समिति--

श्री आई. सी. जैन, सभापति--(बम्बई)

श्री एस. एल. भण्डारी, उपसभापति--(जयपुर)

श्री एस. के. दासगुप्ता, अध्यक्ष एक्स ओफिसियो--(कलकत्ता)

श्री आर. एन. बंसल--(नई दिल्ली)

श्री ए. घोष--(बम्बई)

श्री सी. पी. मित्तल--(नई दिल्ली)

श्री जी नारायणस्वामी --(मद्रास)

श्री एम. जी. पटेल--(अहमदाबाद)

श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा--(हैदराबाद).

श्री बी. सी. मालू } मनोनीत--(कलकत्ता)
श्री एम. एल. खन्ना (नई दिल्ली)

डा. एन. एल. धमेजा (समिति के सचिव)

अध्ययन बोर्ड

श्री एस. पी. छाजेड़, सभापति--(बम्बई)

श्री एस. नन्दगोपाल उपसभापति--(मद्रास)

श्री एस. के. दासगुप्ता, अध्यक्ष, एक्स ओफिसियो--(कलकत्ता)

श्री ए. के. चक्रवर्ती--(कलकत्ता)

श्री एम. एम. चितले--(बम्बई)

श्री कास्ती मेहता --(जमशेदपुर)

श्री आनन्द राठी--(बम्बई)

श्री एस राय चौधरी } --मनोनीत --(कलकत्ता)
श्री जे. एच. शाह-- (बड़ौदा)

श्री ए. के. मजुमदार (बोर्ड के सचिव)

कराधान समिति

श्री एन. के. पोद्दार, सभापति--(कलकत्ता)

श्री एम. जी. पटेल, उपसभापति--(अहमदाबाद)

श्री एस. के. दासगुप्ता, अध्यक्ष, एक्स ओफिसियो--(कलकत्ता)

श्री के. जी सोमानी, उपाध्यक्ष एक्स ओफिसियो--(नई दिल्ली)

श्री एस. नन्दगोपाल--(मद्रास)

श्री जी. नारायणस्वामी--(मद्रास)

श्री सी. के० टिक्कू--(नई दिल्ली)

श्री एस. सी. वासुदेवा--(नई दिल्ली)

श्री टी. एस. विश्वनाथ --(नई दिल्ली)

श्री वी. सी. वराक--(बम्बई)

श्री टी. डी. मूंदड़ा--मनोनीत--(कलकत्ता)

श्री सी. आर. टी. वर्मा (समिति के सचिव)

कम्पनी लॉ समिति--

श्री टी. एस. विश्वनाथ सभापति (नई दिल्ली)

श्री भास्कर बनर्जी--(कलकत्ता)

श्री एस. के. दासगुप्ता, अध्यक्ष, एक्स ओफिसियो (कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी, उपाध्यक्ष एक्स ओफिसियो--(नई दिल्ली)

श्री के. एम. अग्रवाल--(नई दिल्ली)

श्री आर. एन. बंसल--(नई दिल्ली)

श्री ए. एच. दलाल--(बम्बई)

श्री जी. नारायण स्वामी--(मद्रास)

डा. आर. सी. वैश्य –(कानपुर)

श्री प्रदीप भल्ला } --मनोनीत--(नईदिल्ली)
श्री के. गणेशन् } --(मद्रास)

श्री एस. के. चक्रवर्ती (समिति के सचिव)

अन्तर्राष्ट्रीय कार्य समिति

श्री एस. के. दासगुप्ता सभापति--(कलकत्ता)
श्री के. जी० सोमानी, उप सभापति--(नई दिल्ली)
श्री आर. बालाकृष्णन—(मद्रास)
श्री भास्कर बनर्जी --(कलकत्ता)
श्री ए. एच. दलाल--(बम्बई)
श्री पी.ए. नायर--(बम्बई)
श्री ए.सी. चक्रवर्ती--मनोनीत--(कलकत्ता)
श्री बी.एल. काबरा --(बम्बई)
डा. कमल गुप्ता (समिति के सचिव)

विशेषज्ञ सलाहकार समिति

श्री एस. एस. भण्डारी सभापति (जयपुर)
श्री जी. नाराणस्वामी उप सभापति--(मद्रास)
श्री के. जी. सोमानी उपाध्यक्ष एक्स ओफेसियों--(नई दिल्ली)
श्री एस. पी. छाजड़--(बम्बई)
श्री ए. एच. दलाल--(बम्बई)
श्री आई. सी. जैन--(बम्बई)
श्री एस. नन्दगोपाल --(मद्रास)
श्री डी. जे. विश्वास--मनोनीत (कलकत्ता)
श्री हरीश चेम्भोर —(नई दिल्ली)
श्री अविनाश चन्द्र (समिति के सचिव)

विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा सभापति--(हैदराबाद)
श्री बी. पी. रा उप सभापति--(बंगलौर)
श्री के. जी. सोमानी उपाध्यक्ष एक्स ओफिसियो--(नई दिल्ली)
श्री के. एम. अग्रवाल--(नई दिल्ली)
श्री एम. एम. चितले --(बम्बई)
श्री आई. सी. जैन--(बम्बई)
श्री जी. नारायणस्वामी—(सिकन्दराबाद)
श्री एस. एन. नन्दा--(नई दिल्ली)
डा. एन. के. अग्रवाल (समिति के सचिव)

आचार संहिता मानक समिति

श्री एस. नन्दगोपाल, सभापति--(मद्रास)
श्री ए. के. चक्रवर्ती, उप सभापति--(कलकत्ता)
श्री एस. के. दासगुप्ता अध्यक्ष एक्स ओफिसियो --(कलकत्ता)
श्री के. जी. सोमानी उपाध्यक्ष एक्स अफिसियो--(नई दिल्ली)
श्री आर. एन. बंसल--(नई दिल्ली)
श्री एस० एस. भण्डारी--(जयपुर)
श्री वाई. एम. काले--(बम्बई)
श्री आनन्द राठी--(बम्बई)
श्री अशोक कुम्भट--मनोनीत--(मद्रास)
श्री सी.एल. झावर --(जयपुर)
श्री जी. बनर्जी (समिति के सचिव)

जन-सम्पर्क समिति

श्री एस. के. दासगुप्ता, सभापति--(कलकत्ता)
श्री के. जी. सोमानी उप सभापति--(नई दिल्ली)
श्री एस. एस. भण्डारी--(जयपुर)
श्री कान्ती मेहता--(जमशेदपुर)
श्री बी.एन. रमण--(हैदराबाद)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा--(हैदराबाद)
श्री जगेश देसाई--मनोनीत--(नई दिल्ली)
श्री सुव्रता बासु--मनोनीत--(नई दिल्ली)
श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)

अनैतिक रूप से हटाये गये आडिटरों के लिये समिति:--

श्री एस. के. दासगुप्ता, सभापति--(कलकत्ता)
श्री के. जी. सोमानी उप सभापति--(नई दिल्ली)
श्री आर. एन. बंसल--(नई दिल्ली)
श्री ए. घोष --(कलकत्ता)
श्री सी. पी. मित्तल--(नई दिल्ली)
श्री जी. डी. खुराना (समिति के सचिव)

सम्पादकीय बोर्ड --

श्री एस. के. दासगुप्ता, मुख्य सम्पादक--(कलकत्ता)
श्री के.जी. सोमानी सह सम्पादक--(नई दिल्ली)
श्री के. एम. अग्रवाल--(नई दिल्ली)
श्री एन. के. पोद्दार--(कलकत्ता)
श्री बी. पी. राव--(बंगलौर)
श्री आनन्द राठी--(बम्बई)
श्री लक्ष्मी निवास शर्मा--(हैदराबाद)
श्री टी.एस. विश्वनाथ--(नई दिल्ली)
श्री आर. सी. कपूर --(नई दिल्ली)
श्री सी.एस. लहरी--(कलकत्ता)
श्री आर. एल. चौपड़ा (बोर्ड के सचिव)

उद्योगों में सदस्यों हेतु समिति

श्री आनन्द राठी, सभापति--(बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी, उप सभापति--(कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी उपाध्यक्ष एक्स ओफिशियो--(नई दिल्ली)

श्री आर. एन. बंसल--(नई दिल्ली)

श्री वी.एन. रमन--(हैदराबाद)

डा. आर. सी. वैश्य --(कानपुर)

श्री आर. सी. अग्रवाल --(बम्बई)
श्री डी. एम. एम. नान्बियार--मनोनीत --(बम्बई)
श्री के. लक्ष्मणदास --(मद्रास)
डा. एन. एल. धमेजा--(समिति के सचिव)

सामान्य उद्देश्य समिति

श्री एस. के. दासगुप्ता, सभापति--(कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी, उप सभापति--(नई दिल्ली)

श्री पी. ए. नायर--(बम्बई)

श्री जी नारायनास्वामी--(मद्रास)

श्री बी. एन. रमण--(हैदराबाद)

श्री वी. पी. राव --(बंगलौर)

श्री एस. सी. वासुदेवा--(नई दिल्ली)

श्री आर. एल चोपड़ा--(समिति के सचिव)

आई. सी. ए. आई.--आई. सी. डब्ल्यू ए. आई. समन्वय समिति

श्री एस. के. दासगुप्ता, नेता --(कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी, उप नेता--(नई दिल्ली)

श्री आर. बालाकृष्णन--(मद्रास)

श्री ए. के. चक्रवर्ती--(कलकत्ता)

श्री एस. पी. छाजेड--(बम्बई)

श्री आर. एल. चोपड़ा--(समिति के सचिव)

आई. सी. ए. आई.--आई. सी. एम. आई. समन्वय समिति

श्री एस. के. दासगुप्ता, नेता--(कलकत्ता)

श्री के. जी. सोमानी, उप नेता --(नई दिल्ली)

श्री एम. जी. पटेल--(अहमदाबाद)

श्री एन. के. पोडार--(कलकत्ता)

श्री एन. सी. सुन्दरराजन--(मद्रास)

श्री आर. एल. चोपड़ा (समिति के सचिव)

परिशिष्ट--2

[सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 3.9(अ)]

सी पी. ई. समिति द्वारा आयोजित गोष्ठियों तथा पाठ्यक्रमों का वर्णन

क्रमांक	कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1.	गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मस के सहयोग से "आर्थिक प्रबन्ध और प्रबन्ध लेखाकर्न" पर पाठ्यक्रम	नई दिल्ली	5 से 16 अक्तूबर 1987
2.	कम्प्यूटर और प्रबन्ध लेखाकर्न पर आई. सी. ए. आई. के साथ व्यवसायिक विकास पर संयुक्त कार्यक्रम	मद्रास	7 से 8 नवम्बर 1987
3.	एकाउंटिंग सिस्टम आन पब्लिक यूटी लिटी तथा अलाभकारी संस्थाओं पर गोष्ठी	कलकत्ता	5 से 6 दिसबर 1987
4.	असम विद्युत बोर्ड के लेखा-कार्यपालकों के लिये इन हाउस कार्यक्रम	नई दिल्ली	11 से 13 जनवरी 1988
5 और 6.	आई. ए. एस. अधिकारियों के लिये वित्तीय और प्रबन्ध और प्रबन्ध नियंत्रण तरीके पर गोष्ठी	नई दिल्ली	8 से 13 फरवरी और 29 फरवरी से 5 मार्च 1988 तक]
7.	कोरपोरेट वित्तीय प्रबन्ध पर कार्यक्रम	काठमांडू	20 से 24 मई 1988
8.	कोरपोरेट फाईनैंस एण्ड ला पर आई सी. एस. आई. के साथ संयुक्त कार्यक्रम	बंगलौर	11 और 12 जून 1988

परिशिष्ट--3

(सन्दर्भ—रिपोर्ट का पैरा 3.9 (ब)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परिणाम का सारांश

	एम. ए.सी. भाग 1 नवम्बर87	सी. एम. भाग 1 परीक्षा नवम्बर 87	टी.एम. भाग 1 परीक्षा नवम्बर 87
1. दोनों ग्रुप			
दोनों ग्रुपों में बैठे परीक्षार्थियों की कुल संख्या	10	2	11
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण	2	0	0
प्रतिशत	20	0	0
केवल ग्रुप 1 में उत्तीर्ण	2	0	6
केवल ग्रुप 2 में उत्तीर्ण	2	1	0
2. ग्रुप 1			
केवल ग्रुप 1 में बैठे कुल परीक्षार्थियों की संख्या	18	0	5
उतीर्ण	5	0	3
प्रतिशत	27.77	0	60
3. ग्रुप 2			
केवल ग्रुप 2 में बैठे हुए कुल प्रत्याशियों की संख्या	8	1	1
उत्तीर्ण	6	1	1
प्रतिशत	75	100	100

परिशिष्ट -- 4

(सन्दर्भ—रिपोर्ट का पैरा 3.9 (एफ))

बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास कम्प्यूटर केन्द्रों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

(17 सितम्बर 1987 से रिपोर्ट की तिथि तक)

क्रमांक	कम्प्यूटर केन्द्र का नाम	आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या	प्रशिक्षित विद्यार्थियों एवं गैर सदस्यों की संख्या
1.	बम्बई	13	23	98
2.	कलकत्ता	16	80	288
3.	कानपुर	6	23	74
4.	मद्रास	17	126	179
	योग	52	459	639

परिशिष्ट -- 5

(सन्दर्भ--रिपोर्ट का पैरा 3.12 (स))

उन विश्वविद्यालयों तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के संघों की सूची जिन्होंने चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों को पी. एच. डी. डिग्री के लिए शोध स्कालर के रूप में पंजीकरण हेतु मान्यता दी है :--

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम
	भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, नई दिल्ली
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी
2	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ (यू.पी.)
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (यू. पी)
4.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर
5.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली
6	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई
7.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट
8.	गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद
9.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
10.	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर (यू.पी)
11.	केरला विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (केरला)
12.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ
13.	बड़ौदा का एम. एस. विश्वविद्यालय बड़ोदा
14.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
15.	मंगलौर विश्वविद्यालय, लाईट हाउस हिल, मंगलौर
16.	मराठवाडा, विश्वविद्यालय, औरंगाबाद
17.	मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ (यू. पी.)
18.	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
19.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
20.	उसमानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद
21.	पूना विश्वविद्यालय, पुणे (महाराष्ट्र)
22.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
23.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
24.	रांची विश्वविद्यालय, रांची
25.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ विद्यानगर (गुजरात)
26.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट (गुजरात)
27.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
28.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति
29.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (मध्य प्रदेश)
30.	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा
31.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

परिशिष्ट-6

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 4.8)

बाहरी संस्थाओं में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि

सदस्य का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1. जन साधन अनुसंधान संस्थान	श्री एस. के. दासगुप्ता
2. श्री जनरल कौंसिल	
2. लागत लेखांकन अभिलेख नियमों से संबंधित कंपनी मामलों के विभाग की अनौपचारिक सलाहकार समिति	डा. आर. सी. वैश्य
3. राष्ट्रीय उत्पादकता समिति	श्री के. जी. सोमानी
4. भारतीय मानक संस्थान की फार्म एकाउन्ट्स सेक्शन समिति ए. एफ. डी. सी. 49	श्री एस. पी. छाजेड़
5. प्रत्यक्ष करों की केन्द्रीय सलाहकर समिति	श्री एस. के. दासगुप्ता
6. प्रबंध अध्ययन का अखिल भारतीय बोर्ड	श्री आर. बालाकृष्णन
7. वाणिज्य शिक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नामिका	श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा
8. लेखापालों की अन्तर्राष्ट्रीय फैडरेशन की परिषद (आई. एफ. एस. सी.)	श्री ए. सी. चक्रवर्ती
9. लेखापालों की अन्तर्राष्ट्रीय फैडरेशन की अन्तर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षण पद्धतियों पर समिति	श्री आर. बालाकृष्णन
10. लेखापालों की अन्तर्राष्ट्रीय फैडरेशन की शिक्षा-समिति	श्री पी. ए. नायर
11. लेखापालों का दक्षिण एशियाई फैडरेशन	श्री आर. बालाकृष्णन
12. "डिसक्लोजन आफ फाइनैन्सियल स्टेटमेन्ट्स आफ बैंक्स" पर आई.ए. एस. ई. की स्टीरिंग समिति	श्री पी. ए. नायर

परिशिष्ट-7

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 4.11)

1. इंस्टीट्यूट की चौदहवीं परिषद के लिये चुने गये सदस्यों के नाम

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा दमन व दिव एवं दादर व नगर हवेली केन्द्र शासित क्षेत्र शामिल हैं।

1. श्री छाजेड़, सोहनराज पुखराजजी
2. श्री चितले, मुकुंद मनोहर
3. श्री दलाल, अरविंद हरमुखराय
4. श्री जैन, इंदर चन्द
5. श्री काले, यशोधन मधुसुदन
6. श्री पटेल, रामुभाई शंकरलाल
7. श्री राठी, आनन्द किशोर
8. श्री मारवा, नरेन्द्र धनसुखलाल

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी और लक्षद्वीप समूह के केन्द्र शासित क्षेत्र शामिल हैं।

1. श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा
2. श्री मदनगोपाल, एस
3. श्री पोट्टोकरन, जोस
4. श्री राव, बी पी
5. श्री सुन्दरराजन, नल्लान चक्रवर्ती
6. श्री उपाध्याय, पी. पी. गुरुराजा

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कि असम, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

1. श्री बनर्जी, भास्कर
2. श्री चक्रवर्ती, अमल कुमार
3. श्री पोद्दार, निर्मल कुमार
4. श्री सिंघी, मोहन लाल

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल हैं।

1. श्री भंडारी, सुरेन्द्र सिंह
2. श्री गुप्ता, नृपेन्द्र कुमार

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं।

1. श्री अग्रवाल, के. एम.
2. श्री गुप्ता, एल. डी.
3. श्री सोमानी, के. जी.
4. श्री वासुदेव, सुभाष चन्द्र

2. इंस्टीट्यूट की तेरहवीं क्षेत्रीय परिषदों के लिये चुने गये सदस्यों के नाम।

पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद

(गुजरात, महाराष्ट्र, और गोवा राज्य तथा दमन व द्वीप और दादर व नागर हवेली संघीय क्षेत्र)

1. श्री चांडक, अशोक कुमार किशन गोपालजी
2. श्री चौकसी, रजनीकांत शान्तिलाल
3. श्री डोंगी, ललित कुमार
4. श्रीमती दोषी, भावना गौतम
5. श्री घड़ियाली, पंकज चिमनलाल
6. श्री गोयल, गोविंद प्रसाद
7. श्री जैन, कैलाश चन्द
8. श्री जोशी, प्रदीप दिनकर
9. श्री खरे, सुधीर गोपाल
10. श्री मेहता, संजय समीर
11. श्री पटवीगर, कपिल रमेशचन्द्र
12. श्री राठी, जुगलकिशोर श्रीनिवासजी
13. श्री सरडा, ब्रजमोहन लाल चन्द
14. श्री शाह, चन्द्रकांत रतिलाल
15. श्री शाह, दिलिप कुमार बाडीलाल
16. श्री शाह, कौशिक धीरजलाल

दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद

(आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी और लक्यद्वीप समूह संघीय क्षेत्र)

1. श्री अर्जुनाराज, ए.
2. श्री हरीश कुमार बेट्टी
3. श्री जोसेफ, एम. सी.
4. श्री कोटेश्वरा राव, एस. एस. प्रसा.
5. श्री मतनागोपाल, एस.
6. श्री नित्यानन्द, एन.
7. कुमारी प्रिया कुम्भट
8. श्री रामासुब्रमण्यन, के. एन.
9. श्री निवासन, आर.
10. श्री सुब्बा राव, नारे
11. श्री वडलामनी, वेंकटा सुब्रमण्यम रवि
12. श्री विजय राघवन, एस.

पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद

(असम, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य तथा अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह संघीय क्षेत्र)

1. श्री दास, अमरेन्द्र नाथ
2. श्री घोष, सुव्रता
3. श्री गुप्ता, हरी राम
4. श्री खंडेलवाल, काली प्रसाद
5. श्री खन्ना, राजेश कुमार
6. श्री राय चौधरी, संदीप कुमार
7. श्री सेनगुप्ता, तपन कान्ति

मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद

(उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य)

1. श्री अग्रवाल, मित्तल राधा किशन
2. श्री भंडारी, रमेश चन्द
3. श्री भार्गवा, सुनील कुमार
4. श्री गुजराती, बल्देवदास
5. श्री कसेरा, राजेश

उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद

(हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और पंजाब राज्य और दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघीय क्षेत्र)

1. श्री अनिल पेशावरी
2. श्री चड्ढा, मनु
3. श्री चोपड़ा, अमरजीत
4. श्री डुगर, रमेश
5. श्री गुलाटी, सुनील कुमार
6. श्री गुप्ता, दीपक कुमार
7. श्री जैन, विनय कुमार
8. श्री विज मनोहर लाल

परिशिष्ट—8

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 5.1)

1-4-1988 को सदस्यों के आंकड़े

फैलोज	: पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	12,985	
	: अंशकालिक प्रैक्टिस में	1,742	
	: प्रैक्टिस में नहीं	1,326	
			16,053
एसोसिएट्स	: पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	15,286	
	: अंशकालिक प्रैक्टिस में	6,218	
	: प्रैक्टिस में नहीं	11,767	33,271
			49,324

क्षेत्र	फैलोज				एसोसिएट्स				
	प्रक्टिस में				प्रैक्टिस में				
	पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	अंशकालिक प्रैक्टिस में	प्रैक्टिस में नहीं	कालम 2,3, व 4 का योग	पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	अंशकालिक प्रैक्टिस में	प्रैक्टिस में नहीं	कालम 6,7 व 8 का योग	कालम 5 व 9 का कुल योग
1.	4,089	665	380	5,134	5,150	3,121	3,262	11,534	16,668
2.	3,184	367	360	3,911	3,196	1,223	4,184	8,603	12,514
3.	1,872	221	252	2,345	1,526	635	2,138	4,299	6,644
4.	1,290	187	113	1,590	1,755	401	851	3,007	4,597
5.	2,550	302	221	3,073	3,659	838	1,331	5,882	8,901
	12,985	1,742	1,326	16,053	15,286	6,218	11,767	33,271	49,324

परिशिष्ट—9

[सन्दर्भ—रिपोर्ट का पैरा 5.2(ब)]

वर्ष 1987-88 के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण रजिस्टर से हटाये गये सदस्यों के नामों का विवरण

क्रमांक	सदस्यता संख्या	नाम	दिनांक
1.	130	श्री नल्लम चक्रवर्ती राजन, कोयम्बतूर	14-4-87
2.	190	श्री के. पी. सोनी, नई दिल्ली	1-1-87
3.	296	श्री एन. आई. गणपथी, मद्रास	12-1-87
4.	310	श्री एन. शंकरन्, मद्रास	21-6-87
5.	546	श्री डी. जे. असवाल, बम्बई	1-7-87
6.	561	श्री जी. टी. खरे, बम्बई	2-8-87
7.	631	श्री के. एस. गदरे, पुणे	11-6-87
8.	645	श्री जे. बी. मवान, कलकत्ता	16-9-87
9.	670	श्री पी. नटराजन, सेलम	17-12-88
10.	723	श्री के. सी. खन्ना, नई दिल्ली	20-2-87
11.	734	श्री पी. बी. मुब्बाराजू, मछलीपटनम	3-9-87
12.	763	श्री जे. एस. लोदा, कलकत्ता	17-2-88
13.	847	श्री एफ. के. मोदी, बम्बई	3-1-88
14.	859	श्री बी. एन. मित्रा, कलकत्ता	6-1-88
15.	1026	श्री एम. एम. हर्वीकर, बम्बई	24-8-87
16.	1060	श्री बुरजौर फिरोजशाह, बम्बई	16-11-86
17.	1133	श्री पी. के. मुखर्जी, कलकत्ता	27-7-87
18.	1166	श्री अमिताभ राय, कलकत्ता	27-7-87
19.	14271	श्री एम. डी. पंडित, राजकोट	16-1-87
20.	1883	श्री डब्ल्यू. डी. माधेकर, बम्बई	25-3-87
21.	1971	श्री एम. एस. अय्यर, कोट्टायम	14-7-87
22.	2041	श्री आर. एच. पटवर्धन, सोलापुर	25-11-86
23.	2559	श्री एस. वेंकटासुब्रामन्यन, मदुरै	26-1-88
24.	2622	श्री टी. के. मलिनाथन, मद्रास	22-10-86
25.	2658	श्री सी. जे. श्रीपादराज, बंगलौर	14-6-86
26.	2906	श्री एम. पी. पुरी, नई दिल्ली	28-6-87
27.	2984	श्री के. मेहरोत्रा, कानपुर	29-7-87
28.	3110	श्री एन. डी. जोशी, नासिक शहर	25-10-87
29.	3157	श्री ए. अम्मजी राव, हैदराबाद	2-12-87
30.	3220	श्री ए. गांगुली, कलकत्ता	13-9-87
31.	3246	श्री एस. राय, कलकत्ता	8-8-87
32.	3531	श्री बी. एम. देसाई, बम्बई	15-3-87
33.	3686	श्री एम. एम. लकड़ीवाला, सूरत	29-9-87
34.	3750	श्री आर. एन. प्रसाद, पटना	9-10-85
35.	3974	श्री पी. आर. सिंघवी, बंगलौर	12-7-87
36.	4004	श्री वी. एल. कुबेरिया, बम्बई	26-4-87
37.	4106	श्री वी. मालिबर सूरिया, बंगलौर	26-8-86
38.	4289	श्री वी. बालाकोटेश्वरा राव, हैदराबाद	7-3-87
39.	4544	श्री एस. सी. गौर, विक्रमपुर	9-8-87
40.	4812	श्री जे. के. घोष, कलकत्ता	2-12-86

1	2	3	4
41.	6239	श्री आर. एम. गुहा, कलकत्ता	9-3-87
42.	6194	श्री एम.एम. दोषी, बम्बई	9-5-87
43.	6473	श्री के. गोपालन, मद्रास	10-4-87
44.	6756	श्री टी.एस. परसुरमन, मदुरा	8-4-85
45.	7576	श्री वी. आर. हेगडे, बम्बई	3-11-86
46.	8575	श्री जे.के. हाजरा, कलकत्ता	14-9-87
47.	8903	श्री सी.जी. राजागोपालन, पालघाट	16-9-87
48.	8969	श्री आर. के. दास, कोचीन	26-1-88
49.	9136	श्री व्ही. एस. गोपालन, गंगटोक	5-12-86
50.	9740	श्री डी.डी. राठी, बम्बई	18-11-85
51.	9753	श्री आर. के. शर्मा, जालन्धर	6-1-88
52.	9808	श्री कालीपद शाह, कलकत्ता	28-4-85
53.	10133	श्री बी.के. जतानिया, कलकत्ता	14-10-87
54.	10238	श्री एन. बी. [illegible], बम्बई	16-2-87
55	10325	श्री एस. के. अयंगर, एर्नाकुलम	18-7-87
56.	10662	श्री एम. राठीनम. करूर	17-1-87
57.	10999	श्री ए.के. सुब्रमनियन, बंगलौर	13-2-87
58.	12046	श्री एम.एल. शाह, कलकत्ता	28-12-87
59.	13319	श्री पी. के. रे, कलकत्ता	13-4-86
60.	13904	श्री आर. रत्नासभापति, मद्रास	21-9-87
61.	14264	श्री आर. एन. गुप्ता, नई दिल्ली	27-4-87
62.	16924	श्री जी.वी. नावकर्णी, दिल्ली	22-10-87
63.	17629	श्री पी.डी. सूरी, नई दिल्ली	31-9-87
64.	17805	श्री आर.एम. भुवारिया, बम्बई	17-12-86
65.	17930	श्री एस.एम. अजगांवकर, बम्बई	30-5-86
66.	18038	श्री पी. एस. सेषाग, मद्रास	2-5-87
67.	19856	श्री एस. रघुरामामूर्ति, गुंटूर	15-12-87
68.	25385	श्री बी.आर. साधो, काकीनाडा	25-8-87
69.	25409	श्रीमती श्यामला शंकरा नारायणन, मद्रास	12-7-87
70.	26524	श्री वी. कुमार, मद्रास	10-1-88
71.	30351	श्री डी. एन. दलाल, बम्बई	25-5-87
72.	31085	श्री ए.एस. प्रियोलकर, बम्बई	23-4-85
73.	32101	श्री पी.जी. मूर्ति, राशीपुरम	22-7-87
74.	33687	कुमारी ए.पी. शाह, बम्बई	1-2-87
75.	34307	श्री बी.बी. पटेल, गांधीनगर	31-1-86
76.	51511	श्री एस. विश्वास, कलकत्ता	17-8-87
77.	52335	श्री भास्कर बोस, कलकत्ता	14-6-87
78.	70338	श्री ए.बी. कियावत, बम्बई	3-6-84
79.	72133	श्री जी.डी. अग्रवाल, जयपुर	25-1-88
80.	72127	श्री पी.सी. पटोदी, कोटा	26-6-86
81.	81238	श्री सी.आर.वी. वेंकटेश, बंगलौर	11-8-88
82.	81248	श्री आर.एल. कोठारिया, मद्रास	24-2-88
83.	81443	श्री अरविन्द चौधरी, जम्मू	3-7-87
84.	82243	श्री एल.के. खन्ना, दिल्ली	27-4-87
85.	82359	श्री ए.एन. विजयकुमार, तिरूर	2-9-86
86.	82823	श्री एन. के. सूद, नई दिल्ली	17-4-87
87.	85904	श्री व्ही. के. अरोड़ा, नई दिल्ली	14-6-87

परिशिष्ट-100

[संदर्भ—पैरा 6.4 (ग्र)—रिपोर्ट का]

विद्यार्थियों के पंजीकरण का वर्णन

	इंटर	फाइनल
1-4-1987 तक पंजीकृत प्रत्याशियों की संख्या	30,748	15,392
वर्ष 1987-88 के दौरान		
पंजीकरण	12,753	4,951
	43,501	20,343
वर्ष 1987-88 में इंटरमीडियेट पाठ्यक्रम का शिक्षण पूर्ण करने वाले/अंतिम परीक्षा पास कर लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या (मई 1987 और नंवम्बर 1987)	9,201	5,983
	34,300	14,360

परिशिष्ट-II

(संदर्भ-रिपोर्ट का पैरा 7.1)

संक्षिप्त परीक्षा परिणाम

मई 1987 में आयोजित प्रवेश, इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षाएं

प्रवेश परीक्षा	
परीक्षार्थियों की कुल संख्या	2009
सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या	263
प्रतिशत	13.09
मध्यवर्ती (इंटरमीडियेट) परीक्षा	
ग्रुप 1 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	12427
ग्रुप 1 में सफल घोषित किये गये परीक्षार्थियों की संख्या	3076
प्रतिशत	24.75
ग्रुप 2 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	12334
ग्रुप 2 में सफल घोषित किये गये परीक्षार्थियों की संख्या	3289
प्रतिशत	26.67
दोनों ग्रुपों में कुल परीक्षार्थियों की संख्या	4653
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित किये गये परीक्षार्थियों की संख्या	626
प्रतिशत	13.45
अंतिम परीक्षा	
ग्रुप 1 में कुल प्रत्याशियों की संख्या	7827
ग्रुप 1 में घोषित सफल प्रत्याशियों की संख्या	2326
प्रतिशत	29.71
ग्रुप 2 में कुल प्रत्याशियों की संख्या	7131
ग्रुप 2 में सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या	2557
प्रतिशत	35.85
दोनों ग्रुपों में कुल प्रत्याशियों की संख्या	3594
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या	631
प्रतिशत	17.55

नवम्बर 1987 में आयोजित प्रवेश, इंटरमीडियेट तथा फाइनल परीक्षाएं

प्रवेश परीक्षा

कुल प्रत्याशियों की संख्या	3 370
सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या	287
प्रतिशत	8 52

इंटरमीडिएट परीक्षा

ग्रुप 1 में कुल प्रत्याशियों की संख्या	14 772
ग्रुप 1 में सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या	1,665
प्रतिशत	11.27
ग्रुप 2 में कुल प्रत्याशियों की संख्या	12,778
ग्रुप 2 मे सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या	1,593
प्रतिशत	12 48
दोनों ग्रुपों में कुल प्रत्याशियों की संख्या	5,436
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या	399
प्रतिशत	7 4

फाइनल परीक्षा

ग्रुप 1 मे कुल प्रत्याशियों की संख्या	4.668
ग्रुप 1 में सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या	2,295
प्रतिशत	49.16
ग्रुप 2 मे कुल प्रत्याशियों की संख्या	3.651
ग्रुप 2 में सफल घोषित किये गये प्रत्याशियों की संख्या	2,303
प्रतिशत	63.07
दोनों ग्रुपों मे कुल प्रत्याशियों की संख्या	3.736
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित किये गये प्रत्याशियो की संख्या	612
प्रतिशत	16.38

परिशिष्ट-12

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 7.3)

पुरस्कार विजेता

अंतिम परीक्षा—मई 1987

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे:—

वरीयता	रोल न.	नाम
प्रथम	1410	संजय कुमार डागा (800 में से 558 अंक)
द्वितीय	8875	निर्मल चन्द्र भंवरलाल जैन (800 में से 549 अंक)
तृतीय	4255	एस. राजागोपालन (800 में से 544 अंक)

1. जी. पी. कपाडिया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार—संजय कुमार डागा, रोल न. 1410 को दिया जायेगा।

2. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये रामचन्द्र सिंघी पुरस्कार—संजय कुमार डागा, रोल न. 1410 को दिया जायेगा।

3. दूसरे नंबर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को जयन्ती लाल के. ठक्कर यादगार पुरस्कार—

निर्मल चन्द्र भंवरलाल जैन रोल नं. 8875 (800 में से 549 अंक) को दिया जायेगा।

4. सर्वोत्तम महिला प्रत्याशी के लिये आर. सिवाभोगम पुरस्कार—कुमारी किनसुका नरसिम्हन, रोल नं 4223 (800 में से 536 अंक) को दिया जायेगा।

5. ग्रुप 1 मे सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये केरला वर्मा पुरस्कार—मैत्रेय कुमार डागा, रोल नं. 1410 (400 में से 296 अंक) को दिया जायेगा।

6. ग्रुप 2 में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये पी. एल. टांडन स्मृति पुरस्कार—अग्रवाल, सुबोध आनन्द, रोल नं. 8936 (400 में से 304 अंक) को दिया जायेगा।

7. एकाउन्टैंसी पेपर में (प्रश्नपत्र 1 और 2) सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिये "सर मापुरजी विलिमोरिया पुरस्कार—संजय कुमार डागा, रोल न 1410 (200 में से 153 अंक) को दिया जायेगा।

8. मैनेजमेंट एवं एकाउंटिंग में सर्वोच्च अंकों के लिये जे. के. वांची पुरस्कार—कुमारी वीणा ईश्वरन, रोल न 7746 (100 में से 87 अंक) को दिया जायेगा।

9. आडिटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिये ए. एफ. फर्गुसन पुरस्कार तथा आर. वैकटेसन स्मृति पुरस्कार—जालान सुभाषचन्द्र रामनिरंजन, रोल नं 8833 (100 में से 71 अंक) को दिया जायेगा।

10. आडिटिंग पेपर मे सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशी को मुख नन्दन गुप्ता कपूरी देवी पुरस्कार—कुमारी किनसुका नरसिम्हन, रोल नं 4223 तथा कुमारी नवरेकर सुजाता मदान, रोल नं. 9718 (100 में से 60 अंक) को दिया जायेगा।

11. कंपनी लॉ पर सर्वोत्तम पेपर के लिये यू. सी मजुमदार पुरस्कार तथा एस. एम. शाह पुरस्कार—संजय कुमार डागा, रोल नं. 1410 और एस. राजागोपालन रोल नं. 4255 (100 में से 78 अंक) को दिया जायेगा।

12. प्रत्यक्ष कर नियमों मे सर्वोत्तम पेपर के लिये एल. एम. शाह पुरस्कार सूरी स्मृति पुरस्कार और ए. जे. शाह—प्रमिला स्मृति पुरस्कार—संजय कुमार डागा, रोल न. 1410 और मनीष दलाल, रोल नं. 7745 (100 में से 80 अंक) को दिया जायेगा।

13. प्रबंधीय अर्थशास्त्र तथा राष्ट्रीय लेखांकन पर सर्वोत्तम पेपर के लिये "वैंकटाचलम मोहन पुरस्कार—सुनील सी. गांधी, रोल न. 9302 (100 में से 72 अंक) को दिया जायेगा।

14. सिस्टम एनालिसिस एवं डाटा प्रोसेसिंग पर सर्वोत्तम पेपर के लिए टी. आर. चड्ढा पुरस्कार—रमेश वैंकट, रोल नं. 8125 (100 में से 86 अंक) को दिया जायेगा।

15. कॉस्ट एकाउंटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिये "आर. वी. के. उमरजी पुरस्कार—कुमारी महालक्ष्मी रंगानाथन, रोल न. 8114 (100 में से 85 अंक) को दिया जायेगा।

16. एडवांस एकाउंटिंग (पेपर 1) मे सर्वोत्तम पेपर के लिए "के.सी. खन्ना पुरस्कार"—पवन कुमार लोहिया, रोल न. 1418 (100 में से 79 अंक) को दिया जायेगा।

इंटरमीडीएट परीक्षा—मई 1987

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे :—

वरीयता	रोल नं.	नाम
प्रथम	17308	कुमारी गीता देवचन्द परमार (कुल 700 में से 508 अंक)
द्वितीय	17321	सुनील यशवन्त सप्रे (कुल 700 में से 490 अंक)
तृतीय	9318	भवानी शंकर राठी (कुल 700 में से 486 अंक)

1. जी. पी. कपाड़िया, प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार—कुमारी गीता देवचन्द परमार, रोल न. 17308 को दिया जायेगा।

2. एकाउन्टैंसी में सर्वोत्तम पेपर के लिये "प्रो. टी. एस. ग्रेवाल पुरस्कार"—सुनील यशवन्त सप्रे, रोल न 17321 (100 में से 85 अंक) को दिया जायेगा।

3. आडिटिंग में सर्वोत्तम पेपर के लिये दिनेश हिम्मतलाल शाह पुरस्कार तथा के. सी. खन्ना पुरस्कार—व्ही. एल. मोती, रोल न. 7411 (100 में से 79 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

4. मरकन्टाइल लॉ, कंपनी लॉ तथा इंडस्ट्रियल लॉ पर सर्वोत्तम पेपर के लिये "सुरेश सी. माथुर पुरस्कार"—फतनानी सुनील वासुदेव, रोल न. 17673 (100 में से 76 अंक) को दिया जायेगा।

फाइनल परीक्षा—नवम्बर 1987

निम्नलिखित प्रत्याशियों योग्यता प्रमाणपत्र-प्रदान किये जायेंगे :—

वरीयता	रोल नं.	नाम
प्रथम	12404	भारथ कृष्णा शंकर (800 में से 570 अंक)
द्वितीय	2037	पीयुष व्ही. गोयल (800 में से 566 अंक)
तृतीय	1609	कुमारी साधना शरदचन्द्र देसाई (800 में से 554 अंक)

1. जी. पी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार—भारथ कृष्णा शंकर रोल न 12404 को प्रदान किया जायेगा।

2. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये रामचन्द्र मिश्री पुरस्कार—भारथ कृष्णा शंकर, रोल न. 12404 को प्रदान किया जायेगा।

3. इसर स्थान पर सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के लिये जयन्तीलाल के० ठाकर यादगार पुरस्कार पीयुष व्ही. गोयल, रोल न. 2037 को प्रदान किया जायेगा।

4. सर्वोत्तम महिला प्रत्याशी के लिये श्रार. सिनाभोगम पुरस्कार कुमारी देसाई, साधना शरदचन्द्र रोल नं 1609 को प्रदान किया जायेगा।

5. वर्ष 1987 के सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिये "जी. वसु फाउन्डेशन पुरस्कार"—भारथ कृष्णा शंकर, रोल नं. 12404, नवम्बर 1987 परीक्षा (800 में से 570 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

6. वर्ष 1987 में ग्रुप 1 में सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिये "एन. एल. वास पुरस्कार"—संजय कुमार हाशा, रोल नं. 1410, मई, 1987 परीक्षा (400 में से 296 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

7. ग्रुप 1 में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये "केरला वर्मा यादगार पुरस्कार"—भारथ कृष्णा शंकर, रोल नं 12404 (400 में से 288 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

8. ग्रुप 2 में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिये "पी एन घोष यादगार पुरस्कार"—पीयुष व्ही. गोयल, रोल न. 2037 (400 में से 303 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

9. एकाउन्टेंसी (पेपर 1 और 2) में सर्वोत्तम पेपर के लिये "सर शापुरजी बिलिमोरिया पुरस्कार"—पठारे पराग दिवाकर, रोल न. 2755 (200 में से 168 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

10. एडवान्स एकाउन्टिंग (पेपर 1) पर सर्वोत्तम पेपर के लिये "के. सी० खन्ना पुरस्कार"—पठारे पराग दिवाकर, रोल नं 2755 (100 में से 86 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

11. प्रबन्ध लेखांकन में सर्वोत्तम अंकों के लिये "जे. के. दोषी पुरस्कार"—भारथ कृष्णा शंकर, रोल नं. 12404 (100 में से 83 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

12. आडिटिंग पर सर्वोत्तम पेपर के लिये "ए. एफ. फर्गुसन पुरस्कार और आर वेंकटेशन यादगार पुरस्कार"—अभय सर्गी, रोल नं. 6006 और टी० के० बालाकृष्णन रोल नं० 9427 (100 में से 73 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

13. आडिटिंग पेपर में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशी को सुख नन्दन गुप्ता कपूरी देवी पुरस्कार—कुमारी विनीता केशिया सेराओ, रोल नं. 1500, कुमारी अजलि कृष्णा डामले, रोल नं 2815 और कुमारी वैद्या भाग्यश्री श्रीनिवास, रोल न. 2820 (100 में से 66 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

14. कम्पनी ला पर सर्वोत्तम पेपर के लिये यू. सी. मजूमदार पुरस्कार और एस. एम. शाह पुरस्कार—हरीश राधाकृष्णन रोल नं. 1975 (100 में से 73 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

15. प्रत्यक्ष कर नियमों पर सर्वोत्तम पेपर के लिये "एन एम शाह पुरस्कार पूर्व यादगार पुरस्कार और ए. जे. शाह—श्रमिता यादगार पुरस्कार"—पीयुष व्ही. गोयल, रोल न. 2037 (100 में से 75 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

16. प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र तथा राष्ट्रीय लेखांकन पर सर्वोत्तम पेपर के लिये वेंकटाचलम मोहन पुरस्कार कुमारी टी एस. गीता, रोल न 10890 (100 में से 78 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

17. सिस्टम एनालिसिस एवं डाटा प्रोसेसिंग पर सर्वोत्तम पेपर के लिये "टी आर. बजाज पुरस्कार"—माणिक जी. शारदालाल, रोल न. 1514 (100 में से 78 अंक) को प्रदान किया जायेगा।

18. कास्ट एकाउंटिंग पर सर्वोत्तम पेपर के लिये "आर बी के. उमर जी पुरस्कार"--संजय नेनवाला, रोल नं 8001 (100 में से 84 अंक) को प्रदान किया जायेगा ।

इंटरमीडिएट परीक्षा--नवम्बर 1987

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे :-

वरीयता	रोल नं.	नाम
प्रथम	18176	रोहन व्ही पालेकर (700 में से 566 अंक)
द्वितीय	2679	एस. व्ही. ईश्वर (700 में से 533 अंक)
तृतीय	12591	कुमारी पूनम मोर्दा (700 में से 488 अंक)

1 जी.पी. कपाडिया, प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार--रोहन व्ही. पालेकर, रोल नं. 18176 को प्रदान किया जायेगा ।

2 वर्ष 1987 का सर्वोत्तम विद्यार्थी का "नूरी शालगार पुरस्कार" रोहन व्ही पालेकर, रोल नं. 18176 नवम्बर 1987 परीक्षा (700 में से 566 अंक) को प्रदान किया जायेगा ।

3. एकाउन्टेंसी में सर्वोत्तम पेपर के लिये "प्रो. टी.एस. ग्रेवाल पुरस्कार"--रोहन व्ही पालेकर रोल नं. 18176 (100 में से 99 अंक) को प्रदान किया जायेगा ।

4 आडिटिंग पर सर्वोत्तम पेपर के लिये "दिनेश छिम्मनलाल शाह पुरस्कार और के.सी. खन्ना पुरस्कार"--कपिल कैलाश चन्द जैन, रोल नं. 18157 (100 में से 78 अंक) को प्रदान किया जायेगा ।

5 मरकन्टाइल लॉ., कम्पनी लॉ एवं इंडस्ट्रियल लॉ पर सर्वोत्तम पेपर के लिये "सुरेश सी. माथुर पुरस्कार"--एच. नेमकुमार रोल नं. 6570 (100 में से 74 अंक) को प्रदान किया जायेगा ।

वार्षिक लेखा 31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष के लिए आडिटरों की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की 31 मार्च 1988 तक की संलग्न बैलेन्स शीट और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय संलग्न लेखाओं जिसमें इंस्टीट्यूट के कार्यालयों, क्षेत्रीय परिषदों तथा इसकी शाखाओं एवं विद्यार्थी संघों और उनकी शाखाओं के लेखे जिसका आडिट किसी दूसरे आडिटरों ने किया है, का भी शामिल किया है, का आडिट किया है और हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :--

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी जानकारी और विश्वास के साथ, आडिट के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे ।

2. बैलेन्स शीट व आय और व्यय के लेखे जो इस रिपोर्ट में लिये गये है वह लेखों के पुस्तक के अनुरूप हैं ।

3. हमारी राय में लेखे-चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1949 की आवश्यकता के अनुसार रखे गये है और

4 हमारी राय और पूर्ण सूचनाओं और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार विवरण और अनुसूचियां जो उनके साथ है, सही और उचित स्थिति प्रकट करती है ।

(1) 31 मार्च, 1988 तक की कार्यों के बारे में बैलेन्स शीट के मामले में,

और

(2) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय लेखे के आधिक्य के मामले में ।

नई दिल्ली	सी. पी. मेहरा	एस. आर. वेंकटारमण
7 सितम्बर 1988	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली
लेखा नीतियां

1 फेलो सदस्यों से प्रवेश शुल्क और एसोसिएट्स सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के अधिकतम भाग को पूंजीगत प्राप्त लिया गया है विद्यार्थी क्रियाकलापों से होने वाले आधिक्य के उपयुक्त भाग को शिक्षा कोष में स्थानान्तरित कर दिया गया है और आरक्षित पूंजी में उपयुक्त होने वाले कोष को पूंजीगत रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

2 विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस जो कि किस्तों में ली गई है और प्राप्ति के आधार पर लिया गया है ।

3 कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी की व्यवस्था संभूति आधार पर की गयी है । ग्रेच्युटी तथा ग्रुप इंश्योरेंस पालिसी, लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया से किये गये है । ग्रेच्युटी के भुगतान में कोई भी कमी का भुगतान चालू वर्ष में लगाया गया है ।

4 जनरल के प्रकाशन से हुई आय, वर्ष के दौरान किये गये सेमिनारों, सिम्पोजियम्स, और कान्फ्रेंसों के आय और व्यय को नकद आधार पर लिया गया है ।

5. अध्ययन सामग्री और प्रकाशन की इन्वेन्टरीज का काम लागत और बिक्री आदि जो भी कम हो लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है । [illegible] के लिये लागत को फीफो लागत प्रणाली पर आंका गया है ।

6. निवेशों का मूल्यांकन लागत आधार पर किया गया है ।

7. मूल्य ह्रास अचल पूंजी ऐतिहासिक लागत आधार पर दिखाई गई है और उसका मूल्य ह्रास ह्रासमान शेष तरीकों से किया गया है । केवल लाइब्रेरी पुस्तकों की जो मुख्य कार्यालय में हैं, पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति से किया गया है ।

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली

31 मार्च, 1988 को बैलेंस शीट

अनुसूची		रुपये	31-3-1988 रुपये	रुपये	31-3-1987 रुपये
नियुक्त कोष					
1. स्थायी पूंजी					
कुल ब्लाक		3,27,20,745		2,60,21,507	
घटाएं : मूल्यह्रास		1,18,21,958		99,65,156	
निवल ब्लाक	(ए)		2,08,98,787		1,60,56,351
2. उद्दिष्ट निवेश	(बी)		82,47,930		67,39,181
3. अन्य निवेश					
(अ) बैंकों में सावधि जमा		1,45,16,618		1,95,91,639	
(ब) सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के बॉण्ड		1,00,24,950		10,00,000	
(स) यू.टी.आई. के यूनिट		3,00,160		3,00,160	
			2,41,41,728		2,08,91,799
4. निवल चालू पूंजी	(सी)		30,25,069		15,81,183
योग			5,70,13,514		4,52,68,514
वित्तीय सहायता द्वारा					
1. पूंजीगत जमा	(डी)		2,83,80,633		2,31,99,951
2. सामान्य जमा	(ई)		1,81,51,937		1,33,94,063
3. अन्य जमा	(एफ)		22,33,014		19,35,319
4. निर्दिष्ट कोष	(जी)		82,47,930		67,39,181
योग			5,70,13,514		4,52,68,514

नोट्स : जो कि 31 मार्च, 1988 के लेखे के एक भाग के रूप में है :

(1) दो शाखाओं तथा दो महत्वपूर्ण संघों के लेखे प्राप्त नहीं हुए, इसलिये उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर भी वर्ष के दौरान भुगतान किये गये अंशदान और फीस को लिया गया है। दो शाखाओं के बिना आडिट किये हुए लेखाओं को शामिल किया गया है।

(2) जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया पिछले वर्ष के आंकड़ों को री-ग्रुप तथा री-कास्ट किया गया है।

पी.सी. जैन
वरिष्ठ उप-सचिव

आर.एल. चोपड़ा
सचिव

एस. के. दासगुप्ता
अध्यक्ष

इसी तिथि की समसंख्यक हमारी रिपोर्ट के अनुसार

नई दिल्ली
7 सितम्बर, 1988

के.जी. सोमानी
उपाध्यक्ष

सी.पी. मेहरा
चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स

एस. आर. वेंकटारमन
चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली

31-3-1988 को समाप्त हुए वर्ष का आय और व्यय का लेखा

		1987-88 रुपये	1986-87 रुपये
1. आय : अनुसूची (एच.)			
(अ) सदस्यता		2,16,83,874	1,96,67,517
(ब) विद्यार्थी		2,98,35,922	2,50,06,300
	योग	5,15,19,796	4,46,73,817
2. व्यय : अनुसूची (आई.)			
(अ) सदस्य		1,85,99,131	1,68,64,320
(ब) विद्यार्थी		2,64,89,660	2,36,38,868
	योग	4,50,88,791	4,05,03,188
3. वर्ष के लिए आधिक्य (घाटा)			
(1) शिक्षा कोष को स्थानांतरित अनुसूची (जी.)		16,73,131	6,83,716
(2) सामान्य जमा में स्थानांतरित अनुसूची (ई.)		47,57,874	34,86,913
	योग	64,31,005	41,70,629
	कुल योग	5,15,19,796	4,46,73,817

पी.सी. जैन वरिष्ठ उपसचिव	आर.एच. चोपड़ा सचिव	एस. के. दासगुप्ता अध्यक्ष	इसी तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
नई दिल्ली 7 सितम्बर, 1988	के. जी. सोमानी उपाध्यक्ष	सी.पी. मेहरा चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट	एम.आर. वेंकटारमण चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट

अनुसूची "ख"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली

स्थायी संपत्ति राशि रुपयों में

क्रमांक	संपत्ति	कुल ब्लाक				मूल्यह्रास		शुद्ध ब्लाक
		1-4-1987 को लागत	समायोजन/ स्थानांतरण	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	31-3-1988 को लागत	31-3-1988 को मूल्यह्रास	31-3-1988 को किताबी कीमत	31-3-1988 को किताबी कीमत
1.	भूमि	11,10,540	—	12,75,215	23,85,755	—	23,85,755	11,10,540
2	भवन	1,01,63,177	36,700	31,61,585	1,33,61,462	28,27,739	1,05,33,723	78,95,616
3.	भवन निर्माणाधीन	5,10,564	(3,51,147)	3,79,265	5,38,682	—	5,38,682.	5,10,564
4.	बिजली इंस्टालेशन एवं फिटिंग	17,19,139	42,481	65,270	18,26,800	10,09,261	8,17,629	8,27,176
5.	वातानुकूलन इंस्टालेशन	18,31,440	(42,481)	96,914	18,85,873	11,93,344	6,92,529	7,57,621
6	फर्नीचर एवं फिक्चर	42,98,275	42,945	4,70,288	47,42,618	20,50,266	26,92,352	25,43,916
7	लिफ्ट	3,09,912	—	—	3,09,912	1,90,202	1,19,710	1,33,011
8.	आफिस उपस्कर	16,81,496	2,818	2,03,084	18,81,762	11,01,131	7,80,631	7,10,009
9.	वाहन	76,985	76,985	1,06,823	1,06,823	21,365	85,458	23,226
10	पुस्तकालय	38,82,189	28,493	5,39,468	44,50,150	31,03,804	13,46,346	12,07,037
11.	कम्प्यूटर	4,37,790	83,000	8,76,028	12,30,818	3,24,846	9,05,972	3,35,635
	योग	2,60,21,507	4,74,702	71,73,940	3,27,20,745	1,18,21,958	208,98,787	1,60,56,351
पहले वर्ष के आंकड़े		2,28,17,981	3,72,762	35,76,288	2,60,21,507	99,65,156	1,60,56,351	1,42,80,669

अनुसूची "बी"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली

(राशि रुपयों में)

उचित निवेश

	बैंकों में सावधी जमा		अन्य बैंक खातों में शेष		योग	
	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987
(ए) शिक्षा कोष निवेश						
योग (ए.)	46,75,353	34,47,709	—	—	6,80,250	6,80,250
(बी) अन्य उचित निवेश						
(अ) अनुसंधान कोष	680,250	6,80 ,250	—	—	6.80,250	6,80,250
(ब) पदक एवं पुरस्कार कोष	3,88,821	3,16,528	86,716	86,345	4,75.537	4,02,873
(स) वैज्ञानिक अनुसंधान कोष	2,28,682	2,28,682	—	—	2,28,682	2,28,682
(द) अन्य	17,09.516	19,20,352	4,78,592	59,315	21,88,108	19,79,667
योग (बी.)	30,07,269	31,45,812	5,65,308	1,45,660	35,72,577	32,91,472
कुल योग (ए.) + (बी.)	76,82,622	65,93,521	5,65,308	1,45,660	82,47,930	67,39,181

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया अनुबंध "सी"

नई दिल्ली

निवल चालू संपत्ति

(राशि रुपयों में)

विवरण		31-3-1987		31-3-1987
चालू संपत्ति				
(अ) प्रकाशन, अध्ययन सामग्री एवं स्टेशनरी		41,90,526		34,69,160
(ब) प्राप्य राशि				
(1) निवेशों पर ब्याज	16,38,250		12,10,400	
(2) मकान एवं वाहन ऋणों पर ब्याज	9,57,716		8,08,239	
(3) अन्य	23,50,763		20,34,837	
		49,46,729		40,53,476
(स) ऋण एवं अग्रिम				
(1) कर्मचारियों को	47,31,387			
अग्रिम :				
मकान एवं वाहन ऋण	47,31,387		39,74,909	
अन्य	2,23,278		2,11,936	
	49,54,665		41,86,845	
(2) विद्यार्थियों को ऋण छात्रवृत्तियां	33,259		46,019	
(3) अन्य	26,46,113		19,19,544	
		76,34,037		61,52,408
(द) नकद एवं बैंक ऋण बकाया		75,76,389		49,63,905
योग		2,43,42,681		1,86,39,149
घटाइए : चालू देय :				
(अ) अग्रिम प्राप्त फीस		1,40,06,562		1,07,65,518
(ब) व्यय के लिये ऋण वाता		51,27,013		44,82,473
(स) अन्य देय		21,84,047		18,09,975
योग		2,13,17,612		1,70,57,966
निवल चालू संपत्ति		30,25,069		15,81,183

अनुसूची "डी"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली
पूंजी रिज़र्व

(राशि रुपयों में)

विवरण		31-3-1988	31-3-1987
(ए) सामान्य	(ए)		
पिछले खाते के अनुसार शेष		1,75,53,324	1,54,34,434
जमा : प्रवेश एवं नियतित्र एन्ट्रेंस फीस		12,54,400	12,00,920
जमा : शाखाओं के भवनों हेतु प्राप्त दान		30,38,282	9,17,970
	कुल (ए.)	2,18,46,006	1,75,53,324
(बी) शिक्षा			
पिछले खाते के अनुसार शेष		56,46,627	52,96,627
जमा : शिक्षा कोष से स्थानांतरण		8,88,000	3,50,000
	कुल (बी)	65,34,627	56,46,627
	कुल योग (ए) + (बी) =	2,83,80,633	2,31,99,951

अनुसूची "ई"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली
सामान्य राजस्व

(राशि रुपयों में)

विवरण		31-3-1988	31-3-1987
पिछले खाते के अनुसार शेष		1,33,94,063	99,07,150
आय और व्यय खाते से हुए		47,57,874	34,86,913
आधिक्य का स्थानांतरण			
	योग	1,81,51,937	1,33,94,063

अनुसूची "एफ"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली
अन्य राजस्व

(राशि रुपयों में)

विवरण		31-3-1988	31-3-1987
पिछले खाते के अनुसार शेष		19,35,319	17,04,385
जमा : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/समायोजन		3,76,183	3,62,086
		23,11,502	20,66,471
घटाएं :			
उचिष्ट कोष को स्थानांतरण (-)		78,488	1,31,152
	योग	22,33,014	19,35,319

अनुसूची "जी"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली

उचिष्ट कोष

(राशि रुपयों में)

विवरण		31-3-1988	31-3-1987
(ए) शिक्षा कोष :			
पिछले खाते के अनुसार शेष		34,47,709	28,64,653
आय और व्यय के खाते से स्थानांतरण		16,73,131	6,83,716
वर्ष के दौरान कमाया ब्याज		3,14,770	1,56,200
		54,65,610	37,04,569
पूंजी रिजर्व को स्थानांतरण (–)		8,88,000	(–) 3,50,000
समायोजन		97,743	93,140
	योग (ए)	46,75,353	34,47,709
(बी) अन्य उचिष्ट कोष :			
(अ) अनुसंधान कोष		6,80,250	6,80,250
(ब) पदक एवं पुरस्कार कोष :			
पिछले खाते से बकाया		4,02,873	3,28,761
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		55,000	59,676
वर्ष के दौरान हुई आय		40,610	33,938
घटाएं : दिये गये पदक एवं पुरस्कारों की लागत		(–) 22,946	(–) 19,502
		4,75,537	4,02,873
(स) वैज्ञानिक अनुसंधान कोष :			
पिछले खाते के अनुसार शेष		2,28,682	2,28,682
(द) अन्य			
(1) पिछले खाते से शेष		19,79,667	10,11,467
(2) वर्ष के दौरान अतिरिक्त		3,47,764	7,13,690
(3) अन्य रिजर्व से स्थानांतरण		78,488	1,31152
(4) समायोजन (–)		(–) 2,96,445	(–) 6,000
जमा : वर्ष के दौरान हुई आय		81,934	1,29,798
		21,91,408	19,80,117
घटाएं : वर्ष के दौरान खर्च		(–) 3,300	(–). 450
		21,88,108	19,79,667
	योग (बी)	35,72,577	32,91,472
	कुल योग (ए) + (बी)	82,47,930	67,39,181

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति प्रविष्टि संख्या	मदों का ब्योरा	कोड
	1988-91		
	(भाग-1) की		
	पृष्ठ संख्या		
	अन्य		
1.	प्रवेश शुल्क (नियमित)	4,84,400	4,70,500
2.	सदस्यता शुल्क	1,76,24,283	1,57,68,063
3.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुल्क	13,400	21,250
4.	विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	15,38,295	12,98,605
5.	विद्यार्थी संघ शुल्क	1,27,530	1,07,870
6.	कोचिंग फीस	1,23,04,188	89,72,232
7.	परीक्षा शुल्क	1,05,59,184	1,02,05,405
8.	जर्नल एवं न्यूजलैटर	7,69,612	4,60,681
9.	प्रकाशन	40,92,724	1,74,007
10.	निवेशों पर ब्याज	1,74,458	1,74,007
11.	अन्य	12,72,480	9,13,556
	उप योग	4,89,50,55	4,23,70,012
12.	सामान्य कोष से आय (नियमित)	23,94,966	21,70,417
	उपयोग	5,13,45,520	4,45,40,429
13.	समय से पहले के समायोजन	1,74,276	1,33,388
	योग	5,15,19,796	4,46,73,817

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

अनुसूची "एच"

नई दिल्ली

31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे का अनुलग्नक

(राशि रुपयों में)

सदस्यता				विद्यार्थी	
रेगुलेटरी		व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान			
31-3-88	31-3-87	31-3-88	31-3-87	31-3-88	31-3-87
4,84,400	4,70,500	--	--	--	--
1,76,24,283	1,57,68,063	--	--	--	--
--	--	13,400	21,250	--	--
--	--	--	--	15,38,295	12,98,605
--	--	--	--	1,27,530	1,07,870
--	--	--	--	1,23,09,188	99,72,232
--	--	--	--	1,05,59,184	1,02,65,405
--	--	--	--	7,69,613	4,60,681
--	--	14,98,144	16,94,258	25,84,580	22,83,585
--	--	1,04,561	1,04,058	69,897	69,949
3,863	1,105	7,50,339	5,45,478	5,18,278	3,66,973
1,81,12,546	1,62,39,668	23,66,444	23,65,044	2,84,71,564	2,37,65,300
11,49,584	9,98,392	--	--	12,45,382	11,72,025
1,92,62,130	1,72,38,060	23,66,444	23,65,044	2,97,16,946	2,49,37,325
--	--	55,300	64,413	1,18,976	68,975
1,92,62,130	1,72,38,060	24,21,744	24,29,457	2,98,35,922	2,50,06,300

वि इंस्टीट्यूट

नई

31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष

		योग	
		31-3-88	31-3-87
2.	खर्च		
1.	वेतन एवं कर्मचारी व्यय	1,70,53,282	1,47,59,392
2.	छपाई और स्टेशनरी	12,77,002	17,30,560
3.	प्रकाशन	16,87,184	19,71,839
4.	जनरल एवं न्यूजलेटर	33,33,995	30,31,586
5.	कोचिंग (वेतन एवं कर्मचारी व्यय भी शामिल है)	53,73,103	31,10,145
6.	परीक्षा (वेतन एवं कर्मचारी व्यय भी शामिल है)	64,42,197	58,01,31
7.	डाक-तार एवं टेलीफोन	16,19,994	14,17,591
8.	किराया, दरें एवं कर	20,56,450	19,54,988
9.	मरम्मत एवं रखरखाव	8,03,732	6,15,105
10.	मूल्यह्रास	19,29,645	14,99,976
11.	यातायात और परिवहन		
	(अ) परिषद के सदस्य	18,86,673	12,56,386
	(ब) कर्मचारी एवं अन्य	5,97,037	7,06,892
12.	पुस्तकालय रख-रखाव	1,13,252	1,03,942
13.	विदेशी संबंध	5,86,974	4,89,182
14.	व्यावसायिक शुल्क	2,31,008	2,57,793
15.	अन्य	19,99,531	19,13,554
	उपयोग	4,49,93,059	4,01,11,242
16.	समय से पहले के समायोजन	95,732	3,91,946
	योग	4,50,88,791	4,05,03,188

आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया अनुसूची "भ"

दिल्ली

के लिये आय और व्यय के लेखे का अनुलग्नक

सदस्यता				विद्यार्थी	
रेगूलेटरी		व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान			
31-3-88	31-3-87	31-3-88	31-3-87	31-3-88	31-3-87
31,91,996	29,07,378	36,81,786	31,25,192	1,01,79,500	87,26,822
1,94,123	1,33,453	6,15,178	6,14,182	4,67,701	4,82,925
3,49,799	3,49,799	4,73,861	4,13,863	6,40,393	8,57,585
--	--	28,18,606	25,86,647	5,15,389	4,64,939
--	--	--	--	33,73,103	31,10,145
--	--	--	--	64,42,197	58,01,311
3,41,554	3,11,783	5,31,887	4,39,627	7,46,553	6,66,181
3,90,874	3,95,121	7,60,589	6,75,999	9,04,987	8,83,868
1,76,410	1,23,832	2,49,938	2,13,666	3,77,364	2,77,607
4,82,412	3,72,744	4,82,412	3,72,744	9,64,821	7,45,488
4,85,083	2,53,136	9,49,261	6,45,802	4,52,329	3,57,448
92,263	1,39,215	2,08,316	2,58,344	2,96,459	3,09,303
--	--	63,613	57,862	49,631	46,080
--	--	5,88,974	4,99,182	--	--
47,778	1,03,324	93,941	87,052	89,289	67,417
--	--	13,26,648	13,05,271	6,72,983	6,08,283
57,52,313	52,13,877	1,27,85,0121	14,91,967	2,64,55,735	2,34,05,402
13,213	21,825	48,594	1,36,653	33,925	2,33,466
57,65,525	52,35,702	1,28,33,6061	16,28,618	2,64,89,660	2,36,38,868

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया
नई दिल्ली

31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण।

(लाख रुपयों में)

	1987-88	1986-87
कोषों का स्रोत		
निवेषों से शुद्ध आय	30.14	26.46
(कैपिटल एवं रेवन्यू दोनों पर) प्राप्त पूंजी	48.73	33.42
कार्यगत पूंजी में कमी		
उपयोग	78.87	72.35
वर्ष का अधिक्य बिना मूल्य ह्रास चार्ज किये तथा निवेषों पर अपरवलित आय पर विचार करते हुए	61.90	35.61
योग :	140.77	107.96
कोषों का विनियोग		
कार्यशील पूंजी में वृद्धि	14.44	–
स्थायी संपत्ति का अधिग्रहण	71.74	35.14
निवेशों का अधिग्रहण	54.59	72.82
योग	140.77	107.96

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया
नई दिल्ली

कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण

(लाख रुपये में)

	1987-88	1986-87
चालू संपत्तियां		
(अ) प्रकाशन, अध्ययन सामग्री एवं स्टेशनरी	07.21	05.35
(ब) प्राप्त होने वाली राशि		
(1) निवेशों पर ब्याज	04.27	02.27
(2) गृह निर्माण ऋणों पर ब्याज	01.49	01.48
(3) अन्य	03.16	(–) 01.34
(स) ऋण एवं अग्रिम		
(1) कर्मचारियों को अग्रिम	07.68	06.62
(2) विद्यार्थियों को ऋण छात्रवृत्तियां	(–) 00.13)	(–) 00.27
(3) अन्य	07.27	10.87
(द) नकद एवं बैंक रुपया	26.06	(–) 20.65
योग	57.04	04.33
चालू देयताएं		
(अ) अग्रिम प्राप्त फीस	32.41	(–) 00.23
(ब) व्यय के लिये ऋणदाता	06.45	14.54
(स) अन्य देय	03.74	02.49
योग	42.60	16.80
चालू पूंजी में निवल बढ़त/कमी	14.44	(–) 12.47

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया

नई दिल्ली

वर्ष 1987-88 में सदस्यों पर खर्च का विवरण

क्रमांक	विवरण	1987-88		1986-87	
1	(अ) सदस्यों की संख्या		48,856	रु०	44,634
	(ब) कुल खर्च	रु०	18,599	रु०	16,864
2	प्रति सदस्य कुल खर्च	रु०	381	रु०	378
3.	रेगुलेटरी				
	(अ) कुल खर्च	रु०	5,766	रु०	5,236
	(ब) प्रति सदस्य खर्च	रु०	118	रु०	117
	(स) प्रतिशत		31 प्रतिशत		31 प्रतिशत
4.	व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान				
	(अ) कुल खर्च	रु०	12,834	रु०	11,628
	(ब) प्रति सदस्य खर्च	रु०	263	रु०	261
	(स) प्रतिशत		69 प्रतिशत		69 प्रतिशत

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 30th September, 1988

NOTIFICATION

(Chartered Accountant)

No. 1-CA(5)/039/88:—In pursuance of Sub-Section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the Audited Accounts of the Council for the year ended 31st March, 1988 is hereby published for general information:—

R.L. CHOPRA, Secretary

39TH ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1988

In accordance with the provisions of Section 18(5) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council has pleasure in presenting its 39th Annual Report. The Report contains statistical information and accounts of the Institute for the year ended March 31, 1988 and information regarding the activities upto September, 1988.

1. THE COUNCIL

1.1 Member of the Council and its various Committees

The 13th Council, which consists of 24 members of the Institute elected from five regional constituencies and 6 members nominated by the Central Government was constituted on 17th September, 1985 for a term of 3 years. Its term expire on 16th September, 1988 and the new (14th Council) will take charge from 17-9-1988. The composition of the Council and its committees for the period under report is given in Appendix I. A conscious effort has been made to co-opt members from industry on non-standing committees to have their greater participation in the affairs of the Institute. During the year, 9 members were co-opted from industry.

1.2 President and Vice-President

Shri R. Balakrishnan and Shri S.K. Dasgupta continued as President and Vice-President respectively until 16th September, 1987. The Council at its meeting held in September, 1987 elected Shri S.K. Dasgupta and Shri K.G. Somani as President and Vice-President respectively for a term of one year with effect from 16th September, 1987.

1.3 Council Meetings

The year 1987-88 was a very busy year as the Council held a record number of 10 (ten) meetings. Out of these ten meetings, four meetings were exclusively devoted to the consideration of pending disciplinary cases; and one to consider the Report of the Committee for Review of Education and Training. In the remaining five meetings general businss of the Institute was considered. Details of such meetings are given in the table set out below:

No. of the Meeting	Dates	Place
123rd	8th, 9th and 10th April, 1987	New Delhi
124th	30th April and 1st May, 1987	New Delhi
125th	1st and 2nd June, 1987	New Delhi
126th	16th, 17th and 18th July, 1987	New Delhi
127th	3rd, 4th and 5th Aug., 1987	New Delhi
128th	14th, 15th, 16th and 17th Sept. 1987	New Delhi
129th	30th and 31st Oct., 1987	New Delhi
130th	26th, 27th and 28th Nov. 1987	New Delhi
131st	29th, 30th and 31st Dec. 1987	Nwe Delhi
132nd	11th, 12th and 13th Feb. 1988	Jaipur

2. INTERNATIONAL RELATIONS

2.1 International Federation of Accountants

(a) The Assembly of the International Federation of Accountants met in Tokyo, Japan, on October, 11 1987. At the meeting, the following 15 countries were elected to the new IFAC Council for a five-year term ending October 1992:

Australia	Mexico
Brazil	Netherlands
Canada	New Zealand
France	Singapore
Germany	Sweden
India	United Kingdom
Japan	United States of
Kenya	America

The Assembly also approved certain amendments in the IFAC Constitution.

(b) The new Council of the IFAC met in Tokyo, Japan, on October, 15, 1987. At the meeting , the Committees of the IFAC were reconstituted. Accordingly, India retains its membership of the Education Committee. International Auditing Practices Committee, and Financial and Management Accounting Committee.

(c) Shri A.C. Chakrabortti, Calcutta, a past President of the Institute, is the Indian representative on the Council of the IFAC.

(d) Shri P.A. Nair, Bombay, a part President of the Institute, is the Indian representative on the Education Committee of the IFAC.

(e) Shri R. Balakrishnan, Madras, a past President of the Institute, is the Indian representative on the International Auditing Practices Committee of the IFAC.

2.2 International Accounting Standards Committee

The Institute continues to be a member of the International Accounting Standards Committee.

2.3 Review of Relationship between IFAC and IASC

A meeting of the heads of delegations of bodies represented on the IFAC Council and the IASC Board was convened during the World Congress to ascertain the feasibility of the merger of the IFAC and the IASC as to forge closer relationship between them. It was resolved by the meeting to establish a task force with the following terms of reference:

— to consider the work programmes (current and projected) of IFAC and IASC so as to meet the needs of members and of the international business community.

—to consider how the objectives of both organisations could be met in the most cost effective manner; and

—to recommend, if appropriate, structural and/or constitutional Changes and revised methods of financing.

India was elected as one of the members of the task force apart from nine other countries. Shri S.K. Dasgupta, Calcutta is the member of the task force.

2.4 Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)

India continues to be represented on the Executive Committee of the Confederation of the Asian and Pacific Accountants through our sister Institute, the Institute of Cost and Works Accountants of India.

2.5 South Asian Federation of Accountants (SAFA)

(a) Mr. S.K. Dasgupta, President of the Institute, is presently the Institute's representative on the SAFA Assembly. Mr. K.G. Somani, Vice-President of the Institute, is the Chairman of the Technical Standards Committee of SAFA. The Committee is engaged in carrying out a comparative study of technical standards in member countries.

(b) A meeting of the Assembly of the South Asian Federation of Accountants (SAFA) was held on December 5, 1987 at Colombo, Sri Lanka. At the meeting, Mr. Mohammed Yunus of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh was elected as the President of SAFA for the year 1988. The representative of the Institute of Cost and Works Accountants of India was elected as the Vice-President for a similar term.

(c) A meeting of the SAFA Assembly was held in Dhaka, Bangladesh in May, 1988. The Assembly meeting was followed by the Third SAFA Conference on 1st and 2nd June, 1988. Shri S.K. Dasgupta, President and Shri K.G. Somani, Vice-President attended the meeting as the Institute's representatives. Shri A.K. Chakraborty, a senior member of the Council, presented a paper at the Conference.

(d) A seven-day programme on 'Role of Computers in Accounting and Auditing' was organised by the Institute at its Madas Computer Centre for delegates from the SAFA member bodies. The programme was well-appreciated by the participants.

2.6 XIII World Congress of Accountants

The XIII World Congress of Accountants was held in Tokyo, Japan, on October 11-15, 1987. The Congress was hosted by the Japanese Institute of Certified Public Accountants. As many as four thousand delegates participated in the Congress. The thirteen-member delegation of the Institute was led by the President, Shri S.K. Dasgupta . Shri R.N. Roy, a member of the Institute, facted as Co-author of the paper on 'Audit of Simple EDP System'.

The theme of the Congress, viz., 'The role of the Accountant in a Computer environment' was expounded in the overview sessions and optional sessions. A unique feature of the Congress was that all the technical sessions were based on audio-visual presentation. As a part of the World Congress, a business show was organise to explore the question of how the humans and the computers could work together harmoniously in the office of the future and how office automation could contribute to improving organisational efficiency. Another highlight of the Congress was that the Delegates were given an opportunity to visit Japanese high technology facilities in industrial units. Thus the delegates were able to see both the work culture and ethics in Japanese industrial units as well as their latest technological advances in computer production, factory automation, office equipment production, information systems etc.

2.7 Responses to International Technical Documents

The Institute continues to respond to the technical documents issued by the International Federation of Accountants and the International Accounting Standards Committee.

3. PROFESSIONAL DEVELOPMYNT ACTIVITIES

3.1 General

The following paragraphs give a brief review of the Professional Development Activities of the vraious non-standing committees constituted by the Council of the Institute during the Council year i.e., September 17, 1987 to September 16, 1988. The review does not include the activities of the period from April 1, 1987 to September 16, 1987, as these have already been covered in the 38th Annual Report submitted last year. It does not also include details of the professional development activities of the Regional Councils and their branches.

3.2 Accounting Standards Board

(a) Issuance of Accounting Standards

Since the issuance of the preface to the Statements of Accounting Standards in January, 1979, the Council has issued the following ten definitive Accounting Standards:—

(i) Accounting Standard—1 on "Disclosure of Accounting Policies" (AS-1)—November, 1979.

(ii) Accounting Standard—2 on "Valuation of Inventories" (AS--2)—June, 1981.

(iii) Accounting Standard—3 on "Changes in Financial Position" (AS—3)—June, 1981.

(iv) Accounting Standard—4 on "Contingencies and Events Occurring After the Balanee Sheet Date" (AS—4)—November, 1982.

(v) Accounting Standard—5 on "Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies" (AS—5)—November, 1982.

(vi) Accounting Standard—6 on "Depreciation Accounting" (AS—6)—November, 1982.

(vii) Accounting Standard—7 on "Accounting for Construction Contracts" (AS—7)—December, 1983.

(viii) Accounting Standard—8 on "Accounting for Research and Development" (AS—8)—January, 1985.

(ix) Accounting Standard—9 on "Revenue Recognition" (AS—9)—November, 1985.

(x) Accounting Standard—10 on "Accounting for Fixed Assets" (AS—10)—November, 1985.

Apart from the above, the Board has also issued a guidance note on "Terms Used in Financial Statements".

(b) Implementation of Accounting Standards.

In pursuance of efforts to implement the Accounting Standards, the Council of the Institute at its 120th meeting held in September, 1987 decided that As-4 on "Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date" and AS-5 on "Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies" issued by the Institute should be mandatory in respect of accounts for periods commencing on or after 1-4-1987. It is intended to make other standards also mandatory in a phased manner. With a view to give wide publicity about the utility of Accounting Standards, a publicity brochure prepared by the Board had been circulated among various organisations. The brochure gives details about the composition of the Board, its objectives and procedure for developing of Accounting Standards. In addition, the topic of Accounting Standards was discussed in a large number of seminars during the period under report to enable familiarisation with the Standards.

(c) Accounting Standards under Formulation

Standards on the following subjects are in various stages of formulation:—

(i) Accounting for the Effects of changes in Foreign Exchange Rates.

(ii) Accounting for Taxes on Income.

(iii) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

(iv) Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers.

(v) Accounting for Investments.

(vi) Accounting for Business Combination.

3.3. Auditing Practices Committee

(a) Guidance Note on Long Form Audit Reports in Bank Audits

The Reserve Bank of India had advised the public sector banks in the year 1985 to obtain long form audit reports from their auditors. The Reserve Bank had also issued two questionnaires for this purpose. These questionnaires were revised by the Bank in the year 1987. Accordingly, the Committee also modified its Guidance Note on the subject to incorporate the changes made in the questionnaires..

(b) Audit Report in case of Nationalised Banks

On the basis of certain suggestions received in this behalf, the Committee reviewed the format of the statutory auditors' report in the case of nationalised banks. It was felt that there were certain inconsistencies in the format. Accordingly, the Committee issued a Guidance Note setting out the recommended format of audit report in case of national ised banks.

(c) Statements on Standard Auditing Practices and Guidance Notes

During the year the Council approved the publication of the following Statements on Standard Auditing Practices formulated by the Committee:—

(i) Statement on Standard Auditing Practices (SAP) 5, "Audit Evidence".

(ii) Statement on Standard Auditing Practices (SAP) 6, "Study and Evaluation of the Accounting System and Related Internal Controls in Connection with an Audit."

The draft of the proposed Statement on Standard Auditing Practices dealing with "Relying upon the work on an Internal Auditor" will be issued shortly.

Apart from the above, the Committee issued the Exposure Draft of a proposed Statement on Standard Auditing Practices dealing with "Planning".

Statements on Standard Auditing Practices and Guidance Notes on the following subjects are at various stages of formulation:—

(i) Auditing in an EDP Environment.

(ii) Using the Work of Another Auditor.

(iii) Responsibility of Joint Auditors.

(iv) Audit Engagement Letters.

(v) Audit of Investments

(vi) Audit of Inventories

(vii) Audit of Debtors, Loans and Advances.

The Committee has constituted study groups at Bombay, Calcutta and Madras to prepare preliminary drafts of the Statements on Standard Auditing Practices for the consideration of the Committee Another study group at Delhi is engaged in the task of developing preliminary drafts of the Guidance Notes based on the Institute's existing publication titled "Statement on Auditing Practices

3.4 Research Committee

(a) *Published Literature*

The following publications have been released for sale during the year:—

(i) Compendium of Guidance Notes—Volume-II, containing Guidance Notes issued after 30th June, 1985 and upto 31st March, 1987

(ii) Guidance Note on Accounting Treatment for MODVAT

(iii) Guidance Note on Accrual Basis of Accounting

(b) *Studies in the Process of Publication*

(i) Accounting and Auditing Technical Guide on Fertilizer Industry

(ii) Guidelines on Internal Audit—Sugar Industry.

(c) *Publications under Finalisation by the Committee/ Council*

(i) Study on Use of Financial Information for Determination of Sickness in Industry

(ii) Accounting and Auditing Technical Guide
(a) Automobile Industry
(b) Drugs and Pharmaceutical Industry

(iii) Guidance Note on Accounting for Leases

(iv) Accountant's Guide to Foreign Exchange Regulations Act

(v) Guidelines on Internal Audit—Tyre Industry

(vi) Revsion of "The Payment of Bonus Act, 1965–An Accountant's Study"

(vii) Revision of "Study an Valuation of Shares"

(viii) Revision of Statement on Treatment of Retirement Gratuity in Accounts

(ix) Revision of Guidance Note on Accounting Treatment for Excise Duty.

(d) *Project in Progress*

(i) Audit Sampling Techniques

(ii) Guidelines on Internal Audit—Textile Industry

(iii) Accounting and Auditing Technical Guide—Hotel Industry

(iv) Impact of the pronouncements of the Institute on the Financial Statements of Companies

(v) Accountants Guide to Law of Customs Duty.

(vi) Studies on:

(a) MRTP Act.

(b) Insurance Audit—LIC.

(c) Audit of Public Trusts.

(d) Hospital Accounting and Management Control System.

(e) Computer and the Auditor.

(vii) Management Control and Accounting Systems in Non-Profit Sector of Indian Economy.

(viii) Monograph on Accounting for Forestires.

(ix) Guidelines on Internal Audit—Cement Industry.

(e) *Existing publications in the Process of Revision*

(i) Technical Guide for Audit for Educational Institutions.

(ii) Technical Guide for Audit of Cooperative Societies.

(iii) Price Fixation in Indian Industries.

(iv) Guidance Note on Accounting Treatment of Reserves in Amalgamations.

(v) Statement on Changes in the Mode of Charging Depreciation in Accounts.

(b) *Shield Panel*

Annual Award of Prizes for the Best Presented Accounts of Companies and Non-Financial Statutory Corporations for the year 1986-87:

The Panel of Judges for the Annual Competition for the year 1986-87 have adjudged the Annual Report and Accounts of :

ENGINEERS INDIA LIMITED
(For the year ended March 31, 1987)

as the best and accordingly it has decided to award its Silver Shield to this Company.

The Panel of Judges have also highly commended the Annual Reports and Accounts of the following companies and have accordingly decided to award the Plaques to:—

*THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LIMITED
(For the year ended July 31, 1986)

* CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED
(For the year ended March 31, 1987)

* MADRAS REFINERIES LIMITED
(For the year ended March 31, 1987)

The Panel of Judges also considered the Accounts of Banks and Financial Institutions for 1986-87 and adjudged the Annual Report and Accounts of

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
(For the year ended June 30, 1986)

as the best among the entries received from banks and financial institutions and have accordingly decided to award the Silver Shield to this Corporation.

The Panel of Judges separately considered the Accounts of entities such as Public Trusts, Co-operative Societies, Research and Educational Institutions etc. for the year 1986-87 and adjudged the Annual Reports and Accounts of:

INDIAN FARMERS FERTILIZERS COOPERATIVE LIMITED
(For the year ended June 30, 1986)

as the best among the entires received and have accordingly decided to award the Plaque to it.

*Note:

The listing of the companies whose accounts have been highly commended is alphabetical and it does not denote any ranking on the basis of merit.

3.5 Professional Development Committee

(a) *Empanelment procedure and other matters relating to audit of accounts of branches of nationalised banks and regional rural banks.*

The Committee has collected information by inviting applications in the prescribed forms from practising members of the Institute for empanelment as auditors of 28 public sector banks and their branches including statutory central audit and branch audit of Regional Rural Banks (RRBs) for the year 1988 in accordance with the guidelines indicated by the concerned authorities. The information given by members in the prescribed application forms has been computerised and the panel so prepared has been sent to the concerned authorities who make the actual allotment of audits. The Committee took up a number of issues regarding the empanelment with the authorities on the basis of the representations received from members.

Members and Firms have been informed about the unique code numbers allotted to them for quoting in the application form.

(b) *Internal Audit*

Two Residential Courses on Internal Audit were held at Kovalam and Port Blair on December 19-22, 1987 and on March 17-21, 1988 respectively to discuss some of the techniques and developments in the area of Internal Audit and to provide a forum for exchange of views in this fast developing area.

(c) *Seminars on Concurrent/Inspection/Revenue Audit of Banks*

As a part of the Continuing Education Programme a series of seminars are being organised at regional offices, branches and other important cities to discuss various aspects of concurrent/inspection/revenue audit of banks in collaboration with the Regional Councils. Uniform and detailed background material has been compiled for distribution among participants of the seminars.

(d) *Seminar on Audit Committees at Bombay*

A one-day seminar on Audit Committee was organised in collaboration with the IDBI at Bombay on March 26, 1988. The Seminar was attended by the participants from various organisations in different parts of the country.

(e) *8th All India Conference on Internal Audit*

Eighth All India Conference on Internal Audit was organised at Bombay on September 4-5, 1988. The main objective of the Conference was to discuss the various aspects of internal audit function and to deliberate on the expanding role of the internal

auditor in the contemporary economic and business environment. The deliberations of the Conference were divided into four technical sessions, on various aspects of internal audit. The Conference was attended by about 300 executives from various private as well as public sector organisations.

(*f*) *Amendment of Co-operative Societies Act to provide for Audit of Co-operative Societies by Chartered Accountants*

At the behest of the Committee, the Regional Councils and branches of Regional Councils at State Capitals have represented to the appropriate auauthorities in their State(s) for amendment of the Co-operative Societies Act to provide for audit of Co-operative Societies by Chartered Accountants. The members of the Council have also been pursuing the matter with various State authorities. The Andhra Pradesh Government has issued circulars indicating that (a) District Co-operative Audit Officers could entrust audit to any chartered accountant in the case of an institution where audit was in arrears and (b) entrustment of internal audit of accounts of co-operative sugar factories to chartered accountants and (c) constitution of State level Co-Committee wherein one of the representatives would be a chartered accountant. In some other States also e.g., Himachal Pradesh and Maharashtra the authorities have agreed to increase the involvement of chartered accountants in the audit of co-operative societies.

(*g*) *Guidelines on Import & Export Certificates*

The Import and Export Policy and Hond-book of Imports and Exports procedures 1985—88 issued by the Chief Controller of Imports and Exports contains various forms requiring certification by chartered accountants. The Committee is making efforts to bring out a guidance note to assist the members in discharging their duties while certifying information as prescribed by the authorities.

(*h*) *Making Self-regulatory Measures Mandatory*

The Council has been issuing from time to time certain self-regulatory measures with the objective of ensuring equitable flow of professional work among members of the Institute. A complete text of the self-regulatory measures was last published in 1986 edition of the publication "Professional Opportunities for Members—An Appraisal."

The Council at its 122nd meeting held in May, 1987 decided that the self-regulatory measure relating to non-acceptance of audit work below a certain fee should be made mandatory. A notification on the subject has been published in June 1987 issue of "The Chartered Accountant".

3.6 Committee for Members in Industry

(a) The Committee for Members in Industry had been formed with the following objectives:—

(i) consider ways and means to enhance participation of members in service in the affairs of the Institute.

(ii) consider matters affecting members in service and in particular to consider problems relating to career planning, ethics and other related matters as they affect the members in service.

(iii) provide employment service both for the benefit of the members seeking employment in Industry and the prospective employers; and

(iv) explore and develop fresh avenues of employment for Members in Industry.

The Committee comprises a number of eminent membres in Industry.

(b) Pursuant to the decision of the Committee, the Regional Councils have formed Committees for Members in Industry in their Regions, which hold regular meetings for discussing matters relating to Members in Industry in their Regions and also organise seminars from time to time on topics of various interest to Members in Industry such as union budget, tax laws, exposure drafts/statements/guidance notes issued by the Institute.

(c) An article on the subject "Employment Opportunities for Chartered Accountants in Financial Institutions" has been published in January 1988 issue of the Journal for the information of members. A series of six articles on employment opportunities for chartered accountants had been published earlier in the various issues of the Journal.

(d) A representation has been made to the Bureau of Public Enterprises that public sector undertakings including nationalised banks be requested to reimburse to their chartered accountants employee the membership fee paid by them to the Institute.

(e) An All India Conference on Corporate and Management Accounting on April 8-9, 1988 was organised at Pune. The main objective of the Conference was to provide a forum to discus the various aspects of Corporate and Management Accounting and to deliberate upon the expanding role of the management accounting in the contemorary economic and business environment. The Conference was attended by 200 delegates.

(f) A residential course for Finance and Accounts Executives in Industry was organised on June 4-8, 1988 at Srinagar to discuss the modern techniques of management accounting and corporate finance.

3.7 Company Law Committee

(*a*) *Memorandum on the Companies (Amendment) Bill, 1987*

In view of the introduction of the Companies (Amendment) Bill, 1987, the Company Law Committee, after holding a clause by clause discussion and taking into account, the comments and observations of past Presidents, Council members, Regions, Branches and views expressed at the Seminar organised by it, finalised the Memorandum on the amendments and submitted the same to the Ministry of Industry, Department of Company Affairs. The Memorandum included a large number of suggestions and we feel happy to record that quite a few of our suggestions particularly on Section 5 (officer-in default), Section 43-A (Deemed Public Companies), Section 269 and Schedule XIII (Managerial Remuneration) and Section 205 (Dividends) were accepted by the Government and find a place in the Amendment Act. 1988.

(*b*) *Residential Course on Taxation and Company Law*

The 11th Residential Course on Taxation and Company Law was held jointly by the Taxation and Company Law Committee at Ooty from 2nd May 1988 to 6th May, 1938. 33 persons representing industry and profession participated.

(*c*) *Study in connection with BIFR*

The Committee decided to prepare a study on BIFR vis-a-vis members of our profession in view of the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act. The The proposed study shall be in the nature of an appraisal and review and shall provide guidance to the memberf on this important legislation.

(*d*) *Dialogue with Government on Company Law*

The Committee continued to discuss with the Government and respond to the various issues related to Company Law. The Department of Company Affairs sought the views of the Institute on a number to matters during the year. The Committee responded to the various issues quickly and effectively.

3.8 Taxation Committee

(*a*) *Residential Course on Taxation and Company Law*

The Eleventh Residential Course on Taxation and Company Law organised by the Taxation and Company Law Committees of the Institute took place at Hotel Southern Star—Ooty from 2nd May to 6th May, 1988. Thirty-three delegates from various parts of the country attended the Course. The following topics were considered in depth:—

Corporate Taxation—Selected Issues; Recent Legislative Changes in Direct Tax Laws; Procedural Aspects of Direct Tax Laws; Sales Tax; Appointment and Remuneration of Managerial Personnel and Industrial Sickness-in the wake of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985—with Special Reference to functioning of BIFR.

The Chairman of the Taxation Committee Shri N.K. Poddar was the Course Director.

(*b*) *Central Budget*

(i) In response to an invitation from the Finance Minister a delegation of the Institute consisting of Sarvashri S.K. Dasgupta, President, K.G. Somani, Vice-President, N.K. Poddar, Chairman, Taxation Committee, M.G. Patel, Vice-Chairman, Taxation Committee and S.C. Vasudeva, Member, Taxation Committee, R.L. Chopra, Secretary and C.R.T. Varma, Secretary, Taxation Committee called on the Finance Minister on 8th January, 1988. The Chairman of the CBDT, Shri C.K. Tikku and other senior officials of the Board were also present at the meeting.

The Pre-Budget Memorandum of the Institute was presented to the Finance Minister. The memorandum contained Institute's suggestion for consideration of the Government while for mulating the Budget Proposals for the year 1988-89. It covered a wide range and included interalia suggestions relating to rural development, reward for increase of production and productivity, control of non-plan expenditure, promotion of toursim and other service sectors, measures for increasing revenue, rationalisation of existing tax laws, modifications in various provisions of the Direct Tax Laws (Amendment) Bill 1987 Foreign Exchange Regulations, Foreign/Currency and Exports and budgetary defict, Industrial development and employment.

The Finance Minister appreciated the role of the Institute in the country's economic activities and its contributions. He assured the delegation that the Government had an open mind in the matter of tax reform and appropriate administrative instructions would issued to remove genuine difficulties faced the assessees in the course of the implementation of the provisions of Direct Tax Laws (Amendment) Bill, 1987. He assured the delegation that he would be consulting the Institute frequently on various matters of economic and fiscal importance. Earlier, the President, along with representatives of Chambers of Commerce, and Industries participated in the Finance Minister's pre-Budget Consultation Meeting on 5th January, 1988.

Another meeting was held with the new Finance Minister, Hon'ble Shri S.B.Chavan, concerning certain areas of Direct Tax Laws (Amendment) Act. 1987. The President accompanied by the Vice-President, Shri K.G. Somani; the Chairman of the Taxation Committee, Shri. .N.K. Poddar; the Vice-Chairman of the Taxation Committee, Shri M.G. Patel and two other members of the Taxation Committee, viz., Shri G. Narayanaswamy and Shri S.C. Vasudeva called on the Hon'ble Minister on 26th July, 1988. The views of the Institute on taxation of firms, additional income-tax, re-assessment and taxation of charitable trusts were conveyed. The Hon'ble Minister was also requested to amend Section 10(23A) so as to confer total exemption in respect of the entire income of the professional bodies like our Institute.

(ii) The Post Budget Memorandum of the Institute was submitted to the Finance Minister, Chairman, Central Board of Direct Taxes and other relevant Government authorities on 5th April, 1988.

(c) *Memoranda/Representations submitted*

(i) A representation was sent to the CBDT on 5th January, 1988 requesting for issue of clarification to the effect that in the case of Government Companies and other companies where there is a delay either in the appointment of a statutory auditor or in the completion of the statutory audit, the tax auditor could give his report in Form 3CB/3CC instead of Form 3CA as stipulated in the Rules.

(ii) A representation was made to the CBDT on 7-4-1988 requesting the Board to issue clarification regarding the applicability of the provisions of Section 80C(2) (h) (c)(6) and 192(2A) of the Income-tax Act, to the Institute of Chartered Accountants of India.

(iii) In response to a request from the Director Directorate of Organisation and Management Services (Income-tax) Delhi Institute's comments and suggestions relating to new scheme of tax deduction at source were submitted.

(iv) In response to a request received from the Central Board of Direct Taxes, Comments and suggestions were sent regarding the categories of transactions upon which Permanent Account Numbers have to be quoted.

(d) *Publications*

(i) A reprint of the Guidance Note on Tax Audit under Section 44AB of the Income tax Act was brought out in April 1988 incorporating foot notes indicating changes made/proposed upto 1-4-1988.

3.9 Continuing Professional Education Committee

(a) *Seminars and Courses*

Under the Continuing Education Programme, a number of seminars and courses were organised during the year. For details please see *APPENDIX II.*

(*b*) *Results of Post Graduate Courses*

Examination of the Management Accountancy/ Corporate Management/Tax Management Courses (Part I) were held under the revised syllabus in November, 1987 and examination of the Management Accountancy Course (Part I) was held under the revised syllabus in May, 1988. The summarised results of the examinations held in November, 1987 are given in *APPENDIX III.*

(*c*) *Merit Scholarships*

Scholarships of Rs. 500 each were granted to 5 candidates for purchase of Books under the incentive scheme of the Management Accountancy Course. It has been decided to extend the scheme to the participants of the Corporate Management and Tax Management courses also

(*d*) *Management & Economic Quarterly Digest*

Since September, 1987 four issues of the Management and Economic Digest (a journal containing abstracts of important articles on contemporary issues in Management and Economics) have been brought out. This publication is now being subscribed to by about 1400 members.

(*e*) *Practical training/passing of MAC*

The number of candidates registered during the year for practical training under Part II of the Post Graduate Courses was as under:—

(i) Management Accountancy Course

(ii) Corporate Management Course

(iii) Tax Management Course

The following members completed both parts of the Post Qualification Course in Management Accountancy :

(i) Mr. S. Kannan (M. No. 33573)

(ii) Mr. N.R. Sridharan (M. No. 15527)

(*f*) *In-House Computer Centres*

As per the decision of the Council, four in-house computer centres have been set up at the Regional offices in Madras, Calcutta, Bombay and Kanpur to

provide properly designed courses for the member and students of the Institute. Work relating to the Computer Centre at Delhi is at an advanced stage and the centre is going to be opened shortly. A three tier training programme is envisaged to impart thorough training to the participants, in the use of computers for undertaking the professional work of an accountant. There has been an encouraging response to the large number of programmes organised by the centres. A summary of the computer courses organised at the computer centres is given in *APPENDIX IV*. In addition to these courses for our members & students, the centres are also conducting a limited number of in-house training programmes for Government Departments, banks and undertakings etc. A course was also organised for the representatives of SAFA-member institutions. During the year, more computers have been added to the computer centres at Madras and Calcutta.

(g) '1988 *Update' Seminar*

Considering that developments in accounting and auditing, finance, corporate and fiscal laws in the recent past are likely to have material effect on accounting and financial structure of various organisations, Regional Councils have been requested to organise a series of 1988—Update seminars, at regional headquarters, branches, and other important cities. This series of seminars is aimed at apprising the members of the Institute about the implications of the latest developments in the above mentioned aspects. The background material for the seminar has been printed and sent to Regional Offices and branches. Seminars at regional centres and certain large cities are of two days duration and at other places, they are of one day duration.

3.10 Expert Advisory Committee

(a) Since the last report in September, 1987 the Committee received 72 queries (including 7 pending at the beginning) and disposed of 46 of them. 2 queries have been/are being referred to the council. 3 queries are pending as addtional information has been sought from the queriits. 21 other queries pending as on 12-8-1988.

(b) The "Compendium of Opinions", Volume VII, containing the opinions of the Committee between September, 1986 and September, 1987 along with a composite subject-wise alphabetical index on the opinions contained in all the earlier six volumes, has been released for sale.

(c) Brief versions of important opinions of the Committee are being published in each issue of "The Chartered Accountant" for information of all readers.

3.11 Ethical Standard Committee

Since September, 1987, the Eithical Standards Committee held three meetings at which various ethical issues concerning the accountancy profession were considered and Eithical principles were evolved for the guidance of the members. Apart from answering the scores of enquires received by the Committee from various members asking for guidance on problems on ethics and for an interpretation of the Code of Conduct of the Institute, the Committee had undertaken and carried out the following significan tasks :

Revision of the Code of Conduct

(i) The code of Conduct was first issued by the Institute in November, 1963 and had undergone Seven editions. From time to time, the Council has been enunciating various ethical rules of behaviour and the principles that members are expected to follow in situations on diverse issues of professional ethics. These pronouncements of the Council as also the principles laid down by it were being included in the Code of Conduct in various edition.

The Committee revised the Code of Conduct completely to include latest decisions and pronouncements of the Council and of the various High Courts on questions of ethics. It also included relevant principles laid down by the Ethics Committee of the International Federation of Accountants. Besides, comments contained in the Code of Conduct, were edited so as to make it more cogent and readable and to eliminate the portions which had become superfluous or obsolete. The Council at its meetings held in November 1987 and April 1988 approved the revised draft Code of Conduct with certain modifications. The revised Code of Conduct is being printed and would be made available to the members very shortly.

(ii) The Committee also had occasion to examine the question as to whether members of the Institute may be permitted to have their names included under the classified list of Chartered Accountants in the Yellow pages of the Telephone directories published in different cities by the Mahanagar Telephone Nigam Limited. On the basis of the recommendations made by the Committee, the Council considered the question and decided to allow members to have their names included in the classified list of Chartered Accountants in the Yellow pages of the telephone directories published under authority of the Mahanagar Telephone Nigam Limited. The Council decided that the members be directed to ensure that their names or name of their firms

appear in the normal type used in printing and not in a type bolder than otherwise used in printing the Yellow pages directory.

3.12 University Liaison Committee

(a) Joint Seminars with Universities

In its efforts to strengthen coordination between the universities and the Institute, the Committee organised four joint seminars in collaboration with the following Universities:—

1. Osmania University, Hyderabad on 16-1-88.
2. Kurukshetra Uiversity, Kurukshetra on 12th and 13th May, 1988.
3. Poona University, Pune on 16th July, 1988.
4. M.D. University, Rohtak on 20th August, 1988.

The participants included members of faculty of various universities and colleges and members from the profession. It was felt that these seminars will bring the universities and the Institute closer for mutual benefit.

(b) Endowments for awarding gold medal/prize to the students securing the highest marks in Accountancy at B.Com Examination.

The Institute has created three more endowments at Banaras Hindu University, Varanasi, Guru Nanak Dev University, Amritsar and Bharathidesan University, Tiruchirapalli for creating the endowment. Now we have endowments in 22 universities.

(c) Recognition of CA course by universities for Ph. D. programme.

As a result of constant follow up with the universities, the committee has been able to secure recognition for CA course for Ph.D. purposes from six more universities i.e., Alagappa University, Karaikudi, Bharathidesan University, Tiruchirapalli, M.D. University, Rohtak, Ranchi University, Ranchi, Agra University, Agra and Kurukshetra University, Kurukshetra. Now in all 31 universities, besides the Association of Indian Universities, recognise the CA course. The names of these Universities are given in APPENDIX. V

(d) Liaison with the University Grants Commission

Shri Laxminiwas Sharma, Chairman, University Liaison Committee has been nominated as a member on the Commerce Panel of the U.G.C. for a period of two years w.e.f. 1st August, 1987.

(e) Popularisation of CA Course

The Committee brought out a pamphlet entitled, "We Care For You If You Are Career Conscious" giving information about the CA course,. Copies of the pamphlet have been sent to all the Regional Council and branches of the Institute, 94 universities, 2,470 colleges and 95 University Information and Guidance Bureaux.

(f) Feedback from Universities about the award of ICAI Prize/Gold Medal out of the endowment created by the Institute.

Information is being received from most of the universities about the award of prize/gold medal. Follow-up action is being taken with the universities which are not supplying the necessary information. The names of awardees along with their photographs, if available, are being published in the Institute's Journal.

(g) Representation of the Institute on the Senates of the Universities.

The Committee is making efforts to secure Institute's representation on the Senates of various universities in the country.

4. OTHER MATTERS

4.1 Committee on Public Relations

(a) The Committee on Public Relations took up programme to promote wider understanding of the functions of the Institute and project a better image of the profession.

(b) An extract from the 38th Annual Report for the year ended March 31, 1937 was published in several leading newspapers. Reports of the annual meeting, featuring the annual award of the prizes for the best presented accounts and for the prize winners in the examinations of the Institute, were also carried by leading newspapers.

(c) Publication of the ICAI Newsletters was continued to apprise the public in general about the policies framed and objectives pursued by the Council.

(d) Press conferences were held by the President in different parts of India to highlight the various activities of the Council and also to project the viewpoint of the Institute on various policy issues. The views of the Institute were carried by leading newspapers.

(e) The President was interviewed by Delhi Doordarshan for his views on Government's budgetary policy for 1988-89. The President was invited by Calcutta Doordarshan for a panel discussion on the accountancy profession and its education and training procedure.

(f) The President and the Vice-President visited various Regional Councils and branches and their visits were covered by the local press.

(g) Comments of the Institute on matters concerning the profession and matters of general importance were put out through press statements from time to time.

4.2 40th Anniversary of India's Independence

At the suggestion of the Government of India, the Institute had taken up several programmes to celebrate the 40th Anniversary of India's Indepen ence. The programme 'inter alia' include:-

(a) An illustrated booklet entitled "Four decades of impressive growth and service to the Nation" was published and distributed. It highlighted the main activities of the Institute and the achevements of the profession in the past forty years.

(b) A scheme for research fellowship has been created for bright students who have passed C.A. Final Examination with consistently good academic record. The fellowship is for one year on a grant of Rs. 1000 permonth.

(c) Three monthly scholarships of Rs. 100 each for one year have been granted to those securing first three positions in the Entrance Examination starting from November 1987. The payment of scholarship is to be made from March 1988 to February 1989.

(d) The Second Volume of the history of the Accountancy Profession covering the period 1972 to 1987 is being prepared by Shri B.L. Kabra and Shri P.N. Shah, past Presidents of the Institute.

(e) Library facilities at branches have been expanded with additional sets of text book stocked for the use of students.

(f) Buildings have been constructed by Agra, Ahmedabad, Alleppey, Coimbatore, Calicut, Ernakulam, Kottayam, Poona, Surat and Trichur branches. Jaipur, Lucknow, Madurai and Trivandrum branches have acquired land for construction of branch buildings.

(g) The construction work on the Institute's office complex in NOIDA has been started.

4.3 Committee for Review of Education and Training

The Committee for Review of Education and Training set up by the Council in its September, 1984 meeting submitted its final report to the Council at the September, 1987 meeting. The Council considered the Report at 130th, 131st and 132nd meetings.

The Committee made far reaching recommendations on several areas studied by it. Some of its recommendations as accepted by the Council of the Institute are as under:-

(i) Revision of the entry requirement for the Chartered Accountancy Course so as to admit students who have passed the senior secondary examination, on the basis of qualifying in the Foundation Examination proposed by the Committee.

(ii) Commencement of articleship only after qualifying in the Foundation Examination except for exempt Graduates.

(iii) Appearance at the Final Examination only after completion of the training period.

(iv) Imparting training in computer.

(v) Allowing only one permitted additional course of study at a time during the articleship.

(vi) Equating a member in employment having six or more years of Post C.A. employment experience with a member in practice of three years' standing, when the former switches over to full time practice, for determining eligibility to train articled students.

(vii) Introduction of an Induction Course for the student joining the C.A. Course.

(viii) Maintenance of reasonable records by members evidencing the practical work done by articled students and audit clerks.

(ix) Revision of the rates of stipend payable to articled students and remuneration payable to audit clerks.

(x) Revision of the syllabi for Intermediate and Final Examination to meet the current and emerging needs,

(xi) Mandatory Continuing Education for members in practice,

(xii) Commencement of post-qualification courses in a few more areas like Computers, Financial Analysis and Investment Management, and Accounting and Control of Public Utilities.

The complete summary of Conclusions and Recommendations of the Report alongwith related decisions of the Council has been published in May, 1988 issue of the Journal.

4.4 "The Chartered Accountant"

(a) The Institute continued to supply the journal free of cost to members, during the year under report.

(b) The Editorial Board decided to award the folowing prizes for the best articles published in Volume

XXXV (July 1987 to June 1988) of "The Chartered Accountant" : —

The Editorial Board decided to award the following prizes for the best articles published in Volume XXXVI (July 1987 to June 1988) of "The Chartered Accountant" : —

Main Section

1st Prize (Rs. 1,500)	Shri Jia Lal Jain, Chandigarh for his article "Sickness in State Electricity Boards—Causes and Remedies" (March 1988 issue)
2nd Prize (Rs. 1,000)	Shri A.H. Dalal, Bombay for his article "Direct Tax Laws (Amendment) Act 1987—How does it affect Public Trusts?" (April 1988 issue)
3rd Prize (Rs. 500)	Dr. N.L. Ahuja, New Delhi for his article "Accounting Standards—Their Applicability and Auditors' Responsibilities" (June 1988 issue)

Students' Section

1st Prize: (Rs. 750)	Jointly to S/Shri V. Govindarajan and Babu Jayendran, Dubai for their article "Security and Audit in a Coumputer Environment" (November 1987 issue)
2nd Prize : (Rs. 500)	Jointly to S/Shri M.V. Sonalkar and V.S. Kaveri, Bombay for their article "Review of Large Industrial Advances" (July 1987 issue).

4.5 Introduction of Chartered Accountants Regulations, 1988

As was mentioned in the earlier reports, the Council had appointed a Special Committee called "Codification Committee" to simplify and rationalise the Chartered Accountants Regulations, 1964 in order to remove anomalies and inconsistencies and to minimise the procedural delays. The draft codified regulations prepared by this Committee were published in the Gazette of India for public comments and the finalised amendments were thereafter referred for approval of the Central Government.

The Council is pleased to report that the Central Government has accorded approval to these Regulations. These regulations have been brought into force w.e.f. 1st June, 1988 and are known as "The Chartered Accountants Regulations, 1988." The complete text of the new regulations has been published in the June, 1988 issue of the Institute's Journal "The Chartered Accountant."

4.6 Annual Meeting of the Council

(a) The 38th Annual Meeting of the Council was held on 15th September, 1987 in the Convention Hall, Ashok Hotel at New Delhi under the Chairmanship of Shri R. Balakrishnan, the then President of the Institute. Hon'ble Shri J. Vengala Rao, Union Minister for Industry was the Chief Guest at the function. The Hon'ble Minister presented shields and plaques to the companies and financial institutions which had won the awards for their entries in the popular contest organised by the Institute—"THE BEST PRESENTED ACCOUNTS". Prizes and medals were also given to the meritorious students in the examinations of the Institute by the Hon'ble Minister.

(b) Shri Balakrishnan presented a cheque for Rs. 1,01,001 to the Hon'ble Minister towards the Prime Minister's National Relief Fund. The amount was contributed by the members of the Council, Regional Council and members at large. The staff of the Institute also contributed one day's salary towards this cause.

(c) Shri S.K. Dasgupta, the President-elect, proposed a hearty vote of thanks. The function was attended by a large number of members and other distinguished invitees.

4.7 Library

During the year, 1118 books were added to the Central Council library at New Delhi bringing the total number of books to 22349. Increasing use of the library was made by both the members and the students.

4.8 Representations on Outside bodies

The Institute continues to be represented on various national and international bodies through its representatives. The details of such representations are given in APPENDIX VI to this report.

4.9 Members at the Helm of Affairs

The members of the Institute, on account of their high degree of expertise and knowledge in the field of accounting and finance, have come to occupy very important positions in different walks of life including Companies in the Public and Private Sectors and Government Corporations. The Public Relations Committee of the Council is publishing photographs and particulars of members appointed to senior positions like Director (Finance) Managing Director and Chairman of Public and Private Sector Companies, nationalised banks and nationalised insurance companies in the Institute's Journa "The Chartered Accountant" from time to time.

4.10 Meetings of the President and the Vice President with Important dignitaries and visits to the branches

The President and the vice-President met various dignitaries includng Central Ministers and Officials of the Government Departments during the year under review Special mention may be made of the meeeting with the Hon'ble Minister for Finance on 8th January, 1988. At this meeting, apart from the Institute's delegation led by the President, Chairman of the CBDT and other senior officials of the Board participated in the pre-budget discussion with the Hon'ble Minister. The memurandum of the Institute contained suggestions for form ulating the budget proposals for the year 1988-89. This also included suggestions relating to rural development, reward for increase in production and productivity, control of non-plan expenditure promotion of tourism, rationalisation of existing tax laws, foreign exchange regulations and the like. The President also took the opportunity of explaining to the Hon'ble Minister at some lenght the role played by the profession in the national affairs and the efforts made by it in assisting the Government in different directions. The Hon'ble Minister was quite appreciative of the role of the Institute in the country's economic activities. At the instance of the Hon'ble Minister the Institute submitted a paper on revival of rural economy with emphasis on the generation of rural employment, elimination of rural poverty and other rural development programme.

The President and the Vice-President vistited all the regional councils and a large number of branches of the regional councils and discussed matters concerning the development of greator opportunities and educational facilities for the members and students. Opportunity of these visits was used for discussing with state dignitaries matters of professional importance.

4.11 Elections to the Council and the Regional Councils

The elections to the fourteenth Council and thirteenth Regional Councils were held in August, 1988. The names of the members elected to the Council and the Regional Councils have been notified in the Gazette of India and have also been published in the Journal of the Institute. For facility of reference these names are also given in APPBNDIX VII.

4.12 Chartered Accounts' Benevolent Fund

(a) The Chartered Accountants' Benevolent Fund was established in December, 1962 for providing financial assistance for maintenance, education and other similar purposes to needy persons who are or have been members of the Institute and their dependents. The number of Life members has incresed from 3537 as on 1.9.1987 to 4174 as on 1.9.1988

(b) A sum of Rs. 2,08,100 was disbursed during the years to members in distress or the families of deceased members in distress.

(c) The balance to the credit of fund as on 31.3.1988 was Rs. 26,87,280 as againstRs. 20,28,518 as on 31.3.1987. The balance as on 1.9.1988 is Rs. 27,78,780.

4.13 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

(a) During the year 1987-88, 60 scholarsips of the value of Rs. 100 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy Course.

(b) The membership of the Fund was 171 as on 31.3.1988. The balance to the credit of the Fund was Rs. 97,957 as on 31.3.1988 as against Rs. 1,06,133 as at 31.3.1987.

5. MEMBERS

5.1 Membership

4856 new members were enrolled during the year bringing the figure of membership as on 31.3.1988 to 49324. During the year 1500 Associates were admitted as Fellows as compared to 1380 Fellows admitted in the previous year. APPENDIX VIII gives the detail with classification of membership.

5.2 Deceased Members

(a) The Council records with deep regret the sad demise of Shri C.S. Sastri and Shri M.P. Chitale former Presidents of the Institute on 7.4.1988 and 7.1.1988 respectively and Shri K.C. Khanna—a former member of the Council on 19.2.1988.

(b) The Council also records with deep regret the sad demise during the year of members whose names are listed in APPENDIX IX.

5.3 Disciplinary Action

(a) The numbers of "Complaints" and "information" cases dealt with under Section 21 is given below :—

1. No. of cases pending for hearing by the Disciplinary Committee as on 17.9.1987 (Including 10 cases pending on account of Court orders, etc.)	28
2. No. of cases placed before the Council for its prima facie opinion (from 1.4.1987 to Council Meeting in August, 1988)	76

3. No. of cases referred to Disciplinary Committee for enquiry out of 2 above (From 17.9.1987 to Council Meeting held in August, 1988)	31
4. No. of cases heard by the Disciplinary Committee from 17.9.1987 to date of report.	16
5. No. of cases remaining to be heard by the Disciplinary Committee as on date (including 8 cases which are pending on account of Court Ordrs, etc.)	31

(b) As has been reported earlier, the Supreme Court of India delivered its judgement on 21st October, 1986 in the Appeals filed by the Institute against the Order of the Bombay High Court in a case regarding consideration of reports of Disciplinary Committee. Pursuant to the Supreme Court Judgement the Council decided to give opportunity of being heard both to the Respondent and the Complainant, before taking a decision on the report of the Disciplinary Committee. Both the parties were asked to send their representations in writing, if they so desired. In addition, they could, if they so wished, appear before the Council in perosn and/or through a member of the Institute, duly authorised. The details of the reports of the Committee considered by the Council under the above procedure, including those pending because of the Appeals pending in the Supreme Court, are as under :—

No. of Reports of Disciplinary Committee considered by the Council after the judgement of Supreme Court in the Appeals filed by the Institute, delivered on 21st October, 1986 till the meeting of the Council held in August, 1987	138
(including those pending by virtue of the Appeals in the Supreme Court of India)	
No. of cases in which Respondents have been found to b e not guilty, or the cases have become infructuous because of death of Respondents	80
No. of cases in which Respondents have been found guilty under Second Schedule and referred to High Court under Section 21(5)	36
No. of cases in which the Respondents have been found guilty under First Schedule and the punishments awarded/ to be awarded by the Council under Section 21(4).	20
No. of cases which have been referred to Disciplinary Committee for further reports	2

6. ARTICLED AND AUDIT CLERKS

6.1 Registration

The following is the figure of articled and audit clerks registered during the year ending 31st March, 1988 with the corresponding figure for the previous year.

	1986-87	1987-88
Article and audit clerks	10642	12753

6.2 Employment Assistance to Articled/Audit Clerks

Employment assistance service is continued to be provided to all studets who have completed their period of articled/audit service and have also passed the Intermediate Examination of the Instituete. For this purpose an Employment Register is being maintained by the decentralised officials at each of the regional centres at Bombay, Madras, Calcutta, Kanpur and New Delhi. Studets desirous of availing of the above facility and fulfilling the requirements can contact personally or write to the concerned Assistant Secretary of the Institute for the form of particulars to be submitted to the Institute.

6.3 Board of Studies

(a) The number of students enrolled during the year ended March 31, 1988 and March 31, 1987 are as under : —

COURSE	1987-88	1986-87
Intermediate	12753	10642
Final	4951	6354

The total number of students on the rolls as at 31st March, 1988 was 48660 as against 46140 as at March 31, 1987. The details of such enrolments are given in APPENDIX X.

(b) Intensified revision classes for the Final and Intermediate Course students were, as usual, conducted at regional and other important centres.

(c) During the year ended March 31, 1988, the following scholarships have been granted.

(i) Merit Scholarships :

@ Rs. 75/- p.m. to 10 students for a maximum of 18 months.

@ Rs. 75/- p.m. to 4 students for a maximum of 12 months.

(ii) Merit-cum-need-based Scholarships @ Rs. 75/- p.m. to 1 student for a maximum of 12 months.

(iii) Need-based Scholarship @ Rs. 50/- p.m. to 101 students for a maximum of 30 months.

(iv) Partial freeship viz, waiver of the second instalment of tuition fee to 99 students.

(v) S. Vaish Memorial Scholarships @ Rs. 100/- p.m. to 2 students for a period of one year.

(d) With a view to removing the students, difficulty in getting the Suggested Answers volumes, the Board made arrangements for their availability at 33 selected centres in the country.

(e) The Board took special measures to make Revivisional Test Papers available at all the regional sales counters about 7 weeks before the commencement of the examinations. Those were also sent to all eligible students at the same time.

(f) Though the Board is not providing any correspondence course for the students of Entrance Examination, it continued to provide study materials and assistance for the benefit of such students. The complete set of this material is priced at Rs. 100/-

(g) The Board of Studies continued to make regular contribution to the Journal by giving digest of selected judgments relating to direct and indirect taxes and Company Law and current reading besides, articles clarification/announcements and other write-ups for the Students Section. Board's Faculty members are also involved in a continuous basis in the review of articles received for publication in the Journal.

(h) Special efforts were successfully made to make available study material to the students in complete from and on a timely basis.

(i) As a part of Student Personal Contact Programme, the Chairman of the Board of Studies and the Director of Studies met the students at all the Regional Centres as also at several other Centres.

(j) Pursuant to decisions taken by the Councils, the Board has waived tuition fees for the first three rank holders in B.Com. examination and for the first rank holders of other graduation examinations of Indian Universities who have joined the Chartered Accountancy Course.

(k) To commemorate the 40th anniversary of India's independence, the Board has decided to further improve the library facilites for C.A. students at the various branches of the Institute and for this purpose the Board undertook during the year a survey of the available facilities.

(l) The Board acceptedan offer of Likhamichand Chaumull Kandoi Charitable Trust of Cuttack for awarding 2 scholarships of Rs. 1,000/- per year to deserving students of the C.A. Course.

(m) The Board had launched audio-education programme for the students under which talks and lectures on selected areas of different subjects, by Faculty of Board, eminent members and academicians are recorded in audio-cassettes. So far 12 cassettes have been produced. The students response to this scheme is encouraging.

(n) Efforts of our Institute in coordination with the Institute of Cost & Works Accountants of India and the Institute of Company Secretaries of India have succeeded in getting the restoration of the Postal Concession for despatch of study material to students with the kind intervention of Shri Vasant Sathe, the Honourable Minister for Communications.

7. EXAMINATIONS

7.1 Entrance, Intermediate and Final Examinations

The Chartered Accountants Entrance, Intermediate and Final Examinations were held in May and November, 1987 at various centres all over India. The statistics relating to the number of candidates who appeared and who were declared successful in the said examinations are given in APPENDIX XI.

7.2 New Examination Centres

(i) In order to remove the difficulties faced by the Nepalee students who pursued the Chartered Accountants Course in India an are employed in Nepal, an examination centre has been opened for holding the Intermediate and Final Examinations at Kathmandu. The said examinations have been held there effective from May, 1987. The Centre is being continued, for the time being.

(ii) An Examination Centre was opened at Jammu for November, 1987 Examinations. It has been decided to continue the centre for the time being in view of the prevailing disturbed atmosphere near about the area. An Examination Centre was opened at Ambala in May, 1987 on an experimental basis for two terms, namely, May, 1987 and November 1987. The position has later been reviewed in the light of the representations made by Yamuna Nagar & Jagadhari C.A. Students Association and the recommendation of the Northern India Regional Council to open an examination centre at Yammuna Nagar. An examination Centre was opened in addition at Yamuna Nagar on an experimental basis from May, 1988 Examination. For the present, both the centres at Ambala and Yamuna Nagar are being continued in view

of the disturbed atmosphere prevailing in the vicinity and the position will be reviewed later. The Examination Centres at Mysore and Meerut opened on an experimental basis for the examinations held in May and November, 1987 have qualified and it has been decided to continue these centres.

(iii) The following is the full list of centres where the Chartered Accountants Examinations were held in May, 1988 :—

(1) Agra	(23) Kanpur
(2) Ahmedabad	(24) Kathmandu (Nepal)
(3) Allahabad	(25) Lucknow
(4) Ambala	(26) Ludhiana
(5) Bangalore	(27) Madras
(6) Baroda	(28) Madurai
(7) Belgaum	(29) Mangalore
(8) Bhopal	(30) Meerut
(9) Bombay	(31) Mysore
(10) Calcutta	(32) Nagpur
(11) Cailcut	(33) Nasik
(12) Chandigarh	(34) Patna
(13) Coimbatore	(35) Poona
(14) Cuttack	(36) Salem
(15) Delhi/New Delhi	(37) Surat
(16) Ernakulam	(38) Triuchirapalli
(17) Gauhati	(39) Trichur
(18) Hyderabad	(40) Trivandrum
(19) Indore	(41) Udaipur
(20) Jaipur	(42) Vijayawada
(21) Jammu	(43) Visakhapatnam
(22) Jodhpur	(44) Yammuna Nagar

7.3 Prizes and Certificates of Merit

The names of candidates who were awarded prizes and certificates of Merit in the examinations held in May and November, 1987 are given in APPENDIX XII.

The Council has decided to award the following new prizes :—

(i) U.K. Bhargava Prize for the candidates securing the highest marks in Group I-Paper 2-Section 'B'—Elements of Income-tax of Intermediate Examination.

(ii) J.S. Lodha Gold Medal awarded to the candidate securing the first rank in (i) C.A. Intermediate Examination and (ii) C.A. Final Examination in each term.

7.4 Action Against Examinees

Five candidates were found to have resorted to or attempted to resort to unfair means for the May and November, 1987 Examinations. Results were cancelled in the case of two candidates for the relevant examination and in three other case the results were cancelled and they were debarred from appearing for subsequent two examinations.

8. REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

8.1 New Branches

Subsequent to the last report, the following new branches have been set up during the year under report :

Southern Region	:	Palghat
Central Region	:	Bhilwara, Dehradun, Bareilly
Northern Region	:	Hissar, Shimla

With the setting up of the above branches, the total number of branches of Regional Councils has risen to 71.

8.2 Buildings for Branches of Regional Councils

(a) The Council has considerably liberalised the grants payable to branches for construction of buildings. So far the following branches have acquired their own premises :—

1. Agra	6. Ernakulam
2. Ahmedabad	7. Kottayam
3. Alleppey	8. Poona
4. Coimbatore	9. Surat
5. Calicut	10. Trichur

(b) The Jaipur, Lucknow, Madurai, Palghat and Trivandrum Branches have acquired land for construction of branch buildings.

(c) Efforts are under way to acquire premises at several other places e.g., Aurangabad, Bangalore, Hyderabad, Kolhapur, Mangalore, Ludhiana, Nagpur, Ranchi and Solapurr.

8.3 Chapters of the Institute outside India

Since the last report, no chapter of the Institute was established outside India, thus the number of Chapter remain at six.

8.4 Rotating Shield for the Best Branch of Regional Councils

In its effort to activate the branches of Regional Councils and to ensure greater involvement of

members of the branches in the affairs of the profession, the Institute had set up certain norms for minimum performance of the branches of Regional Councils. Under this scheme, the branches are required to submit quarterly reports of their activities. The activities of the branches are evaluated and a rotating shield is awarded annually to the best branch.

The rotating shield for the year 1986-87 was awarded to the Poona branch of the WIRC. The Shield was presented to the branch Chairman at the Annual Function of the Institute by the Hon'ble Shri J. Vengla Rao, Union Minister for Industry. For the year, 1987-88 the rotating shield will be presented to the Jaipur branch of Central India Regional Council which has been adjudged as the best branch at the annual function of the Insuitute.

8.5 Rotating Shield for the best Regional Council

This award was started from the year 1986-87.the award was won jointly by the Western India Regional Council and the Southern India Regional Council for the year 1986-87. The Shield was presented to the Chairman of these Regional Councils by the Union Minister for Industry at the annual function of the Institute.

For the year 1987-88 the Southern India Regional Council has been adjudged as the best Rogional Council. The rotating shield will be awarded to the regional council at the annual function to be held in September, 1988.

9. FINANCE

The Balance-sheet as at March 31, 1988 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date have been approved by the Council. The Income and expenditure account shows a surplus of Rs. 64.31 lakhs as against the surplus of Rs. 41.71 lakhs in the preceding year.

To provide better service and management records of the Institute activities like members, students, publications and inventory control, pay-bills, mailing list of the Journal, accounts and finances, computers have been purchased and installed.

10. APPRECIATION

(a) The Council is grateful to all members of the Institute who functioned as co-opted members of the Institute's Committees and non-members who assisted the Council during the year in the conduct of its educational, technical and other activities and in its examinations.

(b) The Council wishes to place on record its appreciation for the continued assistance and support of the Government and its nominees on the Council throughout the year.

(c) The Council would also like to acknowledge its appreciation of the sincere and devoted efforts put in throughout the year by all the Officers and staff of the Institute.

R.L. Chopra — Secretary
K.G. Somani — Vice-President
S.K. Dasgupta — President

New Delhi

September. 13, 1988

APPENDICES TO THE ANNUAL REPORT
APPENDIX I

(Ref. Para 1.1 of the Report)

1. MEMBERS OF THE COUNCIL—1987-88

Shri Agarwal, K.M.	(New Delhi)
Shri Balakrishnan, R.	(Madras)
Shri Banerjee, Bhaskar	(Calcutta)
* Shri Bansal, R.N.	(New Delhi)
Shri Bhandari, S.S.	(Jaipur)
Shri Chakraborty, A.K.	(Calcutta)
Shri Chhajed, S.P.	(Bombay)
Shri Chitale, M.M.	(Bombay)
Shri Dalal, A.H.	(Bombay)
Shri Dasgupta, S.K.	(Calcutta)
* Shri Ghosh, A.	(Bombay)
Shri Jain, I.C.	(Bombay)
Shri Kale, Y.M.	(Bombay)
* Shri Mehta, Kanti	(Jamshedpur)
* Shri Mittal, C.P. (From 1-7-87)	(New Delhi)
Shri Nair, P.A.	(Bombay)
Shri Nandagopal, S.	(Madras)
Shri Narayanaswamy, G.	(Madras)
Shri Patel, Manubhai G.	(Ahmedabad)
Shri Poddar, N.K.	(Calcutta)
* Shri Raman, B.N.	(Hyderabad)
Shri Rathi, Anand	(Bombay)
Shri Rao, B.P.	(Bangalore)
Shri Sharma, Laxminiwas	(Hyderabad)
Shri Somani, K.G.	(New Delhi)
Shri Sundararajan, N.C.	(Madras)
* Shri Tikku, C.K.	(New Delhi)
Shri Vaish, R.C. (Dr.)	(Kanpur)
Shri Vasudeva, S.C.	(New Delhi)
Shri Vishwanath, T.S.	(New Delhi)

* Nominated by the Central Government.

2. MEMBERS OF THE COMMITTEES—1987-88
A. STANDING COMMITTEES

Executive Committee

Shri S.K. Dasgupta, President	(Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-President	(New Delhi)
Shri M.M. Chitale	(Bombay)

Shri P.A. Nair (Bombay)
Shri B.P. Rao (Bangalore)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Examination Committee

Shri S.K. Dasgupta, President (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-President (New Delhi)
Shri K.M. Agarwal (New Delhi)
Shri M.G. Patel (Ahmedabad)
Shri N.C. Sundararajan (Madras)
Shri K. Kalyanaraman (Secretary to the Committee)

Disciplinary Committee

Shri S.K. Dasgupta, President (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-President (New Delhi)
Shri R. Balakrishnan (Madras)
Shri R.N. Bansal (New Delhi)
Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)
Shri G.D. Khurana (Addl. Secretary to the Committee)

B. NON-STANDING COMMITTEES

Research Committee

Shri A.H. Dalal, Chairman (Bombay)
Shri Anand Rathi, Vice-Chairman (Bombay)
Shri S.K. Dasgupta, President, Ex-officio (Calcutta)
Shri A. Ghosh (Bombay)
Shri Y.M. Kale (Bombay)
Shri N.K. Poddar (Clacutta)
Shri N.C. Sundararajan (Madras)
Dr. R.C. Vaish (Kanpur)
Shri T.S. Vishwanath (New Delhi)
Shri P.N. Shah, Shri V. Rajaraman, Shri N.P. Sarda } Co-opted (Bombay), (New Delhi), (Bombay)
Shri Avinash Chander (Secretary to the Committee)

Auditing Practices Committee

Dr. R.C. Vaish, Chairman (Kanpur)
Shri S. Natnadagopal, Vice-Chairman (Madras)
Shri S.K. Dasgupta, President, Ex-officio (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-President, Ex-officio (New Delhi)
Shri R. Balakrishnan (Madras)
Shri I.C. Jain (Bombay)
Shri Y.M. Kale (Bombay)
Shri C.P. Mittal (New Delhi)
Shri N.C. Sundararajan (Madras)
Shri Y.H. Malegam, Shri P.R. Khanna, Mrs. S. Achyutan } Co-opted (Bombay), (New Delhi), (Madras)
Dr. Kamal Gupta (Secretary to the Committee)

Continuing Professional Education Committee

Shri S.C. Vasudeva, Chairman (New Delhi)
Shri Laxminiwas Sharma, Vice-Chairman (Hyderabad)
Shri S.K. Dasgupta, President, Ex-officio (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-President, Ex-officio (New Delhi)
Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Shri S.P. Chhajed (Bombay)
Shri N.K. Poddar, Shri H.M. Damania, Shri Sukumar Bhattacharyya } Co-opted (Calcutta), (Bombay), (Calcutta)
Dr. N.L. Dhameja (Secretary to the Committee)

Accounting Standards Board

Shri Bhaskar Banerjee, Chairman (Calcutta)
Shri S.C. Vasudeva, Vice-Chairman (New Delhi)
Shri S.K. Dasgupta, President, Ex-officio (Calcutta)
Shri R. Balakrishnan (Madras)
Shri R.N. Bansal (New Delhi)
Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Shri M.M. Chitale (Bombay)
Shri Y.M. Kale (Bombay)
Shri C.P. Mittal (New Delhi)
Shri C.K. Tikku (New Delhi)
Shri C.K. Hazari (New Delhi)
Shri M.N. Gopporia, Shri P.K. Malik, Shri R. Seshasayee } Co-opted (Bombay), (Calcutta), (Madras)
(Nominee of ASSOCHAM not yet received)
Dr. Kamal Gupta (Secretary to the Board)

Professional Development Committee

Shri I.C. Jain, Chairman (Bombay)
Shri S.S. Bhandari, Vice-Chairman (Jaipur)
Shri S.K. Dasgupta, President, Ex-officio (Calcutta)
Shri R.N. Bansal (New Delhi)
Shri A. Ghosh (Bombay)
Shri C.P. Mittal (New Delhi)
Shri G. Narayanaswamy (Madras)
Shri M.G. Patel (Ahmedabad)
Shri Laxminiwas Sharma (Hyderabad)
Shri B.C. Malu, Shri M.M. Khanna } Co-opted (Calcutta), (New Delhi)
Dr. N.K. Dhameja (Secretary to the Committee)

Board of Studies

Shri S.P. Chhajed, Chairman (Bombay)
Shri S. Nandagopal, Vice-Chairman (Madras)
Shri S.K. Dasgupta, President, Ex-officio (Calcutta)

Shri A.K. Chakraborty (Calcutta)
Shri M.M. Chitale (Bombay)
Shri Kanti Mehta (Jamshedpur)
Shri Anand Rathi (Bombay)
Shri A. Roy Choudhary (Calcutta)
Shri J.H. Shah } Co-opted (Baroda)
Shri A.K. Majumdar (Secretary to the Board).

Taxation Committee

Shri N.K. Poddar, Chairman (Calcutta)
Shri M.G. Patel, Vice-Chairman (Ahmedabad)
Shri S.K. Dasgupta, President, Ex-officio (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-President, Ex-officio (New Delhi)
Shri S. Nandagopal (Madras)
Shri G. Narayanaswamy (Madras)
Shri C.K. Tikku (New Delhi)
Shri S.C. Vasudeva (New Delhi)
Shri T.S. Vishwanath (New Delhi)
Shri V.C. Darak } Co-opted (Bombay)
Shri T.D. Mundhra } (Calcutta)
Shri C.R.T. Verma (Secretary to the Committee)

Company Law Committee

Shri T.S. Vishwanath, Chairman (New Delhi)
Shri Bhaskar Banerjee, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri S.K. Dasgupta, President, Ex-officio (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-President, Ex-officio (New Delhi)
Shri K.M. Agarwal (New Delhi)
Shi Shri R.N. Bansal (New Delhi)
Shri A.H. Dalal (Bombay)
Shri G. Narayanaswmy (Madras)
Dr. R.C. Vaish (Kanpur)
Shri Pradeep Bhalla } Co-opted (New Delhi)
Shri K. Ganesan } (Madras)
Shri S.K. Chakravertty (Secretary to the Committee)

International Affairs Committee

Shri S.K. Dasgupta, Chairman (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-Chairman (New Delhi)
Shri R. Balakrisknan (Madras)
Shri Bhaskar Banerjee (Calcutta)
Shri A.H. Dalal (Bombay)
Shri P.A. Nair (Bombay)
Shri A.C. Chakraborty } Co-opted (Calcutta)
Shri B.L. Kabra } (Bombay)
Dr. Kamal Gupta (Secretary to the Committee)

Expert Advisory Committee

Shri S.S. Bhandari, Chairman (Jaipur)
Shri G. Narayanswamy, Vice-Chairman (Madras)
Shri K.G. Somani, Vice-President Ex-officio (New Delhi)
Shri S.P. Chhajed (Bombayi)
Shri A.H. Dalal (Bombay)
Shri I.C. Jain (Bombay)
Shri S. Nandagopal (Madras)
Shri D.J. Bishwas (Calcutta)
Shri Harish Gambhir (New Delhi)
Skri Avinash Chander (Secretary to the Committee)

University Liaison Committee

Shri Laxminiwas Sharma, Chairman (Hyderabad)
Shri B.P. Rao, Vice-Chairmant (Bangalore)
Shri K.G. Somani, Vice-President, Ex-officio (New Delhi)
Shri K.M. Aggarwal (New Delhi)
Shri M.M. Chitale (Bombay)
Shri I.C. Jain (Bombay)
Shri G. Satyanarayana } Co-opted (Scunderabd)
Shri S.N. Nanda } (New Delhi)
Dr. N.K. Agarwal (Secretary to the Committee)

Ethical Standards Committee

Shri S. Nandagopal, Chairman (Madras)
Shri A.K. Chakraborty, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri S.K. Dasgupta, President, Ex-officio (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-President, Ex-officio (New Delhi)
Shri R.N. Bansal (New Delhi)
Shri S.S. Bhandari (Jaipur)
Shri Y.M. Kale (Bombay)
Shri Anand Rathi (Bombay)
Shri Ashok Kumbhat } Co-opted (Madras)
Shri C.L. Jhanwar } (Jaipur)
Shri G. Banerjee (Secretary to the Committee)

Public Relations Committee

Shri S.K. Dasgupta, Chairman (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-Chairman (New Delhi)
Shri S.S. Bhandari (Jaipur)
Shri Kanti Mehta (Jamshedpur)
Shri B.N. Raman (Hyderabad)
Shri Laxminiwas Sharma (Hyderabad)
Shri Jagesh Desai } Co-opted (New Delhi)
Shri Subrata Basu } (New Delhi)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Committee on Unjustified Removal of Auditors

Shri S.K. Dasgupta, Chairman (Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-Chairman (New Delhi)
Shri R.N. Bansal (New Delhi)

Shri A. Ghosh	(Bombay)
Shri C.P. Mittal	(New Delhi)
Shri G.D. Khurana (Secretary to the Committee)	

Editorial Board

Shri S.K. Dasgupta, Editor-in-Chief	(Calcutta)
Shri K.G. Somani, Jt. Editor	(New Delhi)
Shri K.M. Agarwal	(New Delhi)
Shri N.K. Poddar	(Calcutta)
Shri B.P. Rao	(Bangalore)
Shri Annnd Rathi	(Bombay)
Shri Laxminiwas Sharma	(Hyderabad)
Shri T.S. Visbwanahth	(New Delhi)
Shri R.C. Kapoor] Co-opted	(New Delhi)
Shri C.S. Lahiri]	(Calcutta)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Board)	

Committee for Members in Industry

Shri Anand Rathi, Chairman	(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee, Vice-Chairman	(Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-President, Ex-officio	(New Delhi)
Shri R.N. Bansal	(New Delhi)
Shri B.N. Raman	(Hyderabad)
Dr. R.C. Vaish	(Kanpur)
Shri R.C. Agarwal	(Bombay)
Shri T.M.M. Namblar] co-opeted	(Bombay)
Shri K. Lakshamandas]	(Madras)
Dr. N.L. Dhameja Secretary to the Committee)	

General Purposes Committee

Shri S.K. Dasgupta, Chairman	(Calcutta)
Shri K.G. Somani, Vice-Chairman	(New Delhi)
Shri P.A. Nair	(Bombay)
Shri G. Narayanaswamy	(Madras)
Shri B.N. Raman	(Hyderabad)
Shri B.P. Rao	(Bangalore)
Shri S.C. Vasudeva	(New Delhi)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)	

ICAI-ICWAI Coordination Committee

Shri S.K. Dasgupta, Leader	(Calcutta)
Shri K. G. Somani, Deputy Leader	(New Delhi)
Shri R. Balakrishnan	(Madras)
Shri A.K. Chakraborty	(Calcutta)
Shri S. P. Chhajed	(Bombay)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)	

ICAI-ICSI Coordination Committee

Shri S.K. Dasgupta, Leader	(Calcutta)
Shri K.G. Somani, Dy. Leader	(New Delhi)
Shri M.G. Patel	(Ahmedabad)
Shri N.K. Poddar	(Calcutta)
Shri N.C. Sundararajan	(Madras)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)	

APPENDIX II

(Ref. Para 3.9(a) of the Report)

Details of the Seminars & Courses organised by the C.P.E. Committee

S. No.	Programme	Place	Date
1.	Course on "Financial Management and Management Accounting" in collaboration with the Department of Personnel and Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs.	New Delhi	5th to 16th October, 1987.
2.	Joint Professional development programme with ICWAI on Computers and Management Accounting.	Madras	7th & 8th Nov. 1987
3.	Seminar on Accounting Systems on Public Utilities and Non-Profit Making Institutions.	Calcutta	5th & 6th Dec. 1987.
4.	In-House Programme for Finance and Accounts Executives of Assam Electricity Board.	New Delhi	11 h to 13th January, 1988.
5.	Seminar on Financial and	New Delhi	18th to 13th February and
6.	Management and Management Control Systems for IAS officers.		29th Feb. to 5th Mar. 1988
7.	Programme on Corporate Financial Management.	Kathmandu	20th to 24th May, 1988.
8.	Joint Programme with ICSI on Corporate Finance & Law.	Bangalore	11th & 12th June, 1988.

APPENDIX III

(Ref. Para 3.9(b) of the Report)

Summary of the Results of Post Graduate Courses

	M.A.C. Part I Exam. Nov. '87	C.M. Part I Exam. Nov. '87	T.M. Part I Exam. Nov '87
1. Both Groups Total Number of candidates appeared in Both Groups.	10	2	11

Passed in Both Groups	2	Nil	Nil
Percentage	20%	Nil	Nil
Passed in Group I only	2	Nil	6
Passed in Group II only	2	1	Nil
2. Group I			
Total number of candidates appeared in Group I only	18	Nil	5
Passed	5	Nil	3
Percentage	27.77%	Nil	60%
3. Group II			
Total Number of candidates appared in Group II only	8	1	1
Passed	6	1	1
Percentage	75%	100%	1 00%

APPENDIX IV

(Ref. Para 3.9(f) of the Report)

Summary of Computer Courses conducted by Bombay, Calcutta Kanpur and Madras Computer Centres

(From 17th September, 1987 onwards to date)

Sl. No.	Name of Computer Centre	No. of Courses conducted	No. of Members Trained	No. of Students and Non-Members Trained
1.	Bombay	13	230	98
2.	Calcutta	16	80	288
3.	Kanpur	6	23	74
4.	Madras	17	126	179
	Total	52	459	639

APPENDIX V

(Ref. Para 3.12(c) of the Report)

List of Universities and the Association of Indian Universities which have accorded recognition to Chartered Accountants for enrolment as Research Scholars for the award of Ph.D. Degree.

Sl. No. Name of the University/Association

Association of Indian Universities New Delhi.

1. Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi.
2. Aligarh Muslim University, Aligarh (U.P.).
3. Banaras Hindu Universitiy, Varanasi (U.P.).
4. Bangalore University, Bangalore.
5. Bharathidasan University, Tiruchirapalli.
6. Bombay University, Bombay.
7. Calicut University, Calicut.
8. Gujarat University, Ahmedabad.
9. Himachal Pradesh University, Simla.
10. Kanpur University, Kanpur (U.P.).
11. Kerala University, Trivandrum (Kerala)
12. Lucknow University, Lucknow (U.P.)
13. M.S. University of Baroda, Baroda
14. Maharshi Dayanand University, Rohtak
15. Mangalore University, Light House Hill, Mangalore
16. Marathwada University, Aurangabad
17. Meerut University, Meerut (UP.)
18. Mohanlal Sukhadia University, Udaipur
19. Mysore University, Mysore
20. Osmania University, Hyderabad (A.P.)
21. Poona University, Pune (Maharashtra)
22. Panjab University, Chandigarh
23. Panjabi University, Patiala
24. Ranchi University, Ranchi
25. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar (Gujarat)
26. Saurashtra University, Rajkot (Gujarat)
27. Shivaji University, Kolhapur (Maharashtra)
28. Sri Venkateshwara University, Tirupati
29. Vikram University, Ujjain (M.P.)
30. Agra University, Agra
31. Kurukshetra University, Kurukshetra

APPENDIX VI

(Ref. Para 4.8 of the Report)

Representatives of the Institute on outside bodies

Name of the Body	Name of the Representative
1. General Council of the Institute of Applied Manpower Research.	Shri S.K. Dasgupta
2. Informal Advisory Committee of the Department of Company Affairs on matters relating to Cost Accounting Record Rules.	Dr. R.C. Vaish
3. National Productivity Council.	Shri K.G. Somani
4. Farm Accounts Sectional Committee AFDC 49 of the Indian Standards Institution.	Shri S.P. Chhajed
5. Central Advisory Committee of Direct Taxes.	Shri S.K. Dasgupta
6. All India Board of Management Studies.	Shri R. Balakrishnan
7. UGC Panel on Commerce Education.	Laxmidwas Sharma
8. Council of International Federation of Accountants (IFAC).	Shri A.C. Chakrabortti
9. International Auditing Practices Committee of IFAC.	Shri R. Balakrishnan
10. Education Committee of IFAC.	Shri P.A. Nair
11. South Asian Federation of Accountants.	Shri R. Balakrishnan
12. IASC Steering Committee on "Disclosure in Financial Statements of Banks"	Shri P.A. Nair

APPENDIX VII

(Ref. Para 4.11 of the Report)

1. NAMES OF THE MEMBERS WHO HAVE BEEN ELECTED TO THE FOURTEENTH COUNCIL OF THE INSTITUTE

Constituency comprising the States of Gujarat, Maharashtra and Goa and the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli.

1. Shri Chhajed, Sohanraj Pukhrajji
2. Shri Chitale, Mukund Manohar
3. Shri Dalal, Arvind Harmukhrai
4. Shri Jain, Inder Chand
5. Shri Kale, Yashodhan Madhusudan
6. Shri Patel, Ramubhai Shankerlal
7. Shri Rathi, Anand Kishore
8. Shri Sarda, Narendra Pansukhlal

Constituency comprising the States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry and the Lakshadweep Islands.

1. Shri Laxminiwas Sharma
2. Shri Nandagopal, S.
3. Shri Pottokaran, Jose
4. Shri Rao, B.P.
5. Shri Sundararajan, Nallan Chakravarthy
6. Shri Upadhyaya, P.P. Gurruraja

Constituency comprising the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur, Tripura, Sikkim, Arunachal Pradesh and Mizoram and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.

1. Shri Banerjee, Bhaskar
2. Shri Chakraborthy, Amal Kumar
3. Shri Poddar, Nirmal Kumar
4. Shri Singhi, Mohan Lal

Constituency comprising the States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan.

1. Shri Bhandari, Surendra Singh
2. Shri Gupta, Nripendra Kumar

Constituency comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Punjab and the Union Territories of Delhi and Chandigarh.

1. Shri Agarwal, K.M.
2. Shri Gupta, N.D.
3. Shri Somani, Kishan Gopal
4. Shri Vasudeva, Subhash Chander

II. NAMES OF THE MEMBERS WHO HAVE BEEN ELECTED TO THIRTEENTH REGIONAL COUNCILS OF THE INSTITUTE

WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Gujarat, Maharashtra and Goa and the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli)

1. Shri Chandak, Ashok Kumar Kishan Gopalji
2. Shri Chokshi, Rajnikant Shantilal
3. Shri Dangi, Lalit Kumar
4. Mrs. Doshi, Bhavana Gautam
5. Shri Ghadiali, Pankaj Chimanlal
6. Shri Goyal, Govind Prasad
7. Shri Jain, Kailash Chand
8. Shri Joshi, Pradeep Dinkar
9. Shri Khare, Sudhir Gopal
10. Shri Mehta, Sanjay Samir
11. Shri Patchirar, Rupin Rameshchandra
12. Shri Rathi, Jugalkishor Shrinivasji
13. Shri Sarda, Brijmohan Lal Chand
14. Shri Shah, Chandrakant Ratilal
15. Shri Shah, Dilip Kumar Vadilal
16. Shri Shah, Kaushik Dhirajlal

SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry and the Lakshadweep Islands.)

1. Shri Arjunaraj, A.
2. Shri Harish Kumar Shetty
3. Shri Joseph, M.C.
4. Shri Koteswara Rao, S.S.R.
5. Shri Natanagopal, S.
6. Shri Nityananda, N.
7. Miss. Priya Kumbhat
8. Shri Ramasubramanian, K.N.
9. Shri Sreenivasan, R.
10. Shri Subba Rao, Garre
11. Shri Vadlamani, Venkata Subrahmanya Ravi
12. Shri Vijayaraghavan, S.

EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur Tripura, Sikkim, Arunachal Pradesh and Mizoram and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.)

1. Shri Das, Amarendra Nath
2. Shri Ghosh, Subrata
3. Shri Gupta, Hari Ram
4. Shri Khandelwal, Kashi Prasad
5. Shri Khanna, Rajesh Kumar
6. Shri Roy Choudhury, Sandip Kumar
7. Shri Sengupta, Tapan Kanti

CENTRAL INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan.)

1. Shri Agarwal Mittal, Radha Krishan
2. Shri Bhandari, Ramesh Chand
3. Shri Bhargava, Sunil Kumar
4. Shri Gujrati, Baldeo Das
5. Shri Kasera, Rajesh

NORTHERN INDIA REGIONAL COUNICL

(The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Punjab and the Union Territories of Delhi and Chandigarh.)

1. Shri Anil Peshawari
2. Shri Chadha, Manu
3. Shri Chopra, Amarjit
3. Shri Chopra,
4. Shri Dugar, Ramesh
5. Shri Gulati, Sunil Kumar
6. Shri Gupta, Deepak Kumar
7. Shri Jain, Vinay Kumar
8. Shri Vij, Manohar Lal

APPENDIX VIII

(Ref. Para .1 of the Report)

Statistics—Members as on 1-4-1988

FELLOWS	: IN FULL TIME PRACTICE	12,985	
	: IN PART TIME PRACTICE	1,742	
	: NOT IN PRACTICE	1,326	16,053
ASSOCIATES	: IN FULL TIME PRACTICE	15,286	
	: IN PART TIME PRACTICE	6,218	
	: NOT IN PRACTICE	11,767	33,271
			49,324

Region	FELLOWS				ASSOCIATES				
	IN PRACTICE				IN PRACTICE				
	In Full time practice	In part time practice	Not in practice	Total of Col. 2,,3&4	In Full time practice	In part time practice	Not in practice	Total of Col. 6,7&8	Grand total of Col. 5 &6
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10
I	4,089	665	380	5,134	5,150	3,121	3,263	11,534	16,658
II	3,184	367	360	3,911	3,196	1,223	4,184	8,603	12,514
III	1,872	221	252	2,345	1,526	635	2,138	4,299	6,644
IV	1,290	187	113	1,590	1,755	401	851	3,007	4,597
V	2,550	302	221	3,073	3,659	838	1,331	5,828	8,901
	12,985	1,742	1,326	16,053	15,286	6,218	11,767	33,271	49,324

APPENDIX IX

(Ref. Para 5.2(b) of the Report)

Statement of removal of names from the Register of Members on account of death during the year 1987-88

S. No.	No.	Name of the Member	Date
1	2	3	4
1.	130	Shri Nallam Chakravarthi Rajan, Coimbatore	14-4-87
2.	190	Shri K.P. Soni, New Delhi	17-1-87
3.	296	Shri N.I. Ganapathy, Madras	12-1-87
4.	310	Shri N. Sankaran, Madras	21-6-87
5.	546	Shri D.J. Jasavala, Bombay	1-7-87
6.	561	Shri G.T. Khare, Bombay	2-8-87
7.	631	Shri K.S. Gadre, Pune	11-5-87
8	643	Shri J.B. Madan, Calcutta	
9.	670	Shri P. Natarajan, Salem	17-12-87
10.	723	Shri K.C. Khanna, New Delhi	20-2-88
11.	734	Shri P.V. Subba Raju, Machilipatnam	3-9-87
12.	763	Shri J.S. Lodha, Calcutta	17-2-88
13.	847	Shri P.K. Mody, Bombay	3-1-88
14.	859	Shri B.N. Mitra, Calcutta	6-1-88
15.	1026	Shri M.M. Hardikar, Bombay	24-8-87
16.	1060	Shri Burjore Pherozeshah, Bombay	16-11-86
17.	1133	Shri P.K. Mukherjee, Calcutta	27-7-87
18.	1166	Shri Amitaba Roy, Calcutta	23-8-86
19.	14271	Shri M.D. Pandit, Rajkot	16-1-87
20.	1883	Shri W.D. Madhekar, Bombay	25-3-87
21.	1971	Shri S.S. Iyer, Kottayam	14-7-87
22.	2041	Shri R.H. Patwardhan, Solapur	25-11-86
23.	2559	Shri S. Venkatasubrahmanyam, Madurai	26-1-88
24.	2622	Shri T.K. Mallinathan, Madras	22-10-87
25.	2658	Shri C.J. Sripadaraj, Bangalore	14-6-86
26.	2906	Shri M.P. Puri, New Delhi	28-6-87
27.	2984	Shri K. Mehrotra, Kanpur	29-7-87
28.	3110	Shri N.D. Joshi, Nasik City	25-10-87
29.	3157	Shri R. Annaji Rao, Hyderabad	2-12-87
30.	3220	Shri A. Gangali, Calcutta	13-9-87
31.	3245	Shri S. Roy, Calcutta	8-8-87
32.	3511	Shri V.M. Desai, Bombay	15-3-87
33.	3631	Shri M.M. Lakdawala, Surat	29-9-87
34.	3750	Shri R.N. Prasad, Patna	9-10-85
35.	3947	Shri P.R. Singhvi, Bangalore	12-7-87
36.	4004	Shri B.L. Kucheria, Bombay	26-4-87
37.	4106	Shri B. Mallibaryurlya, Bangalore	26-8-86
38.	4289	Shri V. Balaboteswara Rao, Hyderabad	7-3-87
39.	4544	Shri S.C. Gaur, Vikrampur	9-8-87
40.	4812	Shri J.K. Ghosh, Calcutta	2-12-86
41.	5239	Shri R.M. Guha, Calcutta	9-3-87
42.	6194	Shri M.M. Doshi, Bombay	9-5-87
43.	6473	Shri K. Gopalan, Madras	10-4-87
44.	6756	Shri T.S. Parasuraman, Attl	8-4-85
45.	7576	Shri B.R. Hedge, Bombay	3-11-86
46.	8575	Shri J.K. Hajra, Calcutta	14-9-87
47.	8903	Shri C.G. Rajagopalan, Palghat	16-9-87
48.	8969	Shri R.K. Das, Cochin	26-1-88
49.	9136	Shri V.S. Gopalan, Gangtok	5-12-86
50.	9740	Shri D.D. Rathi, Bombay	18-11-85
51.	9753	Shri R.K. Sharma, Jalandhar	6-1-88
52.	9808	Shri Kalipada Shaha, Calcutta	28-4-85
53.	10133	Shri B.K. Jatania, Calcutta	14-10-87
54.	10238	Shri H.B. Vyas, Bombay	16-2-87
55.	10325	Shri S.K. Iyenga, Ernakulam	18-7-87
56.	10662	Shri .M. Rathinam, Karur	17-1-87
57.	10999	Shri A.K. Subramanian, Bangalore	13-2-87
58.	12046	Shri M.L. Shah, Calcutta	26-12-87
59.	13319	Shri P.K. Ray, Calcutta	13-4-86
60.	13904	Shri R. Ratnasabapathy, Madras	21-9-87
61.	14264	Shri R.N. Gupta, New Delhi	27-4-87
62.	16964	Shri G.V. Nadkarni, Delhi	22-10-87
63.	17629	Shri V.D. Suri, New Delhi	31-8-87
64.	17805	Shri R.M. Bhuwania, Bombay	17-12-86
65.	17930	Shri S.M. Rajgaonkar, Bombay	30-5-86
66.	18038	Shri P.M. Sevag, Madras	2-5-87
67.	19856	Shri S. Raghuramamurthy, Guntur	15-12-87
68.	25385	Shri V.R. Sathi, Kakinada	25-8-87
69.	25409	Mrs. Shyamala Sankara Narayanan, Madras	12-7-87
70.	25624	Shri V. Kumar, Madras	10-1-88
71.	30351	Shri D.N. Dalal, Bombay	23-5-87
72.	31085	Shri A.S. Priyolkar, Bombay	23-4-85
73.	32101	Shri P.G. Morthy, Rasipuram	22-7-87
74.	33687	Miss A. P. Shah, Bombay	1-2-87
75.	34307	Shri B.B. Patel, Gandhinagar	31-1-88
76.	51511	Shri S. Biswas, Calcutta	17-8-87
77.	52330	Shri Bhasker Bose, Calcutta	14-6-87
78.	70338	Shri A.B. Kiyawat, Bombay	3-6-84
79.	72113	Shri G.D. Agarwal, Jaipur	25-1-88
80.	72127	Shri P.C. Patodi, Kota	26-6-86
81.	81238	Shri C.R.V. Venkateshwara, Bangalore	11-8-87
82.	812349	Shri R.L. Kotadia, Madras	24-2-88
83.	81443	Shri Arvind Chowdhary, Jammu	3-7-87

1	2	3	4
84.	82243	Shri L.K. Khanna, Delhi	27-4-87
85.	82359	Shri A.N. Vijaya Kumar, Trichur	2-9-86
86.	82823	Shri N.K Sood, New Delhi	17-4-87
87.	85904	Shri V.K. Arora, New Delhi	14-6-87

APPENDIX X

(Ref. Para 6.4(a) of the Report)

Details of enrolments of students

	Inter	Final
No. of candidates who were enrolled on 1-4-1987	30748	15392
Enrolled during the year 1987-88	12753	4951
	43501	20343
No. of students who completed tuition for Intermediate courses/have passed final examination in the year 1987-88 (May, 1987 and November, 1987)	—9201	—5983
	34300	14360

APPENDIX XI

(Ref. Para 7.1 of the Report)

SUMMARY OF RESULTS —May, 1987

ENTRANCE

Total No. of candidates appeared	2009
No. of candidates declared successful	263
Percentage	13.0%

INTERMEDIATE EXANIMATION

Total No. of candidates appeared in Group I	
Group I	12427
No. of candidates declared successful in Group I	3076
Percentage	24.75
Total No. of candidates appeared in Group II	12334
No. of candidates declared successful in Group II	3289
Percentage	26.67
Total No. of candidates appeared in Both Groups	4653
No. of candidates declared successful in Both Group	626
Percentage.	13.45

FINAL EXAMINATION

Totol No. of candidates appeared in Group I	7827
No. of candidates declared successful in Group I	2326
Percentage	29.71
Total No. of candidates appeared in Group II	7131
No. of candidates declared successful in Group II	2557
Percentage	35.85
Total No. of candidates appeared in Both Groups	3594
No. of candidates declared successful in Both Group	631
percentage	17.55

SUMMARY OF RESULTS –NOVEMBER, 1 1987

ENTRANCE

Total No. of candidates appeared	3370
No. of candidates declared successful	287
Percentage	8.52%

INTERMEDIATE EXAMINATION

Total No. of candidates appeared in Group I	14772
No. of candidates declared successful in Group I	1665
Percentage	11.27
Total No. of candidates appeared in Group II	12778
No. of candidates declared successful in Group II	1595
percentage	12.48
Total No. of candidates appeared in Both Groups	5436
No. of candidates declared successful in Both Groups	399
Percentage	7.4

FINAL EXAMINATION

Total No. of candidates appeared in Group I	4668
No. of candidates declared successful in Group I	2295
Percentage	49.16
Total No. of candidates appeared in Group II	3651
No. of candidates declared successful in Group II	2303
percentage	63.07
Total No. of candidates appeared in Both Groups	3736
No. of candidates declared successful in Both Groups	612
Percentage	16.38

APPENDIX XII

(Ref. Para 7.3 of the Report)

PRIZE WINNERS

FIAL EXAMINATION: MAY 1987

The following candidates will be awarded certificates of merit:

Rank	Roll No.	Name
I	1410	SANJAY KUMAR DAGA
II	8875	(Total 558 marks out of 800).
		NIRMAL CHANDRA BHANWARLAL JAIN (Total 549 marks out of 800).

III 4255 S. RAJAGOPALAN

(Total 544 marks out of 800).

1. The G.P. Kapadia First President Prize will be awarded to SANJAY KUMAR DAGA, Roll No. 1410.

2. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to SANJAY KUMAR DAGA, Roll No. 1410.

3. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks will be awarded to NIRMAL CHANDRA BHANWARLAL JAIN, Roll No. 8875 (549 marks out of 800).

4. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to MISS KINSUKA NARSIMHAN, Roll No. 4223 (536 marks out of 800).

5. The Kerala Verma Prize for the best candidate in Group I will be awarded to SANJAY KUMAR DAGA, Roll No. 1410 (296 marks out of 400).

6. The P.N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II will be awarded to AGARWAL SUBODH ANAND, Roll No. 8936 (304 marks out of 400).

7. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best papers on Accountancy (Papers 1 & 2) will be awarded to SANJAY KUMAR DAGA, Roll No. 1410 (153 marks out of 200).

8. The J.K. Doshi Prize for the highest marks in the paper on Management Accounting will be awarded to MISS BINA SHERMAN Roll No. 7746 (87 marks out of 100).

9. The A.F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to JALAN SUBASHCHANDRA RAMNIRANJAN, Roll No. 8833 (71 marks out of 100).

10. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secured the highest marks in the Paper on Auditing will be awarded to MISS KINSUKA NARSIMHAN, Roll No. 4223 and MISS NAVREKAR SUJATA MADAN, Roll No. 9718 (60 marks out of 100).

11. The U.C. Majumdar Prize and the S.M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to SANJAY KUMAR DAGA, Roll No. 1410 and S. Rajagopalan, Roll No. 4255 (78 marks out of 100).

12. The N.M. Shah Prize, Suri Memorial Prize and A.J. Shah—Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to SANJAY KUMAR DAGA, Roll No. 1410 and MANISH DALAL, Roll No. 7745 (80 marks out of 100).

13. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Managerial Economics and National Accounting will be awarded to SUNIL C. GANDHI, Roll No. 9302 (72 marks out of 100).

14. The T.R. Chadha Prize for the best paper on Systems Analysis & Data Processing will be awarded to RAMESH VENKAT, Roll No. 8125 (86 marks out of 100).

15. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to MISS MAHALAKSHMI RENGANATHAN, Roll No. 8114 (85 marks out of 100).

16. The K.C. Khanna Prize for best paper on Advanced Accounting (Paper I) will be awarded to Pavan Kumar Logar, Roll No. 1418 (79 marks out of 100).

INTERMEDIATE EXAMINATION—MAY, 1987

The following candidates will be awarded certificates of merit:

Rank	Roll No.	Name
I	17308	MISS GEETA DEVCHAND PARMAR (Total 508 marks out of 700).
II	17321	SUNIL YESHWANT SAPRE (Total 490 marks out of 700).
III	9318	BHAWANI SHANKAR RATHI (Total 486 marks out of 700).

1. The G.P. Kapadia First President Prize will awarded to MISS GEETA DEVCHAND PARMAR, Roll No. 17308.

2. Prof. T.S. Grewal Award for the best paper on Accountancy will be awarded to SUNIL YESHWANT SAPRE, Roll No. 17321, (85 marks out of 100).

3. The Dinesh Himatlal Shah Prize and the K.C. Khanna Prize for the best paper on Auditing will be awarded to V.L. MONY, Roll No 7411 (79 marks out of 100).

4. The Suresh C. Mathur Prize for the best paper on Mercantile Law, Company Law and Industrial Law will be awarded to PHATNANI SUNIL VASUDEV, Roll No. 17673 (76 marks out of 100).

FINAL EXAMINATION—NOVEMBER, 1987

The following candidates will be awarded certificates of merit:—

Rank	Roll No.	Name
I	12404	BHARATH KRISHNA SANKAR (570 marks out of 800)
II	2037	PIYUSH V. GOYAL (565 marks out of 800)
III	1609	MISS SADHANA SHARADCHANDRA DESAI (554 marks out of 800)

1. The G.P. Kapadia First President Prize will be awarded to Bharath Krishna Sankar, Roll No. 12404.

2. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Bharath Krishna Sankar, Roll No. 12404.

3. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secures the second highest marks will be awarded to Piyush V. Goyal, Roll No. 2037.

4. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to Miss Desai Sadhana Sharadchandra, Roll No. 1609.

5. The G. Basu Foundation award for the best student of the year 1987 will be awarded to Bharath Krishna Sankar, Roll No. 12404, November, 1987 Examination. (570 marks out of 800),

6. The N.N. Das Prize for the best student of the year 1987 in Group I will be awarded to Sanjay Kumar Daga, Roll No. 1410 May, 1987 Examination (296 marks out of 400).

7. The Kerala Verma Memorial Prize for the best candidate in Group I will be awarded to Bharath Krishna Sankar, Roll No. 12404 (288 marks out of 400)

8. The P.N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II will be awarded to Piyush V. Goyal, Roll No. 2037 (303 marks out of 400).

9. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best paper on Accountancy (Papers 1 & 2) will be awarded to Pathare Parag Diwakar, Roll No. 2755 (168 marks out of 200)

10. The K.C. Khanna Prize for best paper on Advance Accounting (paper 1) will be awarded to Pathare Parag Diwakar, Roll No. 2755 (86 marks out of 100).

11. The J.K. Doshi Prize for the highest marks in the paper on Management Accounting will be awarded to Bharath Krishna Sankar, Roll No. 12404 (83 marks out of 100).

12. The A.F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Ajay Maggo, Roll No. 6006 and T.K. Balakrishnan, Roll No. 9427, (73 marks out of 100)

13. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secures the highest Marks in the paper on Auditing will be awarded to Miss Vinita Fabian Serrao Roll No. 1500 Miss Anjali Krishna Damle Roll No. 2815 and Miss Vaidya Bhagyashri Shrinivas Roll No. 2820 (66 marks out of 100).

14. The U.C. Majumdar Prize and the S.M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to Harish Radhakrishnan Roll No. 1975 (73 marks out of 100).

15. The N.M. Shah Prize Suri Memorial Prize and A.J. Shah—Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to Piyush V. Goyal, Roll No. 203 (75 marks out of 100).

16. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Managerial Economics and National Accounting will be awarded to Miss T.S. Gita Roll No. 10890 (78 marks out of 100).

17. The T.R. Chadha Prize for the best paper on Systems Analysis & Data Processing will be awarded to Maulik G. Sharedalal, Roll No. 1514 (78 marks out of 100).

18. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to Sanjay Tainwala, Roll No. 8001 (84 marks out of 100).

INTERMEDIATE EXAMINATION—NOVEMBER 1987

The following candidates will be awarded certificates of merit:—

Rank	Roll No.	Name
I	18176	ROHAN V. PALEKAR (566 marks out of 700)
II	2679	S.V. ESWAR (533 marks out of 700)
III	12591	MISS POONAM MODI (448 marks out of 700)

1. The G.P. Kapadia First President Prize will be awarded to Rohan V. Palekar Roll No. 18176.

2. The Suri Memorial Prize for the best student of year 1987 will be awarded to Rohan V. Palekar Roll No. 18176 November 1987 Examination. (566 marks out of 700).

3. Prof. T.S. Grewal Award for the best paper on Accountancy will be awarded to Rohan V. Palekar, Roll No. 18176 (99 marks out of 100).

4. The Dinesh Himatlal Shah Prize and the K.C. Khanna Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Kapil Kailash Chand Jain, Roll No. 18157 (78 marks out of 100).

5. The Suresh C. Mathur Prize for the best paper on MercantileLaw, Company Law & Industrial Law will be awarded to H. Nemkumar, Roll 6570 (74 marks out of 100).

AUDITORS' REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Chartered Accountants of India, as at 31st March, 1988 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the accounts of the Institute's offices, Regional Councils and their Branches and Students' Associations and their Branches audited by other auditors and report that :—

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;
3. In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with notes give a true and fair view;
   (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at March 31, 1988; and
   (ii) in the case of the Income & Expenditure Account of the Surplus for the year ended on that date.

New Delhi.
Dated : 7th September, 1988

C.P. Mehra
Chartered Accountant

M.R. Venkataraman
Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

Accounting Policies

1. The admission fee from fellow members and a major portion of the entrance fee from associate members are capitalised. An appropriate portion of the surplus arising out of students activities is transferred to Education Fund and to the extent this fund is utilised on fixed assets, transferred to Capital Reserve.
2. Provision for Gratuity to staff is made on accrual basis. A gratuity-cum-group insurance policy has been taken from the Life Insurance Corporation of India. Any shortfall in the payment of gratuity is debited in the year of payment.
3. Income & Expenditure from Seminars, Symposiums and Conferences held during the year and income from Journal subscription have been accounted for on cash basis.
4. Inventories of paper, publications and study materials are valued at lower of cost or not realisable value. For this purpose cost is ascertained on the basis of direct cost method.
5. Investments have been valued at cost.
6. Depreciation : Fixed assets are shown on historical cost basis and have been depreciated on the diminishing balance method. Library books at the Head Office have been depreciated on the strainghtline method.
7. Second Instalment of Students' Tuition Fee is accounted on receipt basis.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 1988

	Schedule	Rs.	31-3-1988 Rs.	Rs.	31-3-1987 Rs.
FUNDS EMPLOYED :					
1. Fixed Assets :					
Gross Block		3,27,20,745		2,60,21,507	
Less : Depreciation		1,18,21,958		99,65,156	
Net Block	(A)		2,08,98,787		1,60,56,351
2. Earmerked Investments	(B)		82,47,930		67,39,181
3. Other Investments :					
(a) Fixed Deposits with Banks		1,45,16,618		1,95,91,639	
(b) Bonds of Public Sector Undertakings		1,00,24,950		10,00,000	
(c) Units of UTI		3,00,160	2,48,41,728	3,00,160	2,08,91,799
4. Net Current Assets	(C)		30,25,069		15,81,183
TOTAL			5,70,13,514		4,52,68,514
FINANCED BY :					
1. Capital Reserve	(D)		2,83,80,633		2,31,99,951
2. General Reserve	(E)		1,81,51,937		1,33,94,063
3. Other Reserves	(F)		22,33,014		19,35,319
4. Earmarked Funds	(G)		82,47,930		67,39,181
TOTAL			5,70,13,514		4,52,68,514

NOTES : FORMING PART OF THE ACCOUNTS AS AT MARCH 31, 1988 :

(1) Accounts of two Branches and two Students Associations have not been received and not incorporated. However grants & fees paid during the year have been accounted for. Further unaudited accounts of two Branches have been incorporated.

(2) No provision for taxation has been considered necessary in view of pending request for exemption notification from Govt. undef Section 10(23c) (iv) of the Income-tax Act, 1961 which was hitherto granted upto assessment year 1987-88.

(3) Previous year's figures have been re-grouped and re-casted where necessary.

P.C. JAIN
Sr. Deputy Secretary

R.L. CHOPRA
Secretary

S.K. DASGUPTA
President

As per our Report of even date attached

New Delhi
Dated : 7th Sept., 1988

K.G. SOMANI
Vice-President

C.P. MEHRA
Chartered Accountant

M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1988

		1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
I. INCOME—Schedule H			
(a) Members		2,16,83,874	1,96,67,517
(b) Students		2,98,35,922	2,50,06,300
	TOTAL	5,15,19,796	4,46,73,817
II. EXPENDITURE—Schedule I			
(a) Members		1,85,99,131	1,68,64,320
(b) Students		2,64,89,660	2,36,38,868
	TOTAL	4,50,88,791	4,05,03,188
III. Surplus for the year :			
(i) Transferred to Education Fund—Schedule G		16,73,131	6,83,716
(ii) Transferred to General Reserve—Schedule E		47,57,874	34,86,913
	TOTAL	63,31,005	41,70,629
	TOTAL	5,15,19,796	4,46,73,817

P.C. JAIN
Sr. Deputy Secretary

R.L. CHOPRA
Secretary

S.K. DASGUPTA
President

As per our Report of even date attached

New Delhi
Dated : 7th Sept., 1988

K.G. SOMANI
Vice-President

C.P. MEHRA
Chartered Accountant

M.R. VENKATARAMANAN
Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'A'—FIXED ASSETS

(Amounts in Rupees)

S. No.	Assets	GROSS BLOCK			DEPRECIATION		NET BLOCK	
		Cost as at 1-4-1987	Adjustments/ Transfers	Additions during the year	Cost as at 31-3-1988	Depreciation as at 31-3-1988	Book value as at 31-3-1988	Book value as at 31-3-1987
1.	Land	11,10,540	—	12,75,215	23,85,755	—	23,85,755	11,10,540
2.	Buildings	1,01,63,177	36,700	31,61,585	1,33,61,462	28,27,739	1,05,33,723	78,95,616
3.	Buildings (Work-in-progress)	5,10,564	(3,51,147)	3,79,265	5,38,682	—	5,38,682	5,10,564
4.	Electric Installations & Fittings	17,19,139	42,481	65,270	18,26,890	10,09,261	8,17,629	8,27,176
5.	Air Conditioning Installations	18,31,440	(42,481)	96,914	18,85,873	11,93,344	6,92,529	7,57,621
6.	Furniture & Fixtures	42,98,275	(25,945)	4,70,288	47,42,618	20,50,266	26,92,352	25,43,916
7.	Lifts	3,09,912	—	—	3,09,912	1,90,202	1,19,710	1,33,011
8.	Office Equipments	16,81,496	(2,818)	2,03,084	18,81,762	11,01,131	7,80,631	7,10,009
9.	Vehicle	76,985	(76,985)	1,06,823	1,06,823	21,365	85,458	25,226
10.	Library	38,82,189	28,493	5,39,468	44,50,150	31,03,804	13,46,346	12,07,037
11.	Computers	4,37,790	(83,000)	8,76,028	12,30,818	3,24,846	9,05,972	3,35,635
	TOTAL	2,60,21,507	(4,74,702)	71,73,940	3,27,20,745	1,18,21,958	2,08,98,787	1,60,56,351
	Previous year figures	2,28,17,981	(3,72,762)	35,76,288	2,60,21,507	99,65,156	1,60,56,351	1,42,80,669

THE INSTITUTE OF CHARTETED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'B'—EARMARKED INVESTMENTS

(A mounts in Rupees)

	Fixed Deposits with Banks		Balance in Schedule Bank Accounts		Total	
	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987
(A) Education Fund Investments						
Total (A)	46,75,353	34,47,709	—	—	46,75,353	34,47,709
(B) Other Earmarked Investments :						
(a) Research Fund	6,80,250	6,80,250	—	—	6,80,250	6,80,250
(b) Medals & Prizes Funds	3,88,821	3,16,528	86,716	86,345	4,75,537	4,02,873
(c) Scientific Research Fund	2,28,682	2,28,682	—	—	2,28,682	2,28,682
(d) Others	17,09,516	19,20,352	4,78,592	59,315	21,88,108	19,79,667
Total (B)	30,07,269	31,45,812	5,65,308	1,45,660	35,72,577	32,91,472
Grant Total (A) + (B)	76,82,622	65,93,521	5,65,308	1,45,660	82,47,930	67,39,181

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SHEDULE 'C' — NET CURRENT ASSETS

(Amounts in Rupees)

Particulars		31-3-1988		31-3-1987
Current Assets :				
(a) Publications, Study Materials & Stationery		41,90,526		
(b) Amounts Receivable :				
(i) Interest Accrued on Investments	16,38,250		12,10,400	
(ii) Interest on Housing & Vehicle Loans	9,57,716		8,08,239	
(iii) Others	23,50,763	49,46,729	20,34,837	40,53,476
(c) Loans & Advances :				
(i) Advances to Staff :				
Housing & Vehicles Loans	47,31,387		39,74,909	
Others	2,23,278		2,11,936	
	49,54,565		41,86,845	
(ii) Loans Scholarships to Students	33,259		46,019	
(iii) Others	26,46,113	76,34,307	19,19,544	61,52,408
(d) Cash & Bank Balances		75,71,389		49,63,905
TOTAL		2,43,42,681		1,86,39,149
Less Current Liabilities :				
(a) Fees received in advance		1,40,06,552		1,07,65,518
(b) Creditors for expenses		51,27,013		44,82,473
(c) Other Liabilities		21,84,047		18,09,975
TOTAL		2,13,17,612		1,70,57,966
Net Current Assets		30,25,069		15,81,183

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'D'—CAPITAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1988	31-3-1987
(A) General :		
Balance as per last account	1,75,53,324	1,54,34,434
Add: Admission Fees & Allocated Entrance Fee	12,54,400	12,00,920
Add: Donations received for Branch Buildings	30,28,282	9,17,97
TOTAL (A) :	2,18,46,006	1,75,53,324
(B) Education :		
Balance as per last account	56,46,627	52,96,627
Add: Transfer from Eduction Fund	9,88,000	3,50,000
TOTAL (B):	65,34,627	56,46,627
GRAND TOTAL (A) + (B)	2,83,80,633	2,31,99,951

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA. NEW DELHI

SCHEDULE 'E.—GENERAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1988	31-3-1987
Balance as per last account	1,33,94,063	99,07,150
Surplus transferred from Income & Expenditure Account	47,57,874	34,86,913
TOTAL :	1,81,51,937	1,33,94,063

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'F'—OTHER RESERVES

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1988	31-3-1987
Balance as per last account	19,35,319	17,04,385
Add : Net Accretion/Adjustments during the year	3,76,183	3,62,068
	23,11,502	20,66,471
Less : Transferred to Earmarked Funds	(—)78,488	(—)1,31,12
TOTAL :	22,33,014	19,35,319

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'G'—EARMARKED FUNDS

(Amounts in Rupees)

Particulars	31.3.1988	31.3.1987
(A) Education Fund :		
Balance as pr last account	34,47,709	28,64,653
Transferred from Income & Expenditure Account	16,73,131	6,83,716
Interest earned during the year	3,44,770	1,56,200
	54,65,610	37,04,569
Transferred to Capital Reserve	(—)8,88,000	(-)3,50,000
Adjustments	97,743	93,140
TOTAL (A)	46,75,353	34,47,709
(B) Other Earmarked Funds:		
(a) Research Fund	6,80,250	6,80,250
(b) Medals & Prizes Fund—Balance as per last account	4,02,873	3,28,76
Additions during the year	55,000	59,676
Income earned during the year	40,610	33,938
	4,98,483	4,22,375
Less : Cost of Medals & Prizes awarded	(—)22,946	(-)19,502
	4,75,537	4,02,873
(c) Scientific Research Fund—Balance as per last account	2,28,682	2,28,682
(d) Others—		
1. Balance as per last account	19,79,667	10,11,477
2. Additions during the year	3,47,764	7,13,690
3. Transferred from Other Reserves	78,488	1,31,152
4. Adjustments	(-)2,96,44	( )6,000
Add: Income earned during the year	81,934	1,29,798
	21,91,408	19,80,117
Less : Expenditure during the year	(-)3,300	(-)450
	21,88,108	19,79,667
TOTAL (B)	35,72,577	32,91,472
GRAND TOTAL (A)+(B)	82,47,930	67,39,181

SCHEDULE 'H'

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

ANNEXURE TO INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR

THE YEAR ENDED MARCH 31, 1988

(Amount in rupees)

	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development & Research			
	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987
I. INCOME								
1. Entrance Fee (allocated)	4,84,400	4,70,500	4,84,400	4,70,500	—	—	—	—
2. Membership Fee	1,76,24,283	1,57,68,063	1,76,24,283	1,57,68,063	—	—	—	—
3. Post Graduate Course Fee	13,400	21,250	—	—	13,400	21,250	—	—
4. Students' Registration Fee	15,38,295	12,98,605	—	—	—	—	15,38,295	12,98,605
5. Students' Association Fee	1,27,530	1,07,870	—	—	—	—	1,27,530	1,07,870
6. Coaching Fee	1,23,04,188	89,72,232	—	—	—	—	1,23,04,188	89,72,232
7. Examination Fee	1,05,59,184	1,02,05,405	—	—	—	—	1,05,59,184	1,02,05,405
8. Journal & News Letter	7,69,612	4,60,681	—	—	—	—	7,69,612	4,60,681
9. Publications	40,82,724	39,77,843	—	—	14,98,144	16,94,258	25,84,580	22,83,585
10. Interst on Investments	1,74,458	1,74,007	—	—	1,04,561	1,04,058	69,897	69,949
11. Others	12,72,480	9,13,556	3,863	1,105	7,50,339	4,45,478	5,18,278	3,66,973
SUB-TOTAL	4,89,50,554	4,23,70,012	1,81,12,546	1,62,39,668	23,66,444	22,65,044	2,84,71,564	2,37,65,30
12. Income from General Fund Investments (Allocated)	23,94,966	21,70,417	11,49,584	9,98,392	—	—	12,45,382	11,72,025
SUB-TOTAL	5,13,45,520	4,45,40,429	1,92,62,130	1,72,38,060	23,66,444	23,65,044	2,97,16,946	2,49,37,325
13. Prior Period Adjustments	1,74,276	1,33,388	—	—	55,300	64,413	1,18,976	68,975
TOTAL	5,15,19,796	4,46,73,817	1,92,62,130	1,72,38,060	24,21,744	24,29,457	29,98,35,922	2,50,06,300

SCHEDULE '1'

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

ANNEXURE TO INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR

THE YEAR ENDED MARCH 31, 1988

(Amounts in Rupees)

	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development & Research			
	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987	31-3-1988	31-3-1987
II. EXPENDITURE:								
1. Salaries & Staff Expenses	1,70,53,282	1,47,59,392	31,91,996	29,07,378	36,81,786	31,25,192	1,01,79,500	87,26,822
2. Printing & Stationery	12,77,002	12,30,560	1,94,123	1,33,453	6,15,178	6,14,182	4,67,701	4,82,925
3. Publications	16,87,184	19,71,839	3,49,799	4,73,861	4,13,863	6,40,393	9,23,532	8,57,585
4. Journal & News Letter	33 33 995	30,31,586	—	—	28,18,606	25,66,647	5,15,389	4,64,939
5. Coaching (Excluding Salaries & Staff Expenses)	33,73,103	31,10,145	—	—	—	—	33,73,103	31,10,145
6. Examination (Excluding Salaries & Staff Expenses)	64,42,197	58,01,311	—	—	—	—	64,42,197	58,01,311
7. Postage, Telegrams & Telephones	16,19,994	14,17,591	3,41,554	3,11,783	5,31,887	4,39,627	7,46,553	6,66,181
8. Rent, Rates & Taxes	20,56,450	19,54,988	3,90,874	3,95,121	7,60,589	6,75,999	9,04,987	8,83,868
9. Repairs & Maintenance	8,03,732	6,15,105	1,76,430	1,23,832	2,49,938	2,13,666	3,77,364	2,77,607
10. Depreciation	19,29,645	14,90,976	4,82,412	3,72,744	4,82,412	3,72,744	9,64,821	7,45,488
11. Travelling & Conveyance :								
(a) Council Members	18,86,673	12,56,386	4,85,083	2,53,136	9,49,261	6,45,802	4,52,329	3,57,448
(b) Staff & Others	5,97,037	7,06,892	92,263	1,39,245	2,08,316	2,58,344	2,96,458	3,09,303
12. Library Maintenance	1,13,252	1,03,942	—	—	63,613	57,862	49,639	46,080
13. Overseas Relations	5,88,974	4,89,182	—	—	5,88,974	4,89,182	—	—
14. Professional Fees	2,31,008	2,57,793	47,778	1,03,324	93,941	87,052	89,289	67,417
15. Others	19,19,531	19,13,554	—	—	13,26,648	13,05,271	6,72,882	6,08,283
SUB-TOTAL	4,49,93,059	4,01,11,242	57,52,312	53,15,877	1,27,85,012	1,14,91,963	2,64,55,735	2,34,05,402
16. Prior Period Adjustments	95,732	3,91,946	13,213	21,825	48,594	1,36,655	33,925	2,33,466
TOTAL	4,50,88,791	4,05,03,188	57,65,525	52,35,702	1,28,33,606	1,16,28,618	2,64,89,660	2,36,38,868

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

ANALYSIS OF EXPENSES ON MEMBERS FOR THE YEAR 1987-88

Sl. No.	Particulars	1987-88	1986-87
1.	(a) No. of Members	48,856	44,634
	(b) Total Expenditure*	Rs. 18,599	Rs. 16,864
2.	Total Expenditure per member	Rs. 381	Rs. 378
3.	Regulatory		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 5,765	Rs. 5,236
	(b) Expenditure per member	Rs. 118	Rs. 117
	(c) Percentage	31%	31%
4.	Professional Development & Research		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 12,834	Rs. 11,628
	(b) Expenditure per member	Rs. 263	Rs. 261
	(c) Percentage	69%	69%

*Rupees in thousands.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1988

(Rupees in lakhs)

	1987-88	1986-87
SOURCES OF FUNDS :		
Net Income from Investments (both on capital & revenue accounts)	30.14	26.46
Capital Receipts	48.73	33.42
Decrease in working capital	—	12.47
SUB-TOTAL	78.87	72.33
Surplus for the year without charging depreciation & considering non-operational income from investments	61.90	35.61
TOTAL	140.77	107.96
APPLICATION OF FUNDS :		
Increase in working capital	14.44	—
Acquisition of Fixed Assets	71.74	35.14
Acquisition of Investments	54.59	72.82
TOTAL	140.77	107.96

STATEMENT OF CHANGE IN WORKING CAPITAL

(Rupees in lakhs)

	1987-88	1986-87
CURRENT ASSETS :		
(a) Publications, study materials & stationery etc.	07.21	05.35
(b) Amounts Receivable		
(i) Interest accrued on Investments	04.28	02.27
(ii) Interest on Housing Loans etc.	01.49	01.48
(iii) Others	03.16	(—)01.34
c) Loans & Advances		
(i) Advances to staff	07.68	06.62
(ii) Loan Scholarships to Students	(—)00.13	(—)00.27
(iii) Others	07.27	10.87
(d) Cash & Bank Balances	26.80	(—)20.65
TOTAL	57.04	04.33
CURRENT LIABILITIES :		
(a) Fees received in advance	32.41	(—)00.23
(b) Creditors for expenses	05.45	14.54
(c) Other Liabilities	03.74	02.49
TOTAL	42.60	16.80
Net Increase/Decrease in working capital	14.44	(—)12.47